



मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए फील्ड मैनुअल



योगदानकर्ता:

प्रोजेक्ट एलीफेंट टीम:

प्राथमिक योगदानकर्ता:

1. डॉ. एसपी यादव, एडीजी (पीटी),
एमओईएफसीसी और निदेशक, भारतीय वन्यजीव
संस्थान
2. श्री. रमेश कुमार पांडे, आईजीएफ और
निदेशक, परियोजना हाथी, एमओईएफसीसी

अन्य योगदानकर्ता:

1. डॉ. पराग निगम
2. डॉ. बिलाल हबीब
3. डॉ. के.एम. सेलवन
4. डॉ. प्रजना पी पांडा
5. डॉ. एन लक्ष्मीनारायणन

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया टीम:

प्राथमिक योगदानकर्ता:

1. नितिन शेखर
2. दुरैराज बोमीनाथन
3. हितेन कुमार बैश्य
4. तेजस्विनी नागेश
5. डेविड स्मिथ
6. दीपंकर घोष

अन्य योगदानकर्ता:

1. अनिरुद्ध धमोरिकर
2. एन मोहनराज
3. प्राची थट्टे
4. संचय शर्मा
5. अनिल सिंह
6. अनुपम शर्मा
7. अर्जुन कामदार
8. दबीर हसन
9. दिव्या रमेश
10. मेराज अनवर
11. मुदित गुप्ता
12. निलंगा जयसिंघे
13. परीक्षित काकती
14. पीयूष दत्ता
15. राजकिरण आर.
16. रवि सिंह
17. सेजल वोरा
18. सौमेन डे
19. विशेष उप्पल
20. यश सेठिया

स्वीकृतियां:

श्री. अजय देसाई (देकैसेड), डॉ. एजेटी जोहनसिंघ,
मांडवी गौर, डॉ. समीर सिन्हा, डॉ. तरश ठेकाएकरा, डॉ. उमा रामकृष्णन



कृपया ध्यान दें कि यह एक जीवित दस्तावेज़ है।
इस संस्करण को 27 जून 2022 को अंतिम रूप दिया गया था।

संदेश

माननीय एमईएफ द्वारा

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार



MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR AND EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV



MESSAGE

India is one of the biodiversity hotspots in the world and supports the largest population of Asian elephants and tigers. As nature conservation is intertwined in our heritage, culture, mythology and folklore, the country is committed to conserve its rich biological diversity. More than any country in the world, tolerance and acceptance of wildlife among the communities is epitomized in India. As human-wildlife conflict can sometimes potentially create negative perceptions; its timely resolution is admittedly one of the important conservation priorities in the country. As elephants are large bodied social animals, their wide-ranging behaviour can bring them into conflict with people. Addressing human-elephant conflict is a complex challenge. India has been facing the challenge with renewed energy, scientific acumen, innovation, and empathy by actively engaging with different stakeholders. Empowering the frontline force of the forest department who are at the helm of managing conflict is a crucial long-term mitigation strategy. In addressing human-elephant conflict, several direct and indirect approaches have been experimented across multiple different sites in India in collaborative manner involving the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, State Forest Departments, scientific institutions, local communities, and other line agencies. Drawn from such a rich field experience, a state-of-the art, easy to use pictorial document elaborating approaches to resolve human-elephant conflict is brought out by the Project Elephant Division with technical support from WWF-India and Wildlife Institute of India. This document will go a long way as a quick reference material along that frontline staff of the Forest Department can use in a regular basis. I wholeheartedly congratulate the Project Elephant Division for this excellent contribution towards elephant conservation and I also wholeheartedly appreciate the authors for putting in their efforts to give shape to this useful document.

Date: 25.04.2022


(Bhupendra Yadav)

संदेश

माननीय राज्य मंत्री द्वारा

75
आजादी का
अमृत महोत्सव



सत्यमेव जयते
आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः
ॐ नमो भगवते
एक कदम स्वच्छता की ओर

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey



Message

By being a global leader in Asian elephant and tiger conservation, India demonstrates exemplary conservation commitment. Our cultural and religious belief system, along with a strong democratic foundation had not only contributed in economic and social well being, but was instrumental in achieving conservation priorities. Vast amounts of first-hand experience and knowledge have been gained in the country in the fields of wildlife conservation and human-wildlife conflict management. Application of this knowledge will only further fine-tune the ongoing efforts to mitigate human-wildlife conflict, particularly with that of charismatic large mammals like elephants. Recognizing the importance of knowledge sharing, the Project Elephant Division of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, has partnered with scientific research Institutions like the Wildlife Institute of India of the Ministry and WWF-India in preparing an excellent field guide that elaborate on multitude of approaches to mitigate human-elephant conflict in the Indian context. The contents of the document are well illustrated and optimally designed for ready-use in the field by all those who are in the forefront of managing elephants and their habitats. My sincere appreciation is due to the Project Elephant Division and partner organizations and also to the authors of the manual for their painstaking efforts.

(Ashwini Kumar Choubey)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फ़ैक्स: 011-20819207, ई-मेल: mes.ako@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mes.ako@gov.in

कार्यालय : कमरा नं. 173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23380630, फ़ैक्स: 011-23380632

Office : Room No 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax: 011-23380632

निवास : 30, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-23794971, 23017049

Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

प्रस्तावना

सचिव, एमओईएफएंडसीसी द्वारा

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE



FOREWORD

Globally recognised as a mega-diverse country rich in biodiversity, India has an equally rich cultural heritage spanning centuries. Much of the Indian biodiversity is intricately related to the abundance of flora and fauna and the socio-cultural practices of the land.

India accounts for the largest number of Asian elephants. The people of the country have played a leading role in conserving the country's heritage animal. However, the limitations in integrating environmental concerns into development planning need to be addressed. Human-Elephant Conflict (HEC) is a growing challenge with adverse effects, for both the local people and the elephants. Understanding the relationship between HEC, and local perceptions regarding elephants, is crucial. Forest fringe dwellers are highly dependent on natural resources, and such conflicts undermine their well-being. Comprehending the complexity of HEC and the effects of conservation activities thus requires an inter-disciplinary approach.

The Project Elephant Division has, therefore, partnered with WWF-India and Wildlife Institute of India to bring out this document that elaborates specific actions, instruments and guidelines, for mitigation of human-elephant conflict. I am certain that the document would go a long way in establishment of a governance and networking mechanism between communities and Forest Departments, thereby leading to effective human – elephant conflict mitigation.


[Leena Nandan]

New Delhi, the 25th April, 2022



इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAVAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : sacy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

प्रस्तावना

डीजीएफ एंड एसएस द्वारा

चन्द्र प्रकाश गोयल
CHANDRA PRAKASH GOYAL



वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FOREST & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE



PREFACE

Elephants are among the charismatic megafauna that hold a special place in the cultural tradition of people in India for millennia. Human-elephant conflict (HEC) can be found all over the world and has been a growing problem even in India for a long time. Elephants are particularly predisposed to conflicts with humans because of their large home range and dietary requirements. Human-elephant conflict is of special concern because of the potentially catastrophic consequences for both people and elephants. Understanding the local sentiments towards elephants and coexistence with respect to people's socio-economic context and to come up with adaptive management strategies is the sustainable solution that addresses both the facets of elephant conservation. Effective long-term management of HEC needs to take a holistic approach that involves a diverse set of actors at all levels from the affected community up to the relevant policymakers and donors at local, national, and even global levels. Highlighting these nuances, the document has been drawn up by the Project Elephant Division along with WWF-India and Wildlife Institute of India as a ready reckoner for the frontline staff to address human-elephant conflict with granularity.

I appreciate the efforts of the team to have developed an approach that incorporates shared responsibility, human-human conflict resolution, and a set of holistic and innovative mitigation techniques.


(Chandra Prakash Goyal)



इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003
फोन: (011) 20819239, 20819209 फैक्स: (011) 20819195

INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003
Ph.: 011-20819239, 20819209, Fax: 011-20819195, E-mail : dgfindia@nic.in


आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रस्तावना

एसजी और सीईओ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा



Over the years, WWF-India has collaborated with Project Elephant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Govt. of India and state forest departments in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala to mitigate human-elephant conflict and its effect on humans and elephants. Our teams have used various tools and interventions that have proven effective in addressing human-elephant conflict on the ground.

WWF-India and Project Elephant have put together this "Field Manual for Managing Human-Elephant Conflict" with the details of what we believe to be best practices for minimizing human-elephant conflict. This document is drafted with the aim of providing forest officials/ departments and other stakeholders with clear instructions for the use of necessary tools and interventions to help mitigate human-elephant conflict, both in emergencies and when conflict poses a recurring challenge. The field manual specifies the conditions under which forest officials/ departments should consider various interventions. This manual is a result of years of field experience and efforts that our teams have put in to help both affected communities and elephants.

I would like to thank Project Elephant, MoEFCC, Govt. of India for collaborating with WWF-India to bring out this useful field manual. I would like to congratulate and thank all my colleagues who have worked on this document and provided their inputs. I would also like to extend my gratitude to all the experts outside of WWF-India who have contributed to the making of this document. This manual is a working one and we will endeavour to update this from time to time based on field understanding. We hope this manual will be carefully implemented, and, as we learn on how we can improve our interventions, we will come out with revised versions of the manual.

Mr. Ravi Singh
SG & CEO, WWF-India

विषय सूची

संदेश माननीय एमईएफ द्वारा	v
संदेश माननीय राज्य मंत्री द्वारा	vi
प्रस्तावना सचिव, एमओईएफएंडसीसी द्वारा	vii
प्रस्तावना डीजीएफ एंड एसएस द्वारा	viii
प्रस्तावना एसजी और सीईओ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा	ix
प्रस्तावना	2
•मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने हेतु अनुशंसित आपातकालीन संचालन प्रक्रिया Recommended Operating Procedure (ROP).....	4
(ROP) भाग-1: हाथियों को कृषि भूमि, मानव बस्ती और शहरों से दूर करना	5
(ROP) भाग-2: हाथी द्वारा वन क्षेत्र से बाहर मनुष्य को घायल करना या मारा जाना	8
•संचालन प्रक्रिया का विवरण (Detailed operating procedure)	11
मानव-हाथी संघर्ष का कैसे निवारण किया जाता सकता है?	12
हमें कौन सहयोग कर सकता है?	14
हमें कौन सहयोग कर सकता है?-वन विभाग की भूमिका	15
हमें कौन सहयोग कर सकता है?-अन्य दावेदारों की भूमिका	18
कैसे ?	27
भाग-1: मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के हेतु आपातकालीन फील्ड प्रबन्धन	28
मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने हेतु त्वरित कार्य दलों (Rapid Response Teams) का गठन	30
आपातकालीन परिस्थिति-1: मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं का गांव, खेत और हाथियों के प्राकृतवास के समीप होना।	33
आपातकालीन परिस्थिति-2: हाथियों का अपने प्राकृतवास से दूर होना।	39
आपातकालीन परिस्थिति-3: हाथियों द्वारा मनुष्यों को मारा जाना या घायल किया जाना (एक या एक से अधिक मनुष्यों को घायल करना अथवा मारा जाना)	45
आपातकालीन परिस्थिति-4: सरकार द्वारा हाथी के बचाव (रेस्क्यू) की त्वरित कार्यवाही	48
आपातकालीन परिस्थिति-5: हाथियों की मृत्यु होने की दशा में सरकारी प्रयास या प्रतिक्रिया	53
भाग-2: मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए समुदाय आधारित संस्थाओं का विकास	56
1. मानव-हाथी संघर्ष के प्रति जनजागरूकता पैदा करना और क्रियान्वित किये जाने वाले संभावित प्रयास।	58
2. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने हेतु स्थानीय ग्रामीणों/समुदायों से हाथी अवरोधक स्थापित करने के लिए समुदायों की सहमति और समर्थन प्राप्त करना।	62
3. हाथी अवरोधक रख-रखाव कमेटी (Barrier Maintenance Committee) का गठन तथा अवरोधक हेतु संसाधन (Funds) इक्कट्टा करना।	64
4. फसल क्षति निरोधक दस्ते Anti depredation Squad (ADS) का गठन करना तथा हाथियों के व्यवहार का पूर्वानुमान से अवगत होना तथा वनविभाग से समन्वय स्थापित करना।	68

भाग-3: मानव-हाथी संघर्ष कम करने के लिए गैर-घातक अवरोधकों का चयन एवं स्थापना ।	72
सर्वोत्तम अवरोधकों का चयन	76
1. ऊँची लागत की बाड़ (रेल पटरी एवं स्टील-रोप-अवरोधकों की स्थापना)	78
2. गैर घातक ऊर्जा बाड़ (Power Fence) स्थापित करना	80
3. हाथी अवरोधक खाईयां खोदना	86
नोट:- गैर बाधक हस्तक्षेप	89
भाग -4: मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओ को बार बार मानवों के साथ संघर्ष की घटनाओं को दोहराने वाले हाथियों का प्रबंधन।	90
1. हाथी को पकड़ना और कॉलर (Collaring) करना।	92
2. नकारात्मक (Negative) परिस्थितियाँ पैदा करना।	99
3. मूल स्थान से पुनर्स्थापित करना (Translocation)	102
4. बाँधना या कैद करना।	107
भाग 5: मानव-हाथी संघर्ष के लिए डेटा संग्रह	115
1. अनुग्रह धनराशि भुगतान के संबन्ध में आकड़ों का संकलन	118
2. व्यक्तिगत हाथियों की पहचान	124
3. हाथियों के गोबर (Dung) और खून के नमूने डी0एन0ए0 विश्लेषण हेतु इक्कट्टा करना	128
डाटा सीट्स (सांख्यिकीय आंकड़े):-	131
मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में अनुग्रह/मुआवजा के भुगतान का अभिलेखीकरण	131
हाथी द्वारा मानव के घायल या मृतक होने पर किए जाने वाले भुगतान का अभिलेखिकरण	132
हाथी द्वारा फसल/सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर मुआवज़े का अभिलेखीकरण	135
फसल क्षति/सम्पत्ति क्षति के प्रमाणीकरण का प्रपत्र।	138
व्यक्तिगत हाथियों की (Individual Elephants) रूपरेखा शीट (Profile sheet) तैयार करना	141
(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड	142
क्षेत्र में आये ज्ञात हाथियों की डेटा शीट	147
घायल एवं मृत हाथियों का अभिलेखीकरण।	150
घायल एवं मृत हाथियों की सारांश शीट।	151
शवविच्छेदन (Postmortem) का प्रारूप	153
परिषिष्ट	159
परिषिष्ट-i: हाथियों की पहचान करना।	159
परिषिष्ट-ii: ध्यान देने योग्य मुख्य बिन्दु/घटना स्थल में बिजली के करंट से हाथी की संभावित मृत्यु के दौरान पशु चिकित्सा द्वारा एकत्रित किए नमूनों की चैकलिस्ट।	171
परिषिष्ट-iii: जहर ज्ञान के विश्लेषण हेतु पोस्टमार्टम के लिये एकत्रित किए गए अनिवार्य नमूने।	172
परिषिष्ट-iv: बैरियर रख-रखाव कमेटी की मानक पंजिका	173
परिषिष्ट-v: बाड़ के रख-रखाव हेतु चैकलिस्ट	174
परिषिष्ट-vi: खाइयों के रख-रखाव हेतु चैकलिस्ट	176
परिषिष्ट-vii: बजटतालिका का आकारपट	177
संक्षिप्त रूपों (Abbreviations) की सूची:-	178
मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए	180

प्रस्तावना

वस्तुतः मनुष्य और हाथी कई बार एक-दूसरे के रास्ते में आते हैं जिससे उनके कार्यक्षेत्रों के संसाधनों के उपयोग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और एक नकारात्मक प्रभाव पैदा होता है। आमतौर पर मानव-हाथी संघर्ष विभिन्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है और कई बार मानव मृत्यु के रूप में सामने आता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 500 लोग हाथी-मानव संघर्ष में मारे जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 हाथी बिजली के करंट लगने, जहर खाने, रेल दुर्घटना और अवैध शिकार के कारण (हाथी दांत के लिए) मारे जाते हैं। हाथी द्वारा फसल और सम्पत्ति का नुकसान, संघर्ष के दृष्यमान प्रदर्शन है। मानव-हाथी संघर्ष के कई गोपनीय दुष्प्रभावी परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे- रात्रि में पहरेदारी करते हैं वे अनिद्रा से कुप्रभावित होते हैं। हाथी द्वारा आवासीय सम्पत्ति के नुकसान करने पर भी स्थानीय समुदाय दीर्घकाल के लिए भयभीत रहते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि मनुष्यों द्वारा हाथियों का स्थायी रूप से पीछा किये जाने के कारण हाथी तनाव में आते हैं, जो उन्हें गुस्सेल और आक्रमणकारी भी बनाता है। इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। अतः ऐसे प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिससे हाथी का संरक्षण प्रभावी रूप से संभव हो सके तथा मानव-हाथी संघर्ष को न्यूनतम किया जा सके।

इस फील्ड मैनुअल (हस्तपुस्तिका) का निरूपण मानव-हाथी संघर्ष की बीती हुई घटनाओं के संयुक्त विश्लेषण व अनुभवों के आधार पर विश्व प्रकृतिनिधि, भारत एवं वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से किया गया है।

इस फील्ड मैनुअल (हस्तपुस्तिका) को मानव-हाथी संघर्ष के न्यूनीकरण (Mitigation) की प्राप्ति के लिए सुसंगत दृष्टिकोण के आधार पर अभिलिखित किया

गया है। इस फील्ड मैनुअल (हस्तपुस्तिका) का मुख्य उद्देश्य यह है कि वन विभाग के क्षेत्रीय वनकर्मी इस पुस्तिका में अभिलिखित सर्वोत्तम उपायों को अपनाकर मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को कम/न्यून कर सके। इस फील्ड मैनुअल में कई ऐसी प्रणालियों का उल्लेख किया गया है जिससे क्षेत्रीय स्टाफ का मानव-हाथी संघर्ष कम हो सके तथा प्रकृतिसंरक्षण में यथेष्ट सुधार के लिए दीर्घकालिक उपाय मिल सके।

इस फील्ड मैनुअल के दिशा निर्देश निम्न बिन्दुओं पर केंद्रित हैं-

1. तत्कालिक रूप से अल्पकालीन और मध्यकालीन क्रियाकलापों पर अमल करना जो कि मानव-हाथी संघर्ष को कम करने पर ज़ोर देते हैं।
2. मानव बाहुल्य आबादी में हाथी द्वारा मानव एवं सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए विष्वसनीय उपायों का क्रियान्वयन।
3. संघर्ष को रोकने/न्यून करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का मौके पर क्रियान्वयन।
4. सर्वश्रेष्ठ मानकों एवं व्यवस्थित तरीके से मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़ों का संकलन करना जिससे मानव-हाथी संघर्ष को भविष्य में परिष्कृत रूप से न्यून किया जाना सम्भव हो सके। आशा है कि इस फील्ड मैनुअल का क्षेत्रीय स्तर पर सही ढंग से उपयोग किया जाएगा ताकि वन विभाग को मानव-हाथी संघर्ष को समझने में और उसकी प्रवृत्ति का अनुमान लगाने में आसानी होगी। सही और विश्वसनीय आँकड़ों के संकलन से संघर्ष के संवेदनशील स्थानों का चिह्नीकरण करने में मदद मिलेगी।


इस फील्ड मैनुअल के पृष्ठ संख्या 27 और मानव-हाथी संघर्ष को न्यूनीकरण के विषिष्ट उपायों पर केन्द्रित है।

चूंकि हाथी एक चतुर और बुद्धिमान वन्यजीव है, उसे समझने व जानने के लिए कई उपायों और दक्षता की आवश्यकता है। यद्यपि मानव-हाथी संघर्ष को पूर्ण रूप से रोकने के लिए कोई आसान और स्थाई उपाय उपलब्ध नहीं है, तथापि इसको न्यून करने के लिए यह फील्ड मैनुअल एक सुलभ सन्दर्भ है, जो कि प्रत्येक तीसरे वर्ष अनुभव/सीख के आधार पर संशोधित किया जाएगा। हालांकि मानव-हाथी संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना संभव नहीं है, लेकिन यह फील्ड मैनुअल अवश्य ही संघर्ष की संभावित घटनाओं को न्यून करने में यथासम्भव सहायक सिद्ध होगा।

मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के हेतु अनुशंसित आपातकालीन संचालन प्रक्रिया Recommended Operating Procedure) ROP

फ़ील्ड स्तर पर मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अनुशंसित संचालन प्रक्रिया (ROP) प्रथम चरण के रूप में आवश्यक है। संक्षेप में, यह फ़ील्ड मैनुअल एक Quick Start कार्यवाही के रूप में वांछित और अपेक्षित निर्देशों के साथ क्रियान्वित की जाएगी। यह संचालन प्रक्रिया (ROP) सभी वन क्षेत्रों जैसे संरक्षित क्षेत्रों और हाथी रिजर्व में लागू होगी और उन अतिरिक्त क्षेत्रों में भी क्रियान्वित होगी जहाँ मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएँ प्रायः घटती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि

अखंड वन क्षेत्रों में हाथी का संरक्षण वन विभाग की प्राथमिकता है। विखंडित प्राकृतिक वास्तविकताओं जैसे अन्य विभाजित क्षेत्रों से संघर्ष को कम करने के लिए सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इस फ़ील्ड मैनुअल में दिए गए निर्देशानुसार समस्या का निराकरण किया जायेगा। इस प्रकार, अन्य विभाजित क्षेत्रों के साथ समन्वय करने के प्रयास भी किया जाएगा। इस प्रकार अन्य विभिन्न विभागों के साथ समन्वयक के प्रयास भी आवश्यक है।)



अनुशंसित संचालन प्रक्रिया

भाग-1: हाथियों को कृषि भूमि, मानव बस्ती और शहरों से दूर करना या भगाना।

- हाथियों के मानव बस्ती में प्रवेश की तत्काल सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समीपस्थ वन चौकी और वनविभाग को दी जानी चाहिए। वनविभाग के क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचने तक फसल क्षति निरोधक दस्ते के सदस्यों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित रखना होगा। हाथियों पर लगातार नजर रखनी होगी, जब तक वनविभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंच जाते।
- ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सरपंच, गांव के मुखिया और ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध संचार साधनों (मोबाइल फोन, एस0एम0एस0, या व्हाट्सैप संदेश) से संबंधित रेंज अधिकारी/उपवन क्षेत्राधिकारी और त्वरित कार्यदल को सूचित किया जाना होगा। तदुपरांत रेंज अधिकारी गांव के हाथियों के प्रवेश की सूचना उच्चाधिकारियों को देगे। सूचना मिलने पर संबंधित रेंज अधिकारी अपने क्षेत्रीय स्टाफ को त्वरित कार्यदल के साथ घटनास्थल पर तैनात होने हेतु निर्देशित करेगा।
- त्वरित कार्यदल को तत्काल उपलब्ध वाहन (जो कि अच्छी दशा में हो) के द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों के साथ (जैसे- हार्ड-मास्ट लाइट, स्थानीय जनता को संबोधित करने के उपकरण जैसे माइक और सायरन) घटनास्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा।
- त्वरित कार्यदल ¼RRT) और संबंधित रेंज आफिसर को निम्न प्रारम्भिक सूचनाएं इकत्रित की जानी आवश्यक होगी:-
 - घटनास्थल या क्षेत्र में कुल हाथियों की संख्या का पता लगाना।
 - समस्याग्रस्त हाथियों की पहचान।
 - घटनास्थल पर हाथियों के आने की दिशा।
- घटनास्थल पर विभिन्न कार्यबलों का गठन करना -
 - हाथियों की स्थिति का अनुश्रवण करना, विशेषतः रेंज अधिकारी के नेतृत्व में यह कार्य सम्पन्न होगा।
 - स्थानीय ग्रामीणों से लागातार संवाद करना तथा उन्हें धैर्य बनाए रखने के लिए कहना। इस संवाद प्रक्रिया में ऐसे धैर्यवान स्टाफ को नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्थानीय जनता से भलिभांति परिचित हो।
 - स्थानीय मीडिया से संवाद करना। इस प्रक्रिया में सहायक वन संरक्षक या प्रभागीय वनाधिकारी की भूमिका अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होगी।
- प्रभारी रेंज अधिकारी, प्रशिक्षित हाथी भगाने वाले दल, त्वरित कार्यदल, वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस दल को मानव बस्ती से हाथियों को भगाने के लिए संघटित करना होगा। इस ऑपरेशन के दौरान सरपंच, ग्रामप्रधान, ग्राम मुखिया तथा स्थानीय ग्रामीणों को सूचित किया जाना आवश्यक है। ताकि अपेक्षित सावधानी बरती जा सके।
- संबंधित प्रभारी अधिकारी, त्वरित कार्यदल और फसल क्षति निरोधक दस्ते के सहयोग से ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर जाने को कहेंगे। (आदर्श रूप में यह दूरी कम से कम 250 मीटर होगी) ताकि किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। हाथियों द्वारा आवासीय भवन में रखे गये अनाज, नमक तथा कच्ची शराब के लाहण को खाने की दशा में ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने को कहना चाहिए और

अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए।

8. हाथियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया गया हो तो तत्काल क्षेत्र की घेराबंदी की जानी आवश्यक होगी, जब तक कोई दूसरी कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है। जैसे कि दिन के समय हाथियों को शहरी क्षेत्रों से भगाना कठिन होता है।

9. यदि घटना स्थल पर स्थानीय ग्रामिणों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और हाथापाई की नौबत आ गई है तो कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिये संबंधित वन अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय तहसीलदार और थाना इंचार्ज को पूर्व में ही अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।


10. ड्राइविंग ऑपरेशन के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति (मेडिकल इमरजेंसी) से निपटने के लिए एम्बुलैन्स की अग्रिम में व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

11. सामान्यतौर पर हाथियों को उन्हीं क्षेत्रों में भगाना

चाहिए जिस दिशा से हाथियों ने प्रवेश किया है।

बेतरतीब (Haphazard) ढंग से भगाने पर हाथियों द्वारा प्रतिरोध या जवाबी हमला (Counter attack) किया जा सकता है, जिसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। हाथियों को बेतरतीब (Haphazard) ढंग से खदेड़ने पर हाथी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ने की संभावना बनी रहती है। यथेष्ट प्रबंधन की प्रणाली इस ओर इंगित करती हैं कि हाथियों को उसी दिशा में खदेड़ना चाहिए। जिस दिशा से वे आए हैं। यह सम्पूर्ण ऑपरेशन सहायक वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में सम्पन्न किया जाना चाहिए। यदि हाथियों को खदेड़ना उचित या आसान नहीं है तो उन्हें ट्रेंकुलाइज कर अगतिमान किया जाना आवश्यक है।

12. संबंधित जिम्मेदार वनाधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को हाथियों के खदेड़ने के ऑपरेशन से दूर रखा जाए जिसने नशा किया हो या शराब पी हो क्योंकि वह हाथियों की चपेट में आ सकता है। इस प्रकार सम्बन्धित अधिकारी को कोशिश करनी चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग ऑपरेशन



से दूर रखें।

13. कभी-कभी तेज हार्न या सायरन बजाने पर हाथी पीछे मुड़ सकते हैं जो कि खतरनाक हो सकता है, खासकर मस्त हाथियों के केस में ऐसी संभावना सदैव बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हाथी मानवीय गतिविधियों को आसानी से स्वीकार नहीं करते और वे आक्रमणकारी या गुस्सैल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक है कि संबधित वन कार्मिकों को तत्काल वाहन में सुरक्षित दूरी पर बैठ जाना चाहिए।

14. हाथियों को घटनास्थल से खदेड़ने या भगाने में सफल ऑपरेशन के तत्काल बाद वनकर्मियों को इकत्रित हो जाना चाहिए और हाथियों की लोकेशन के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठा कर साझा करनी चाहिए, ताकि हाथियों के रात्रिकालीन मूवमेंट की पूर्व निर्धारित सूचना का आकंलन किया जा सके और संघर्ष न्यूनीकरण के पूर्व नियोजित उपायों की योजना सुनिश्चित की जा सके। हाथियों के लोकेशन की सूचना या तो फील्ड कर्मियों को क्षेत्र में सावधानीपूर्वक भ्रमण से मिल पाएगी या क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों से (जो कि जंगल में मवेशी चरान-चुगान या जलौनी या अन्य कार्यों के लिए जाते हैं)। क्षतिग्रस्त अवरोधकों की तत्काल मरम्मत की जानी आवश्यक है।।

15. फसल और सम्पत्ति के नुकसान की दशा में संबधित प्रभारी रेंज अधिकारी को तत्काल उस क्षति का मूल्यांकन कर प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देना चाहिए ताकि किसी भी संभावित प्रतिशोध की प्रक्रिया से बचा जा सके और पीड़ित की सलामती सुनिश्चित की जानी चाहिये।

16. संबधित वनाधिकारी को सम्पूर्ण ऑपरेशन की सूचना और ऑपरेशन के सफलतापूर्वक संपन्न होने की विधिवत सूचना प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भेजनी होगी।

17. हाथी-मानव संघर्ष की घटनाओं के दौरान अगर मीडिया की उपस्थिति हो तो मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ अधिकृत प्रवक्ता द्वारा समय पर समूचे ऑपरेशन को अध्यावधि जानकारी के साथ साझा ताकि ऑपरेशन के संबन्ध में कोई भ्रामक तथ्य प्रकाशित न हो।

अनुशंसित संचालन प्रक्रिया

भाग-2: हाथियों द्वारा जब वन क्षेत्र से बाहर किसी मनुष्य को घायल अथवा मार दिया जाता है:-

(अन्य विवरण के लिये कृपया देखें आपातकालीन परिस्थिति-3)

1. यदि हाथियों द्वारा मनुष्य को घायल कर दिया जाता है तो गाँववालों को तत्काल 108 एम्बुलैन्स सेवा को कॉल कर मौके पर बुलाना चाहिए और घायल व्यक्ति को तुरन्त समीपस्थ अस्पताल में लेजाकर निःशुल्क उपचार करवाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो त्वरित कार्यदल (RRT) को मौके पर पहुँचकर घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाना चाहिये। तद्सार वन विभाग और पुलिस विभाग को भी सूचित किया जाना चाहिए।

2. संबंधित रेंज अधिकारी को चाहिए कि वह घटना की सूचना तत्काल संबंधित सहायक वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को दें, तथा स्वयं भी घटनास्थल पर जितनी जल्दी संभव हो सके पहुँचें | रेंज अफसर को तत्काल मौके पर कार्यरत स्टाफ को तैनात कर लामबंद कर देना चाहिए।

3. हाथी द्वारा मनुष्य के मारे जाने की दशा में पुलिस और राजस्व विभाग को सूचित करना होगा ताकि वे आवश्यक और वैधानिक कागजी कार्यवाही पूर्ण कर सकें और शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर सकें। वनविभाग के कार्मिकों को इस कार्यवाही में मदद करनी चाहिए।

4. यदि कोई हाथी या हाथियों का झुण्ड गाँव, शहर या कृषि भूमि में रह गया है तो वन विभाग के कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथी मौके पर कोई अतिरिक्त संकट/परेशानी पैदा न कर दें। इस सम्बन्ध में ROP भाग-1 की कार्यवाही अमल में लानी होगी। इस बात की भी पुष्टि साक्ष्य के आधार पर की जानी आवश्यक है कि किस हाथी ने पीड़ित को मारा है। साक्ष्य एकत्रित करने हेतु अतिरिक्त प्रयास किये जाने

चाहिये जैसे- मौके के फोटोग्राफ्स लेना या ढंग के नमूने एकत्रित करना ताकि कालांतर में हाथी की पहचान संभव हो सके।

5. यदि घटना में लिप्त हाथी अभी भी उस क्षेत्र में मौजूद है तो उसे पकड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए और क्षेत्र की घेराबन्दी करके स्थानीय ग्रामीणों का क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर देना चाहिए।


6. त्वरित कार्यदल (RRT) और संबंधित जिम्मेदार कार्मिकों को मानव मृत्यु के संबंध में आवश्यक मुख्य सूचनायें तत्काल एकत्रित करनी चाहिए। इस फील्ड मैनुअल के अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में निरूपित निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं भरी जानी चाहिये। इस प्रपत्र की मुख्य सूचनाएं निम्न प्रकार है:- मृतक की पहचान एवं नाम, तारीख, समय, घटना स्थल का विवरण, और घटना क्रम की ज्ञात जानकारी। विशेष रूप से अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई है। क्या यह मृत्यु एक दुर्घटना है या हाथी को बगैर उकसाये हुये घटना घटित हुई है, या हाथी के असंगत आक्रमण के कारण घटना घटी है।

7. घटना के तत्काल बाद विशेषज्ञों (वन/राजस्व / पुलिस के अधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पशुचिकित्सक) की बैठक आयोजित की जानी चाहिए जो परिस्थितियों का आंकलन कर सुसंगत सुझाव से अग्रिम कार्यवाही के लिए संसूचित करेंगे। प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उन सुझावों पर आवश्यक विचार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। सुसंगत सुझावों में हाथियों के आवागमन हेतु सुरक्षित मार्ग (सेफ पेसेज), मूल प्राकृतवास में खदेड़ने की प्रक्रिया, ट्रांसलोकेशन या कैद करना या बाँधना भी

शामिल हो सकता है। हाथी के पकड़े जाने की दशा में प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अनुमति आवश्यक होगी। इस प्रक्रिया के लिए उचित मार्ग निर्देशन इस फील्ड मैनुअल के भाग-7 में निहित हैं।

8. वनविभाग को पीड़ित परिवार को अनुग्रह धनराशि भुगतान किए जाने के संबंध में सूचनाओं का संकलन निर्धारित प्रपत्र में अवश्य संधारित करना चाहिये।

विस्तृत संचालन प्रक्रिया



मानव-हाथी संघर्ष के निवारण हेतु हमें क्या करना चाहिए?

मानव-हाथी संघर्ष की आपात्कालीन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं।

हम उन समुदायों के साथ कार्य कर रहे हैं जो दीर्घकाल से मानव-हाथी संघर्ष का सामना कर रहे हैं

हम उन हाथियों से निबट रहे हैं जो अच्छी तरह से रख-रखाव वाले अवरोधकों को बार-बार तोड़ रहे हैं।

हम व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं के आंकड़ें एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

भाग-1 हाथी-मानव संघर्ष की
आपातकालीन फील्ड प्रबंधन प्रक्रिया पृष्ठ
संख्या 28

समुदाय के सदस्यों द्वारा संघर्ष
के न्यूनीकरण हेतु सफलता
पूर्वक साथ में काम नहीं किया
जा रहा है।

भाग-2 स्थानीय समुदायों की संस्थाओं को
विकसित कर मानव-हाथी संघर्ष को कम
करना। पृष्ठ सं. 56

समुदायों के पास प्रभावी
संस्थाएं हैं जो संघर्ष के विरुद्ध
लामबंद हैं पर उनके पास
हाथी-मानव संघर्ष को कम
करने हेतु अवरोधकों की कमी
है।

भाग-3 एचईसी को कम करने के लिए
कानूनी और सुरक्षित बाधाओं का चयन
और निर्माण करना
पृष्ठ सं. 72

भाग-4 उन व्यक्तिगत हाथियों का प्रबंधन
जो बार-बार संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं।
पृष्ठ सं. 90

भाग-5 मानव-हाथी संघर्ष के आँकड़ों का
संकलन। पृष्ठ सं. 115

हमारी मदद कौन कर सकता है ?

मानव-हाथी संघर्ष के निवारण /निष्पादन में कई सरकारी विभागों के संयुक्त प्रयास और सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि-समुदाय आधारित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठन एवं कभी-कभी निजी संस्थाएँ और व्यक्तियों का भी सहयोग उपेक्षित होता है। फील्ड मैनुअल का यह भाग हमें मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं के निवारण में ऐसे सहयोगियों की पहचान करने में मदद करेगा।

हमारी मदद कौन कर सकता है ?

उद्देश्य - फील्ड मैनुअल का यह भाग वनाधिकारियों के ऐसे संरक्षणवादी पेशेवर व्यक्तियों को ढूँढने और पहचान करने में मदद करेगा जो मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं के न्यूनीकरण के लिए किए गए हस्तक्षेप/कार्यवाही का क्रियान्वयन कर सके।

वनविभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं का न्यूनीकरण करने के लिए समाज के विभिन्न घटकों की आवश्यकता पड़ती है अतः समाज के अन्य प्रमुख घटकों से बेहतर सम्बन्ध बनाना आवश्यक है।

सर्वप्रथम हमें वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका को सुनिश्चित करना होगा। तब हम अन्य सहयोगियों के बारे में विमर्ष करेंगे।

हमारी मदद कौन कर सकता है? वन विभाग की भूमिका:-

वन विभाग द्वारा मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वनविभाग के अधिकारियों की मुख्य भूमिका/उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

प्रभागीय वनाधिकारी:- (डी.सी.एफ) के दायित्व

1. मानव-हाथी संघर्ष को न्यून करने के लिए प्रभाग स्तर पर शारीरिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रीय वनकर्मियों (फील्ड स्टाफ) की पहचान और तैनाती करना।

2. यह सुनिश्चित करना कि सभी हाथियों की अधिक आबादी वाले रेंजों स्तर पर पर्याप्त मूलभूत उपकरण जैसे-फ्लैश लाइट्स, पटाखे, सीटी, जी.पी.एस, दूरबीन, कैमरे और सभी उपयोगी संयंत्रों की उपलब्धता हो। प्रभागीय वनाधिकारी (डी.सी.एफ) प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभाग स्तर पर सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरण और ट्रेकुलाइजेशन के लिए आवश्यक दवाईयाँ (Drugs) उपलब्ध है।

3. मानव हाथी प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन और धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4. अत्रतप्रभागीय समन्वय स्थापित कर लैंडस्केप स्तर

के संघर्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करना। इस प्रक्रिया में उन सभी अड़चनों को चिन्हित करना, जो हाथी के आवागमन को प्रभावित करते हों, मानव-हाथी संघर्ष बाहुल्य वाले क्षेत्रों की पहचान करना और जहां आवश्यक हो वहां अत्रतप्रदेशीय समन्वय स्थापित करना।

5. सभी रेखीय विभागों जैसे पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना।

गंभीर/तीव्र मानव-हाथी संघर्ष की दशा में (जैसे कि हाथी शहर में प्रवेश कर गये है या अन्य जनसंख्या बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर गये हों तो प्रभागीय

वनाधिकारी को तत्काल मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सूचित कर, पशु चिकित्सकों के दल को मौके पर भेजकर हाथी के ट्रैकुलाइजेशन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

6. किसी भी मृत्यु या फसल तथा सम्पत्ति की क्षति होने की दशा में अनुग्रह धनराशि का यथा संभव भुगतान करवाना।

उप प्रभागीय वनाधिकारी (A-C.F) के दायित्व

1. क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय और दिन-प्रतिदिन के संघर्ष का अनुश्रवण करना। रेंज अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर संघर्ष के घटनाक्रम का नजरी नक्षा तैयार करना।
2. रेंज स्तरीय प्रशासनिक समन्वय स्थापित कर प्रभागीय स्तरीय संघर्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करना।
3. अन्य रेखीय विभागों जैसे- पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना।

वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारी के दायित्व

1. मानव-हाथी संघर्ष का अनुश्रवण किए जाने के विषय में रोटेशनल आधार पर स्टाफ की तैनाती करना तथा यह सुनिश्चित करना कि जो स्टाफ संघर्ष के अनुश्रवणों में शामिल हैं वे सभी शारीरिक तौर पर उपयुक्त हैं।
2. यह सुनिश्चित करना कि रेंज स्तर पर आवश्यक सभी उपकरण जैसे-फ्लैशलाईट्स, जी.पी.एस, पटाखे, बैट्री, आदि क्रियाशील हो और उनका रखरखाव रेंज स्तर पर उचित तरीके से हो रहा है।
3. घटना स्थल (conflict site) पर सभी स्टाफ को साथ में तैनात करना।
4. रेंज स्तरीय समन्वय स्थापित कर संघर्ष का प्रबंधन करना।

5. अन्य रेखीय विभागों जैसे- पुलिस, गांव के मुखिया, तहसीलदार इत्यादि के साथ निकटतम समन्वय स्थापित करना।

वीट गार्ड्स/ वनरक्षक के दायित्व:-

1. त्वरित कार्य दल (RRT), फसल क्षति निरोधक दस्तों (ADS), पुलिस, राजस्व और ग्राम मुखिया के साथ समन्वय स्थापित करना तथा संघर्ष के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसके अतिरिक्त स्थानीय ग्रामीणों को क्षेत्रों में हाथी की उपस्थिति के विषय में सतर्क करना।
2. हाथियों के आवागमन की अध्यावधि सूचना एकत्रित कर रेंज अधिकारी/उप वन क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना, तथा रात्रि में संघर्ष को रोकने हेतु समुचित योजना का निरूपण कर क्रियान्वयन करवाना।
3. उन क्षेत्रों का निरीक्षण करना जहाँ हाथी द्वारा फसल एवं सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तथा तत्काल मुआवजे की धनराशि भुगतान बावत आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करना।

4. उन स्थानों को चिह्नित करना जहाँ हाथी बार-बार आवागमन करते हैं। ये वो स्थान भी हो सकते हैं जहाँ हाथी दिन में आराम करते हैं या पानी पीने वाटर होल्स पर आते हैं। इस तरह के निर्णायक/महत्वपूर्ण सूचनाओं के विवरण का संकलन करना जो हाथियों को भगाने या पकड़ने या अन्य कार्यवाही के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।

त्वरित कार्य दल (RRT) के दायित्व:-

मानव-हाथी संघर्ष पर तत्काल कार्यवाही हेतु वन विभाग द्वारा RRT का गठन किया जाता है। त्वरित कार्य दल की संरचना एवं भूमिका का विवरण पृथक से "मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु त्वरित कार्य दल का गठन" नामक शीर्षक से पृष्ठ संख्या 30 दिया जा रहा है।

1. उन सभी समुदायों से सम्पर्क स्थापित कर संवाद बनाए रखना जो मानव-हाथी संघर्ष से प्रभावित है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वें तीव्रता से प्रतिक्रिया या जवाब दे सकें।
2. मानव-हाथी संघर्ष की किसी भी घटना पर प्रथम प्रतिसादकर्ता के रूप में कार्य करना तथा किसी भी आपाताकालीन परिस्थिति के लिए तैयार रहना।
3. उन सभी संकटों/मुसीबतों का पता लगाना जो हाथी की जान के लिए खतरा हो, जैसे-प्राण-घातक बैरियर झुके हुए या षिथिल बिजली के तार और जाल का पता लगाना।

कौन हमारी मदद कर सकता है?- अन्य दावेदार

नागरिक प्रशासन (Civil Administration)

जिलाधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग और अन्य विभाग नागरिक प्रशासन की श्रेणी में शामिल हैं। जब कभी स्थानीय निवासियों के कार्यक्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष की घटना घटित होती है तब नागरिक प्रशासन की भूमिका प्रारम्भ होती है।

नागरिक प्रशासन को मानव-हाथी संघर्ष की दशा में संघर्ष को कम करने हेतु सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। सिविल प्रशासन संघर्ष के न्यूनीकरण हेतु राज्य सरकार के लिए संसाधन/धन भी सुरक्षित रखता है।

मानव-हाथी संघर्ष के आपातकाल के दौरान जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

मानव-हाथी संघर्ष की दशा में प्रायः जिलाधिकारी की मुख्य भूमिका होगी और वह अपनी शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थ-उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी को सौंपकर अपना प्रतिनिधित्व/नुमायंदा तैनात कर सकता है।

1. भीड़ को नियन्त्रित करना, ताकि स्थानीय निवासियों और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 क्षेत्र में लागू कर सकता है, जहाँ आवश्यक हों।

2. मानव-हाथी संघर्ष की दशा में ग्रामीणों के लिए अस्थाई आश्रय स्थल की स्थापना तथा आश्रय स्थल में भोजन, पानी एवं अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना।

3. मानव-हाथी संघर्ष के शिकार ग्रामीणों को स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल भेजना।

4. वन विभाग के साथ मिलकर कार्य करना और यह सुनिश्चित करना कि विकासजनित गतिविधियों के कारण हाथी के प्राकृतवास का नुकसान न हो या प्राकृतवास विखंडित भी न हो ताकि मानव-हाथी संघर्ष को भविष्य में बढ़ावा न मिल सके।

5. हाथी द्वारा क्षति ग्रस्त भवनों एवं अन्य परिसम्पत्तियों की मरम्मत करवाना।

6. मानव-हाथी संघर्ष वाले स्थानों, सड़कों, पावर लाइन्स और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचों का रख-रखाव करना ताकि संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों में तत्काल आसानी से पहुँचा जा सके।

इसके अतिरिक्त सिविल प्रशासन को व्यापक रूप से मानव-हाथी संघर्ष के प्रबन्धन के लिए-समुदाय आधारित संस्थाओं की स्थापना एवं उनका विकास भी करना चाहिये। समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग हाथियों को संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों से ट्रांसलोकेट करने में लिया जाना चाहिये तथा मानव-हाथी संघर्ष के दौरान शिकार हुये व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान प्रक्रिया के प्रमाणीकरण में भी समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग करना चाहिये।

जिला प्रशासन की भूमिका का उल्लेख इस फील्ड मैनुअल के निम्न अनुभागों में वर्णित किया गया है:-

• आपातकालीन परिस्थिति: 1 - हाथियों का संघर्ष जब गांव/कृषि योग्य भूमि/हाथी के नजदीकी प्राकृतवास में होता है। पृष्ठ संख्या 33

• आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या 39

• आपातकालीन परिस्थिति: 3 - हाथियों/हाथी द्वारा मनुष्य/मनुष्यों को मार दिया गया है या गंभीर रूप से घायल कर दिया गया पृष्ठ संख्या 45

• आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया पृष्ठ संख्या 48

• 1. मानव-हाथी संघर्ष के दौरान जनजागरूकता पैदा करना। पृष्ठ संख्या 58

• 2. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने हेतु स्थानीय ग्रामिणों से अवरोधकों की स्थापना हेतु सहमति प्राप्त करना तथा उनका सहयोग लेना। पृष्ठ संख्या 62

वर्णित किये गये हैं।

- 3. अवरोधकों की स्थापना एवं बैरियर रखरखाव कामेटी का गठन तथा फण्ड एकत्रित करना। पृष्ठ संख्या 64
- 4. गैर घातक ऊर्जा बाढ़। पृष्ठ संख्या 80
- 5. हाथी अवरोधक खाईयाँ। पृष्ठ संख्या 86
- 6. हाथियों का ट्रांसलोकेशन। पृष्ठ संख्या 102
- 7. अनुग्रह धनराशि/मुआवजा भुगतान हेतु सूचनायें एकत्रित करना। पृष्ठ संख्या 118

पुलिस

मानव-हाथी संघर्ष की आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान पुलिस का सहयोग समस्या के निस्तारण में आवश्यक है। पुलिस भीड़ को नियन्त्रित करने एवं संघर्ष के दौरान वन विभाग के प्रयासों में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। मानव-हाथी संघर्ष के दौरान पुलिस के दायित्व निम्न प्रकार से हैं:-

1. भीड़ को नियन्त्रित करना तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू करना, जहाँ आवश्यक हो।
2. संघर्ष के दौरान मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना तथा घायल के उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजना।
3. संघर्ष की तीव्रता के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करना।
4. प्रभावी और सुरक्षित मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन में बाधक असामाजिक तत्वों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना।

इसके अतिरिक्त पुलिस व्यापक रूप से भूमिका अदा कर सकती है, जैसे- संघर्ष के किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में हाथियों के ट्रांसलोकेशन और हाथियों को पकड़वाने में मदद कर सकती हैं। पुलिस के ये उत्तरदायित्व इस फील्ड मैनुअल के निम्न अनुभागों में

- आपातकालीन परिस्थिति: 1 - हाथियों का संघर्ष जब गाँव/कृषि योग्य भूमि/हाथी के नजदीकी प्राकृतवास में होता है। पृष्ठ संख्या 33
- आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या 39
- आपातकालीन परिस्थिति: 3 - हाथियों/हाथी द्वारा मनुष्य/मनुष्यों को मार दिया गया है या गंभीर रूप से घायल कर दिया गया पृष्ठ संख्या 45
- आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 48
- आपातकालीन परिस्थिति: 5 - हाथी की मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 53
- 1. हाथियों का ट्रांसलोकेशन। पृष्ठ संख्या 102
- 2. हाथियों को कैप्टिविटी में रखना। पृष्ठ संख्या 107

अर्द्धसैनिक बल:-

अर्द्धसैनिक बल के दस्ते पुलिस और वनविभाग को क्षेत्र में विषम परिस्थितियाँ पैदा होने और भीड़ को नियन्त्रण करने में सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को हाथी द्वारा घायल किये जाने से बचाने के लिए या हाथियों के रेस्क्यू ऑपरेशन या ट्रांसलोकेशन में सहयोग कर सकते हैं।

अग्निशमन विभाग:-

सामान्यतः अग्निशमन विभाग आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिये एवं रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से सम्पन्न करवाने में प्रशिक्षित होता है। अग्निशमन विभाग वन विभाग को हाथियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर सकता है या हाथियों को घनी आबादी वाली मानव बस्ती से खदेड़ने में भी मदद कर सकता है। अग्निशमन विभाग की भूमिका इस मैनुअल के निम्न अनुभागों में वर्णित की गयी है:-

• आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या -39

• आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या - 48

राज्य आपदा अनुक्रिया बल (S.D.R.F) State Disaster Response Force

कुछ राज्य मानव-हाथी संघर्ष की आपातकालीन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन एवं बस्ती खाली कराने (Evacuation) ऑपरेशन में S.D.R.F का सहयोग ले सकते हैं।

राज्य स्वास्थ्य विभाग/ स्वास्थ्य सेवायें:-

मानव-हाथी संघर्ष के दौरान हाथी द्वारा मनुष्यों के घायल करने या मारे जाने की स्थिति में राज्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भूमिका भी जरूरी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अस्पतालों की पहुँच अपर्याप्त होती है या नगण्य है, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। P.H.C और C.H.C में आपातकालीन स्वास्थ्य उपचार की सारी व्यवस्थाएं और उपकरण होते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की भूमिका इस फील्ड मैनुअल के निम्न अनुभागों में वर्णित की गयी है:-

• आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या.....

• आपातकालीन परिस्थिति: 3 - हाथियों/हाथी द्वारा मनुष्य/मनुष्यों को मार दिया गया है या गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पृष्ठ संख्या - 45

पशु चिकित्सक एवं पशु

चिकित्सा विभाग:-

कभी-कभी वन विभाग को हाथी का रेस्क्यू करने, कॉलर करने, पकड़ने और ट्रांसलोकेशन में पशुचिकित्सकों को शामिल करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हाथी के स्वास्थ्य की नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता भी होती है। मानव-हाथी संघर्ष की आपातकालीन परिस्थितियों में पशुचिकित्सकों के निम्न दायित्व होते हैं:-

1. हाथी के स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करना और संघर्ष में शामिल हाथी के विभिन्न अंगों की नाप लेना।

2. हाथी को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण, (ड्रग) दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कैप्चरिंग ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3. डार्टिंग (Darting) ऑपरेशन के दौरान हाथी की देखरेख और अनुश्रवण करना तथा हाथी को पकड़ने वाली टीम का गठन करना।

4. जंगली और पकड़े गए हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना जो कि प्रबंधन के उद्देश्य से संभाले जा रहे हैं।

5. कैप्चरिंग ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन और कैप्टी विटी में हाथियों की समुचित देखभाल करना।

हाथी-मानव संघर्ष के प्रबंधन में पशु चिकित्सकों की भूमिका का इस फील्ड मैनुअल के निम्न अनुभागों में वर्णन किया गया है :-

• आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 48

• 1. कैप्चरिंग एण्ड कलरिंग : पृष्ठ संख्या 92

• 2. ट्रांसलोकेशन: पृष्ठ संख्या 102

• 3. कैप्टीविटी: पृष्ठ संख्या 107

बिजली विभाग

बिजली या बिजली लाईन से हाथी की संभावित मृत्यु पर बिजली विभाग से संपर्क किया जाना आवश्यक है।

मानव-हाथी संघर्ष के सन्दर्भ में बिजली विभाग के दायित्व निम्न प्रकार है:-

1. हाथी बाहुल्य क्षेत्रों या गांवों में ट्रांसमिशन लाइन्स और इसी प्रकार के आधार भूत ढांचे का नियमित अनुश्रवण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बिजली के करंट से हाथी और स्थानीय निवासियों की मृत्यु न हो। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को हाथी बाहुल्य क्षेत्रों या गांवों में एक आपातकालीन हैल्प लाईन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

2. यह सुनिश्चित करना कि बिजली के खंभों को हाथी द्वारा शरीर से रगड़े जाने पर उनके टूटने की संभावना न हो और विद्युत तारों की पर्याप्त ऊँचाई हो और सही ढंग से इन्सुलेट हो।

3. विद्युत तार झुके न हो और यह सुनिश्चित करना कि उनका रख-रखाव उच्चकोटि का हो रहा है।

4. ग्रामीणों द्वारा बिजली चोरी की घटनाओं की रोकथाम करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उस क्षेत्र में विद्युत से कोई घातक बाड़ स्थापित न की गई हो।

5. मानव-हाथी संघर्ष बाहुल्य गांवों में पर्याप्त बिजली व्यवस्था तथा विद्युत पुनर्स्थापना के पर्याप्त प्रयास करना।

हाथी के मृत्यु होने की दशा में विद्युत विभाग की जांच प्रकरण में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इस संबंध में इस फील्ड मैनुअल के आपातकालीन परिस्थिति-5 हाथी की मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिक्रिया अनुभाग में विस्तार से वर्णन किया गया है।

स्थानीय निकाय और स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता:-

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय निकायों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सामुदायिक प्रयास सहायक सिद्ध होंगे। इन संस्थाओं और विभिन्न कार्यकर्ताओं के संघर्ष के दौरान दायित्व निम्न प्रकार

हैं:-

1. सरपंच या मुखिया से अपेक्षा की जाती है कि -

- (a) वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा फैसले लेने की प्रक्रिया में भागीदार बने।
- (b) जहां ग्रामीणों को घटना स्थल से हटाने में मदद करें।
- (c) उन सभी विभागों की सहायता करना जो संघर्ष प्रबंधन में सक्रिय हैं।
- (d) ग्रामीणों को ठीक प्रकार से सूचित करना तथा घटना स्थल पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
- (e) मानव-हाथी संघर्ष के दौरान मारे गये व्यक्ति और अन्य क्षति के बारे में सही सूचना देने में सहयोग करना तथा उपयुक्त मुआवज़े के भुगतान में मदद करना।

2. अन्य ग्रामीण जो त्वरित कार्यदल (RRT) तथा फसल क्षति निरोधक (ADS) के दस्ते के साथ कार्य कर रहे हैं से अपेक्षा की जाती है कि-

- (a) हाथी के आवागमन पर नजर रखने के लिए वनविभाग का सहयोग करें
- (b) गांव स्तर पर संघर्ष के अनुश्रवण हेतु सहयोग करना।
- (c) संघर्ष के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षित रखने में सहयोग करना।

इस फील्ड मैनुअल के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों में स्थानीय निकाय भूमिका निभाते हैं-

1. पंचायत

1. मानव-हाथी संघर्ष में जागरूकता पैदा करना।
2. हाथी अवरोधक स्थापित करने हेतु सहमति व्यक्त करना।
3. अवरोधक रख-रखाव समिति का गठन
4. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) का गठन

जनप्रतिनिधि/विधायक

- गैर घातक ऊर्जाबाड़
- हाथी निरोधक खाईयाँ
- कैटीविटी

स्थानीय समुदाय:-

स्थानीय समुदायों में समुदायों के नेता, सरपंच, गांव का

मुखिया एवं गैर पेशेवर ग्रामीणों के समूह और किसान शामिल हैं।

आपातकालीन परिस्थिति-1

आपातकालीन परिस्थिति-2

आपातकालीन परिस्थिति-3

आपातकालीन परिस्थिति-4

1. मानव-हाथी संघर्ष में जागरूकता पैदा करना।
2. हाथी अवरोधक स्थापित करने हेतु सहमति व्यक्त करना।
3. अवरोधक रख-रखाव समिति का गठन
4. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) का गठन

- गैर घातक ऊर्जाबाड़
- कैप्चर आर कॉलरिंग
- नकारात्मक परिस्थितियाँ

बैरियर रख-रखाव कमेटी:-

1. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) का गठन
2. हाथी अवरोधक स्थापित करने हेतु सहमति व्यक्त करना।

- बैरियर रख-रखाव कमेटी का गठन तथा उसकी मरम्मत के लिये धन इकट्ठा करना।
- सर्वोत्तम बैरियर का चयन।
- गैर घातक ऊर्जाबाड़।
- हाथी निरोधक खाई।

समुदाय आधारित संस्थाएँ एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठन:-

समुदाय आधारित संस्थाएँ समुदायों की संस्थाओं के गठन में सहायक सिद्ध होती हैं।

1. मानव-हाथी संघर्ष में जागरूकता पैदा करना।
2. हाथी अवरोधक स्थापित करने हेतु सहमति व्यक्त करना।
3. अवरोधक रख-रखाव समिति का गठन तथा मरम्मत हेतु धन इकट्ठा करना।

4. संघर्ष को कम करने के लिये गैर घातक एवं सुरक्षित अवरोधकों का चयन एवं स्थापना।

फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS):-

फसल क्षति निरोधक दस्ते समुदायों से प्रशिक्षित वे सदस्य होते हैं जो वन विभाग को मानव-हाथी संघर्ष के दौरान हाथी के अनुश्रवण एवं संघर्ष के लिये प्रतिक्रिया देने में सहयोग करते हैं। ये दस्ते मानव-हाथी संघर्ष को कम करने हेतु समुदाय आधारित संस्थाओं की मदद भी करते हैं।

इनके गठन के संबंध में - फसल क्षति निरोधक दस्ते के गठन शीर्षक में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

इनकी भूमिका निम्न प्रकार है:-

- आपातकालीन परिस्थिति: 1 - हाथियों का संघर्ष जब गांव/कृषि योग्य भूमि/हाथी के नजदीकी प्राकृतवास में होता है। पृष्ठ संख्या 33
- आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या 39
- आपातकालीन परिस्थिति: 3 - हाथियों/हाथी द्वारा मनुष्य/मनुष्यों को मार दिया गया है या गंभीर रूप से घायल कर दिया गया पृष्ठ संख्या 45
- आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 48
- मानव-हाथी संघर्ष में जागरूकता पैदा करना।
- हाथी अवरोधक स्थापित करने हेतु सहमति व्यक्त करना।
- नकारात्मक परिस्थितियाँ

हाथी के महावत:-

कुन्की (प्रशिक्षित हाथी) एवं महावत जंगलों में जंगली हाथी के नजदीक कार्य करने हेतु आवश्यक होते हैं।

- आपातकालीन परिस्थिति: 2 - हाथी अपने प्राकृतवास से दूर चले गए हों। पृष्ठ संख्या 39
- आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 48
- कैप्चरिंग एवं कॉलरिंग
- ट्रांसलोकेशन

विशिष्ट गैर सरकारी संस्थान (NGO):-

विशिष्ट गैर सरकारी संस्थान विशेषज्ञ एन.जी.ओ. जो मानव-हाथी संघर्ष को न्यून करने हेतु क्षेत्र में कार्यरत हैं, वें तकनीकी सूचनाएं साझा कर संघर्ष को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो वहाँ ये विशिष्ट एन.जी.ओ. वन विभाग की मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट एन.जी.ओ. रेस्क्यू ऑपरेशन के आवश्यक उपकरणों से लैस होते हैं, वे रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

सही विशिष्टता वाले एनजीओ इस मैनुअल में दी गयी गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में एनजीओ विशेष रूप से सहयोग कर सकते हैं।

आपातकालीन परिस्थिति: 4 - हाथी के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया। पृष्ठ संख्या 48

- कैप्चरिंग एवं कॉलरिंग।
- व्यक्तिगत हाथियों की पहचान।

हाथी पर शोधकर्ता-

हाथियों की और व्यवहार पर शोधकर्ता की दृढ़ वैज्ञानिक सोच और निपुणता/ विशेषज्ञता आवश्यक है। ये शोधकर्ता सरकार, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

- व्यक्तिगत हाथियों की पहचान।

प्रयोगशालायें:-

व्यक्तिगत हाथी की पहचान और संघर्ष को सम्बोधित करने के लिये अनुवांशिकी विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रयोगशालायें भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृपया निम्न अनुभाग देखें:-

- व्यक्तिगत हाथी की पहचान।
- हाथी के खून एवं गोबर (Dung) के नमूने डी.एन.ए. विश्लेषण हेतु इकट्ठा करना।

मीडिया:-

जन साधारण में मानव-हाथी संघर्ष के दौरान 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूचना को संसूचित करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में कार्य करता है।

मीडिया संरक्षित संबंधित सूचनाओं की प्रमुख विशेषताओं और वन विभाग द्वारा इस विषय पर संचालित विभिन्न प्रयासों को प्रमुखता से प्रकाशित कर आम जनता तक पहुंचा सकता है।

- मानव-हाथी संघर्ष में जागरूकता पैदा करना।
- कैप्चरिंग एवं कॉलरिंग।
- ट्रांसलोकेशन



कैसे ?

इस हस्तपुस्तिका में (आगे के पृष्ठों) में मानव-हाथी संघर्ष को न्यून करने हेतु विस्तृत एवं सर्वोत्तम संचालन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की निष्पादन की कार्यवाही के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी:-

भाग-1

मानव-हाथी संघर्ष के न्यूनीकरण हेतु आपातकालीन फील्ड प्रबंधन:-

इस फील्ड मैनुअल के प्रथम भाग में वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यदल (RRT) के गठन एवं मानव-हाथी संघर्ष को रोकने हेतु मौलिक संस्थाओं के गठन के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम भाग वन विभाग को मानव-हाथी संघर्ष को रोकने हेतु 5 प्रकार की सर्वोत्तम आपातकालीन एवं समय की संवेदनशीलता को समझते हुए निष्पादित की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा।

मानव हाथी संघर्ष की आपातकालीन परिस्थितियाँ

क्या एक या एक से अधिक हाथी मानव बस्ती में समय गुजार रहे हैं।

क्या घटना स्थल पर मृत्यु/घायल होने की घटना घटित हुई है।

क्या कोई हाथी कुआं, खाई या जाल में अटक/फंस गया है और जानवर का बचाव करना है।

क्या हाथी मृत अवस्था में मिला है।

क्या हाथी गांव के समीप वन क्षेत्र या प्राकृतवास में है।

क्या हाथी मानवबस्ती या प्राकृतवास से दूर चले गये हैं।

आपातकालीन परिस्थिति-3

हाथी द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल अथवा मार दिया गया है।

त्वरित कार्यदल का गठन

आपातकालीन परिस्थिति-4

हाथी के बचाव में सरकार की प्रतिक्रिया

आपातकालीन परिस्थिति-5

हाथी के मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिक्रिया

आपातकालीन परिस्थिति-1

हाथियों द्वारा गांव/ कृषि क्षेत्रों/ हाथी के प्राकृतवास के समीप संघर्ष का पैदा होना।

त्वरित कार्यदल का गठन

आपातकालीन परिस्थिति-2

हाथियों द्वारा अपने प्राकृतवास से दूर चले जाना

त्वरित कार्यदल का गठन

मानव-हाथी संघर्ष को न्यून करने के लिए त्वरित कार्यदल (RRT) का गठन:-

उद्देश्य:

वन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षित युवकों के एक त्वरित कार्यदल (RRT) का गठन करना सुनिश्चित करें जो कि सभी आवश्यक उपकरणों से लैस हो। त्वरित कार्यदल (RRT) गम्भीर नाजुक परिस्थितियों में स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग तो करेंगे ही मानव-हाथी संघर्ष को भी न्यून करने में मदद करेंगे। त्वरित कार्यदल सभी पाँच प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पूर्वानुसार उल्लेखित पृष्ठ संख्या (29 to 47.) तक ।

अनुशंसित प्रथाएं/अभ्यास:-

(A) त्वरित कार्यदल (RRT) की भूमिका:-

त्वरित कार्य दल (RRT) एक उच्चस्तरीय पेशेवर समूह की तरह मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में सहयोग करेगा। त्वरित कार्यदल संघर्ष के नाजुक समय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तथा उस क्षेत्र का निरन्तर अनुश्रवण करेगा जहाँ हाथी द्वारा संघर्ष किया जा रहा है।

(B) त्वरित कार्यदल का गठन:-

आदर्श रूप में प्रत्येक मानव-हाथी की घटनायें अधिक होने वाले क्षेत्र में एक त्वरित कार्यदल (RRT) का गठन आवश्यक है। त्वरित कार्यदल (RRT) संबन्धित रेंज अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा तथा (RRT) का मुखिया फारेस्टर रैंक का कर्मचारी होगा। त्वरित कार्यदल में एक बायोलॉजिस्ट, समाज विज्ञानी सामाजिक कार्यकर्ता पशुचिकित्सक एवं वन विभाग का फ्रन्टलाईन स्टाफ तैनात किया जाना आवश्यक है। त्वरित कार्यदल



मुख्य कार्यकर्ता- त्वरित कार्यदल/वन विभाग, फसल क्षति निरोधक दस्ता।

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-

पुलिस, ग्राम प्रधान/ सरपंच/ गांव का मुखिया, सिविल प्रशासन (जिलाधीश) एवं सम्बन्धित सिविल सोसाइटी के संस्थान, विद्युत परिषद



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

आवाज करने वाले संयंत्र (ड्रम, पटाखे, हार्न), मिर्च के पाउडर का छिड़काव, रबड़ बुलेट, मेगाफोन सिस्टम/लाउड स्पीकर, सर्च लाइट, सैम्पलिंग किट (हाथी के डंग आदि के नमूने डीएनए विश्लेषण हेतु।

मानव-हाथी संघर्ष न्यूनीकरण हेतु अभिविन्यासित (Oriented) होना आवश्यक है। उन्हें फील्ड गाइड बुक की जानकारी एवं हाथी के व्यवहार के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिये। त्वरित कार्यदल को प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रेंज अफसर, डिप्टी रेंजर, बीटगार्ड एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सूचना तंत्र को विकसित करने के लिए दो फोन न० स्थापित किये जाने आवश्यक है। एक टोल फ्री नम्बर- जिससे स्थानीय समुदाय तुरन्त त्वरित कार्यदल (RRT) से सम्पर्क स्थापित कर सके और दूसरा जिससे स्थानीय समुदाय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सके। यदि त्वरित कार्यदल (RRT) समय पर घटना स्थल पर तत्काल मदद हेतु नहीं पहुंचता है तो एक जबाबदेही विकसित करने के लिए



चित्र: आपातकालीन और सर्च लाइट के साथ चौपहिया वाहन।

यह सूचना तंत्र आवश्यक है।

(C) आपातकालीन संघर्ष में तैयारी:-

1. त्वरित कार्य दल को प्रत्येक गांव में सूचना तंत्र विकसित करना होगा जहाँ हाथियों का लगातार आवागमन बना रहता है, ताकि समय पर घटना की फ़सट हेन्ड सूचना प्राप्त हो सके।
2. सभी प्रासांगिक फोन न0 पर सूचना तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि त्वरित कार्यदल मदद हेतु आसानी से पहुंच सके। ये सभी फोन नम्बर्स वेबसाइट पर डिस्पले होने चाहिए और बेवसाइट स्थानीय ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध हो।
3. रेंज अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि त्वरित कार्यदल का वाहन अच्छी दशा में हो और सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हों। जैसे-हार्डमस्ट लाइट, एक माइक्रो फोन और स्पीकर सायरन सहित,

यदि हाथियों को भगाना आवश्यक हो।

(D) आपातकालीन संघर्ष में उपलब्धता:-

मानव-हाथी संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों में त्वरित कार्यदल को 24/7 (चैबीसों घंटे) उपलब्ध रहना चाहिए।

1. ग्रामीणों को निम्नलिखित घटनाक्रम घटित होने पर त्वरित कार्यदल को सूचित करना चाहिए:-
 - (a) हाथी मानव बस्ती में घुस गया हो और सम्पत्ति और जनमानस को नुकसान की आंशका हो।
 - (b) मानव उपस्थिति के कारण हाथियों पर संकट हो।
 - (c) एक जंगली हाथी असामान्य व्यवहार करता पाया गया।
 - (d) हाथी मृत अवस्था मे पाया गया हो।
2. त्वरित कार्यदल (RRT) को बुलाए जाने पर एक घंटे के अंतराल पर घटनास्थल पर पहुंच जाना चाहिए।

नोट:- त्वरित कार्यदल को गांव वालों को हाथी के बारे में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि वे कहां पर हैं और कितनी देर में गांव से बाहर जा सकते हैं।

(E) हाथियों पर संकट कम करना:-

संघर्ष से और संघर्ष के दौरान जब त्वरित कार्यदल आपातकालीन परिस्थितियों से निबट रहा हो तो संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों से त्वरित कार्य दल (RRT) को हाथियों की जान को संकट में डालने वाले प्राणघातक बाड़, नंगे लटकते बिजली के तार, चारा लगाकर बनाये गये बिजली के जाल को तत्काल हटा देना चाहिए। त्वरित कार्यदल को डिजिटल बोल्ट मीटर का प्रयोग कर प्राण घातक बाड़ में करंट नापने के लिये करना चाहिये।

आपातकालीन परिस्थिति-1

जब हाथी संघर्ष गांव और कृषि भूमि के समीप/हाथी के प्राकृतवास के सटे हुए क्षेत्र में हो।

उद्देश्य:-

इस भाग में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग और त्वरित कार्यदल (RRT) कैसे हाथियों को मानव बस्ती से बगैर मनुष्यों को घायल करे या जान/संपत्ति को नुकसान पहुँचाए दूर किया जा सकता है, और दोबारा हाथियों के प्रवेश को कैसे रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त आँकड़ों का संकलन कर मानव-हाथी संघर्ष को रोकने का प्रयास इस भाग में किया जाएगा।

आँकड़ों का संकलन मानव-हाथी संघर्ष के निराकरण की प्रक्रिया के दौरान किया जायेगा जैसा कि प्रासंगिक होगा। यह भाग हाथियों के द्वारा प्राकृतवास के सटे संघर्ष पर केन्द्रित है तथा अगला भाग मानव बस्ती में प्रवेश पर केन्द्रित होगा।

- अनुग्रह धनराशि और सम्पत्ति के नुकसान की डाटाशीट।
- नये सम्बन्धित हाथियों के प्रवेश का उल्लेख।
- जाने पहचाने हाथियों का डाटा संकलन।

सहायक सन्दर्भ:-

सामान्यतः हाथी कृषि भूमि में रात्रि को प्रवेश करते हैं और जंगल या चाय बागान एवं उसी प्रकार के वनीकरणों में शल्टर हेतु प्रवेश करते हैं। इस प्रकार की हाथियों की ज्यादातर गतिविधियां शाम और सुबह के बीच सक्रिय होती है।

अनुशंसित अभ्यास:-



मुख्य कार्यकर्ता-त्वरित कार्यदल/ वन विभाग, फसल क्षति निरोधक दस्ता।

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों का शामिल करना:- पुलिस, ग्राम प्रधान/ सरपंच/ गांव का मुखिया, सिविल प्रशासन (जिलाधीश) एवं सम्बन्धित सिविल सोसाइटी के संस्थान, विद्वत् परिषद




उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

आवाज करने वाले संयंत्र (ड्रम, पटाखे, हार्न), मिर्च के पाउडर का छिड़काव, रबड़ बुलेट, मेगाफोन सिस्टम/लाउड स्पीकर, सर्च लाइट, सैम्पलिंग कीट (हाथी के डंग आदि के नमूने डीएनए विश्लेषण हेतु।

जब कभी हाथी अपने प्राकृतवास के समीप के क्षेत्रों में संघर्ष में शामिल होते हैं तो निम्न प्रकार मुख्य दो उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए:-

1. जब कभी संघर्ष से हाथी वापस अपने प्राकृतवास में प्रवेश करते हैं तो यह सुनिश्चित करना कि न तो हाथियों या मनुष्यों का नुकसान हो और सम्पत्ति का कम से कम नुकसान हो।

A line drawing of an elephant in a field. The elephant is in the foreground, facing right. Behind it is a field of tall grass. In the background, there is a forest boundary represented by a grey silhouette of trees and a hill. The text "Forest Boundary" is written in bold black font above the forest, and "Nearby Fields" is written in bold black font inside a white oval in the field.

Forest Boundary

Nearby Fields

2. प्रत्येक हाथी के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठा करना जो संघर्ष में शामिल है।

B. संबंधित अधिकारी को सूचित करना:-

जैसे ही त्वरित कार्यदल को संघर्ष की घटना के बारे में सतर्क कर दिया जाता है, उनका हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उन्हें रेंज अफसर/डिप्टीरेंजर को तदुसार सूचित कर देना चाहिए कि वे कब और कहाँ हस्तक्षेप/ कार्यवाही करने की योजना बना रहे हैं। इस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी और उप प्रभागीय वनाधिकारी को स्थिति के बारे में सूचित करते हुए, जितना संभव हो सके घटनास्थल पर पहुंच जायें।

C. फील्ड की परिस्थितियों का तत्काल आंकलन:-


1. त्वरित कार्यदल (RRT) और फारेस्ट अफसर इन्चार्ज क्षेत्र के रेंज अफसर को चाहिए कि:

- जीवन के लिये घातक किसी भी परिस्थिति का तत्काल पता लगाना चाहे वह हाथी के लिए हो या मनुष्य के लिए (जैसे घरों का क्षतिग्रस्त होना या हाथी को बिजली के तारों से खतरा)
- यह सुनिश्चित करना कि कितने हाथी समस्या पैदा कर रहे हैं।
- यह पता लगाना कि हाथी कहाँ से आए हैं।

2. त्वरित कार्यदल (RRT) और फारेस्ट अफसर इन्चार्ज को यह सुनिश्चित करना कि निम्न बिन्दु कार्यवाही में शामिल कर लिये गये हैं:-

- हाथियों का लगातार अनुश्रवण (आदर्श रूप में यह कार्यवाही रेंज अफसर के नेतृत्व में हो)
- स्थानीय समुदायों/ग्राम प्रधान, सरपंच, ग्राम मुखिया के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखना और उन्हें भी सही निर्णय की जानकारी देना।
- यदि घटना स्थल पर मीडिया की उपस्थिति हो तो मीडिया से लगातार संवाद कायम करना और उनके सवाल को जबाब देना। यह कार्य जहाँ तक संभव हो

सूचना
संबंधित अधिकारी:



सके ए सीएफ/डीसीएफ या उच्चधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

D. हाथियों को मानव बस्ती से दूर से दूर हटाना या खदेड़ना:-

यदि हाथियों द्वारा भवनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा हो तो त्वरित कार्यदल (RRT) और फसल क्षति निरोधक दस्ते (RRT) की पहली प्राथमिकता क्षतिग्रस्त भवनों से स्थानीय समुदायों की सुरक्षा करना (इसके लिए मौके से हाथियों को खदेड़ना होगा तथा उन विशेष भवनों को परिस्थिति के अनुसार खाली करवाना होगा ताकि मानव सुरक्षित रह सके।

E. बिजली के तारों से हाथियों को बचाना:-

यदि हाथी क्षेत्रों की तलाश में हो या उन क्षेत्रों में जा रहे हो जहाँ इलक्ट्रोक्वैशन की संभावना हो तो त्वरित कार्यदल और वन विभाग को बिजली के झूलते हुए के तारों से हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए तथा स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति को बंद करना चाहिए।

F. भीड़ का प्रबंधन:-

अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से पुलिस तथा अग्नि शमन दल को हाथियों के चारो ओर जमी भीड़ को क्षेत्र से हटाने में सहयोग करना चाहिए।

1. कम से कम 100 मी0 (या आदर्श रूप में 250 मीटर की) दूरी तक स्थानीय ग्रामीणों को हाथियों वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए और हाथियों के आवागमन के मार्ग उनके प्राकृतवास के बीच में मनुष्य की उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए।

2. यदि भीड़ अनियन्त्रित हो रही हो तो सिविल प्रशासन को घटनास्थल पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा देनी चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी न हो।

3. यदि हाथी अनाज, नमक और स्थानीय कच्ची शराब की खोज में मानव बस्ती में आते हैं तो इन आकर्षित करने वाले स्थानों से स्थानीय ग्रामीणों को तत्काल हटवा देना चाहिए, ताकि कोई घायल न हो।

G. कृषि फसल के क्षेत्रों से हाथियों को हटाना/खदेड़ना:-

त्वरित कार्यदल (RRT) और फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) या अन्य स्थानीय प्रशिक्षित समुदायों के सदस्यों के साथ (उपलब्धता के अनुसार) समन्वय स्थापित कर निम्न कार्यवाही का अनुसरण करना चाहिए कि कैसे हाथियों को कृषि फसल क्षेत्र से भगाया जा सके। यह कार्यवाही उप प्रभागीय वनाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में सम्पन्न होनी चाहिए।

1. इस बात की पहचान करना कि क्या हाथी सक्रिय रूप से कृषि फसल खाने के लिए आ रहे हैं या मात्र क्षेत्र से गुजर रहे हैं। यदि हाथी केवल क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो कोई भी कार्यवाही हाथियों को रोकने हेतु नहीं करनी चाहिए अन्यथा वे घबराहट में फसल को नष्ट कर सकते हैं। यदि हाथी फसल खाने के लिए आ रहे हैं तो खदेड़ने की कार्यवाही अमल में लानी चाहिए।

2. यदि हाथी चाय या कौफी के बगीचे में घुसे हों तो रात्रि में कम दृष्यता के कारण नहीं भगाना चाहिए। अन्यथा इस कदम से हाथी भगाने वाली टीम को खतरा हो सकता है। यदि इन बागानों से मानव सुरक्षा के लिए हाथियों को भगाना आवश्यक है तो सूर्यास्त से पूर्व यह कार्यवाही अमल में लानी चाहिए।

3. हाथियों को भगाने से पूर्व त्वरित कार्यदल (RRT) को मौखिक रूप से, लाउडस्पीकर से और सायरन के द्वारा भीड़ को चेतावनी जारी करनी चाहिए ताकि मनुष्यों का हाथी से आमना-सामना न हो। सभी स्थानीय नागरिकों और तमाशबीनों को हाथियों से लगभग 250 मीटर की दूरी पर चले जाने को कहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शराब या ड्रग्स के नशे से प्रभावित है तो वह हाथी की चपेट में आ सकता है, क्योंकि वह दिये गये निर्देशों पर ध्यान नहीं देता और उसकी प्रतिक्रिया का समय बहुत धीमा होता है अतः ऐसे व्यक्ति को भी सुरक्षा की दृष्टि से हाथियों से दूर रखना अनिवार्य होगा क्योंकि वे आसानी

से हाथियों द्वारा दबोचे जा सकते हैं। प्रभारी अधिकारी को नशे वाले व्यक्ति को ड्राइविंग आप्रेशन से दूर रखना चाहिए।

4. हाथियों को खदेड़ने/हटाने की प्रक्रिया सदैव एक सुरक्षित दूरी से आवाज करने वाले संयंत्रों या पटाखों का प्रयोग कर प्रारम्भ करनी चाहिए। यदि हाथी इन उपायों से दूर नहीं हटते हैं और भगाने वाली टीम पर आक्रमण करते हैं तो मिर्च पाउडर का स्प्रे या रबर बुलेट प्रयोग की जा सकती है। रबर बुलेट तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब आवाज करने वाले संयंत्रों के प्रयोग से हाथी पीछे नहीं हटते हैं और इस बात का खयाल रखा जाना चाहिए कि रबर बुलेट का फायर हाथी के सिर और आँख पर न लगे। कदाचित यदि हाथी आक्रामक व्यवहार करे, तो त्वरित कार्यदल (RRT) को तुरंत वाहन में बैठ जाना चाहिए और हाथी से दूर हो जाना चाहिए।

5. कुछ घटनाओं में हाथी वापस उसी स्थान पर आ सकते हैं, जहाँ से उन्हें खदेड़ा गया है तो त्वरित कार्यदल (RRT) को कुछ देर इंतजार करना चाहिए। इस परिस्थिति से बचने के लिए के लिए हाथी वाले दल को वन सीमा के आस-पास पैट्रोलिंग करते रहना चाहिए ताकि हाथी पुनः वापस न आ सके। इन इलाकों में कम से कम दो दिन तक सतर्कता बरतनी चाहिए। संबंधित बीटगार्ड और अन्य स्टाफ को हाथियों की स्थिति के बारे में निरन्तर सूचना एकत्रित करते रहना चाहिए।

H. क्षतिग्रस्त अवरोधक (बैरियर) का पुनर्निर्माण:-

हाथियों को मानव वस्ती में बलात प्रवेश से रोकने के लिए निर्मित बाड़, सीमेन्ट के कंकरीट से निर्मित कम्पाउन्ड दीवार या खाई, मानव-हाथी संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये सभी बैरियर (अवरोधक) चाहे वो सरकारी सम्पत्ति हो या निजी सम्पत्ति हो उनकी तत्काल मरम्मत की जानी आवश्यक है, ताकि हाथी पुनः इन कमजोर स्थानों से बलात मानव बस्ती में प्रवेश न कर सके। निजी बैरियर के मालिकों से त्वरित कार्यदल (RRT) द्वारा सम्पर्क कर उन्हें बैरियर की मरम्मत हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए।

I. व्यक्तिगत या अकेले हाथियों की पहचान:-

मानव-हाथी संघर्ष के दौरान और बाद में जहाँ कहीं भी संभव हो व्यक्तिगत (एकड़ या अकेले) हाथी के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े इकत्रित किये जाने चाहिए।

1. जहाँ कहीं भी संभव हो ऐसे हाथियों की विशेष पहिचान हेतु उनकी फोटो विभिन्न कोणों से ली जानी चाहिए। फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) के सदस्यों को हाथियों की पहिचान हेतु फोटो लेने बावत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2. यदि प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा सेपमलिंग एकत्रित करने की अनुमति दी जाती है तो हाथी के गोबर (Dung) को इकट्ठा कर उसका डीएनए विश्लेषण किया जाना चाहिए।

J. मानव-हाथी संघर्ष के दौरान हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त फसल और सम्पत्ति के आंकड़े इकत्रित किये जाने चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को समुचित अनुग्रह धनराशि (मुआवजा) भुगतान किया जा सके।

आपातकालीन परिस्थिति -2

यदि हाथियों की उपस्थिति उनके प्राकृतवास से दूर हो गयी हो:-

इस भाग का उद्देश्य:-

अधिकारीगणों के द्वारा कोई हस्तक्षेप/कार्यवाही करने से पूर्व कभी-कभी हाथी अपने प्राकृतवास से बहुत दूर मानव बाहुल्य बस्ती में प्रवेश कर जाते हैं। हस्तपुस्तिका के इस भाग में उन उपायों का उल्लेख किया गया है जिनसे वन विभाग और त्वरित कार्यदल (ररट) द्वारा हाथियों को मानव बाहुल्य बस्ती से किसी सम्पत्ति या मानव को क्षति पहुँचाए बिना और खुद हाथियों को नुकसान पहुँचाये बिना वापस उनके मूल प्राकृतवास में भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानव-हाथी संघर्ष के ट्रेंड को जानने के लिए आंकड़ों का भी संकलन किया जाना आवश्यक है। अन्ततः क्षति से संबंधित आंकड़ों का भी संकलन किया जायेगा ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। डाटा शीट भी निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार भरी जायेगी।

सहायक सन्दर्भ:-

हाथी जब कभी अपने प्राकृतवास से दूर मानव बाहुल्य बस्ती में घुस जाते हैं तो स्थानीय समुदाय प्रायः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में हाथियों एवं स्थानीय नागरिकों दोनों के लिए गंभीर जोखिम की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं और हाथी गुमराह एवं आक्रामक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों को किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।




मुख्य कार्यकर्ता-त्वरित कार्यदल/वन विभाग

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-
पुलिस, ग्राम प्रधान/ सरपंच/ गांव का मुखिया, अग्निशमन विभाग/ सिविल प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

मोबाइल वायरलेस, संचार उपकरण जैसे वाकी टाकी और वाहनों में समायोजित वायरलेस, आवास करने वाले संयंत्र जैसे (ड्रम, पटाखे, हार्न), चिल्ली पेपर स्प्रे, रबर बुलेट, मेगाफोन सिस्टम/ लाउडस्पीकर, सर्च लाइट, सैम्पलिंग किट (हाथी के गोबर का डीएनए विश्लेषण हेतु)



अनुशासित अभ्यास:-

A. जब हाथी मानव बस्ती में प्रवेश कर जाए :-

इस भाग का उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो संभव हो सके हाथियों को सुरक्षित वापस उनके प्राकृतवास में खदेड़ दिया जाये। यदि कदाचित ऐसा संभव न हो तो और हाथियों के चारों ओर मनुष्य और उनकी सम्पत्ति मौजूद हो तो हाथियों को टेकुलाइज कर सुरक्षित उनके प्राकृतवास में भेजा जा सकता है। इस प्रकार ऑपरेशन का उद्देश्य है कि:-

1. हाथियों को सुरक्षित बगैर हाथियों, मनुष्यों और सम्पत्ति के नुकसान के वापस उनके प्राकृतवास में स्थानांतरित करना।
2. अकेले/व्यक्तिगत हाथी के संबन्ध में आंकड़े एकत्रित करना।

B. मानव बस्ती के समीपस्थ हाथियों के संबन्ध में सूचना प्राप्त करना:-

वन विभाग के फील्ड स्टाफ और त्वरित कार्यदल (RRT) को तत्काल मौके से सूचना प्राप्त करनी चाहिए।

C. वन विभाग से संबन्धित अधिकारियों और अन्य विभागों को सूचित करना:-

जैसे ही संघर्ष की घटना के संबन्ध में त्वरित कार्यदल (RRT) को कार्यवाही हेतु सतर्क किया जाता है तो तत्काल संबन्धित रेंज अफसर, डिप्टी रेंजर को सूचित किया जाना चाहिए। इन अधिकारियों द्वारा डी0सी0एफ0 और एसीएफ को सूचित कर तत्काल जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुंचना चाहिए। संबन्धित रेंज अधिकारी/डिप्टी रेंजर को अन्य स्टाफ को भी मौके पर पहुंचने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

जब हाथी मानव बस्ती के बहुत करीब हों तो भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना से बचने के लिए संबन्धित विभागों (जैसे पुलिस अग्निशमन और सिविल प्रशासन) को भी तदनुसार सूचित करना चाहिए। यदि मौके पर मनुष्य के घायल

होने या मृत पाये जाने की सूचना हो तो एम्बुलेन्स भी मौके पर सहायता हेतु बुलाई जानी चाहिए।

D. फील्ड की परिस्थितियों का शीघ्रतम आंकलन:-

1. त्वरित कार्यदल (RRT) और संबन्धित रेंज अफसर को चाहिए कि वे -

- a. हाथियों और मनुष्यों के किसी भी जीवन संकट की परिस्थितियों जैसे (मकान क्षति या बिजली के तारों द्वारा हाथी को नुकसान के जोखिम) की दशा में तत्काल पता लगाया जाना चाहिए।
- b. मौके पर कुल हाथियों की संख्या का आंकलन सुनिश्चित करना और समस्या ग्रस्त हाथी की पहचान करना।
- c. यह पता लगाना कि हाथी कहाँ से और किस दिशा से आए हैं।

2. त्वरित कार्यदल (RRT) और संबन्धित प्रभारी वन अधिकारी द्वारा निम्न कार्यवाही भी की जानी होगी:-

- a. हाथियों का सतत अनुश्रवण करना।
- b. स्थानीय ग्रामीण के साथ लगातार तर्कयुक्त संवाद सुनिश्चित करना तथा ऐसे व्यक्ति को निर्देश देना जिसके स्थानीय समुदायों से अच्छे संबन्ध हों। ग्राम प्रधान सरपंच और ग्राम मुखिया को सभी फैसलों से सूचित करना चाहिए।
- c. यदि मीडिया के लोग उपस्थित हों तो उनके साथ ए0सी0एफ0 और डी0सी0एफ0 द्वारा संवाद करना चाहिए।

E. हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों में लोगों की सुरक्षा करना:-

यदि हाथियों द्वारा भवन क्षतिग्रस्त कर दिये गये हों तो त्वरित कार्यदल (RRT) और फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) को प्राथमिकता के साथ स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस कार्यवाही में या

तो हाथियों को मानव बस्ती से हटाया जाना चाहिए या लोगों को सुरक्षित क्षतिग्रस्त घरों से बाहर निकाला जाना चाहिए। (परिस्थिति के अनुसार विशेष भवन पहले)

F. भीड़ का प्रबन्धन:-

पुलिस और अग्निशमन दल के सहयोग से त्वरित कार्यदल (RRT) और फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) को हाथियों के चारों ओर या आस-पास से लोगों की भीड़ को हटाया जाना चाहिए। ग्राम प्रधान, सरपंच, गाँव के मुखिया को सभी फैसलों से अवगत कराया जाना चाहिए।

1. दिन के समय घटना स्थल से जहाँ पर हाथी मौजूद हो से लगभग कम से कम 100 मीटर से या आदर्श रूप में 250 मीटर के दायरे तक स्थानीय ग्रामीणों को हटा देना चाहिए और उस क्षेत्र की तब तक घेराबंदी की जानी चाहिए जब तक हाथी अपने प्राकृतवास में वापस न चले जायें।

2. अवांछित या अनधिकृत लोगों को घटनास्थल के नजदीक नहीं आने देना चाहिए।

3. यदि घटनास्थल पर भीड़ अनियंत्रित हो गई हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 लागू कर देनी चाहिए।

4. जहाँ हाथी स्टोर किये गये अनाज और कच्ची शराब की खोज में आते रहते हैं ऐसी स्थिति में उचित होगा कि स्थानीय लोगों को इन आर्कषण स्थानों से तत्काल हटा देना चाहिए, ताकि कोई घायल न हो।

G. बिजली के तारों से हाथियों की मृत्यु की घटनाओं को रोकना:-

बिजली के नंगे तारों से जहाँ हाथियों की सुरक्षा के लिये खतरा बना हो तो त्वरित कार्यदल को उसे क्षेत्र के बिजली विभाग को तार हटाने से संबंधित तथा स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग को विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए सूचित करना चाहिए।

H. हाथियों को खदेड़ने की तैयारी (जहाँ संभव हो):-

दिन के समय हाथियों को लम्बी दूरी के लिए खदेड़े जाने की सलाह नहीं दी जा रही है, क्योंकि दिन के उजाले में हाथी आवागमन का विरोध करते हैं, इसके अतिरिक्त दिन के समय जंगलों के बाहर मानवीय गतिविधियाँ अत्यधिक होती हैं अतः हाथियों को जंगल में भगाने की योजना शाम के समय बनानी चाहिए। सामान्यतः हाथी जंगलों में वापस उसी रास्ते वापस जाते हैं जिससे वे जंगल से बाहर आये हैं। हाथी भगाने वाले कार्यदल को चाहिए कि वे हाथियों के जंगल से बाहर आने वाले रास्ते को जांच कर लें। हाथियों को उनके प्राकृतवास में खदेड़ने का सम्पूर्ण ऑपरेशन उप प्रभाग वनाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में किया जाना चाहिए अन्यथा यह तब तक कतई असंभव है।

1. दिन के समय जहाँ हाथी दिखाई देते हैं उस स्थान की घेराबंदी कर लेनी चाहिए।

2. यदि उस स्थान पर पानी नहीं है और पशु चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि हाथी डीहाइड्रेशन के कारण खतरे में है तो वहाँ पर तत्काल टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. त्वरित कार्यदल (RRT) और ग्राम्य सदस्यगण जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं हो आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होने चाहिए।

4. हाथी के खदेड़े जाने वाले रास्तों के आस-पास पड़ोस में रहने वाले गाँवों के लोगों को सतर्क कर दिया जाना चाहिए।

5. जहाँ कहीं भी हाथियों को रोकने के लिए पावर फैन्स और रेल पट्टी के बैरियर (अवरोधक) स्थापित किये गये हो उन्हें हाथियों को खदेड़ने के समय खोल देना चाहिए।

6. यदि कुंकी हाथी (प्रशिक्षित हाथी) उपलब्ध हो तो उनकी मदद से जंगली हाथियों को रात्रि में जंगल में खदेड़ा जाना चाहिए।

I. हाथी भगाओ अभियान संचालन प्रक्रिया:-

आदर्शतम रूप में हाथी स्वयं ही धीरे-धीरे अपने प्राकृतवास में जाने के लिए सक्रिय होते हैं। त्वरित

कार्यदल (RRT) हाथियों को चलायमान करने में सहायक हो सकते हैं खासकर तब जब हाथी मानव वस्ती में भटक गये हों। ऐसी परिस्थिति में अचानक मुठभेड़ से बचने के लिए एक अग्रिम दल को गांव वालों को सतर्क रहने हेतु भेज देना चाहिए।

1. यदि हाथी अपनी सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हाथियों के गतिमान होने से पूर्व त्वरित कार्यदल (RRT) को चाहिए कि वे लाउडस्पीकर द्वारा या मौखिक रूप से गांव वालों की भीड़ को सतर्क करें ताकि हाथियों से संभावित मुठभेड़ की घटना से बचा जा सके।

2. हाथियों को खदेड़ने की प्रक्रिया सुरक्षित दूरी से प्रारम्भ करनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान तेज चमकती हुई रोशनी, आवाज करने वाले यंत्र और पटाखों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हाथी कोई प्रतिक्रिया न करे तो टीम को मिर्च पाउडर का स्प्रे और रबर बुलेट का प्रयोग करना चाहिए। रबर बुलेट उजाले में ही प्रयोग की जानी चाहिए। यदि हाथी आक्रामक व्यवहार करे तो त्वरित कार्यदल (RRT) को तत्काल सुरक्षित वाहन में बैठ जाना चाहिए और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए।

3. हाथियों को उनके स्वाभाविक प्राकृतवास में खदेड़ने के बाद बचाव दल को प्राकृतवास की सीमा पर अगली रात तक गस्त करनी होगी, क्योंकि हाथी पुनः वापस आने का प्रयास कर सकते हैं। इस क्षेत्र में लगातार दो दिन तक सतर्कता बरतनी आवश्यक है। संबंधित क्षेत्र के बीडगार्ड और सैकन अफसर को इन हाथियों के संबन्ध में अधिकतम सूचनाएं उनकी उपस्थिति के संबन्ध में इकत्रित करनी चाहिए।

J. क्षतिग्रस्त अवरोधको (बैरियर्स) का पुनर्निर्माण:-

मानव बस्ती में हाथियों के बलात प्रवेश को रोकने के लिए जो अवरोधक-तारवाड़, सीमेन्ट कंकरीट की कम्पाउंड दीवार, या खाईयां स्थापित की गई है वे मानव-हाथी संघर्ष से पहले या संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये अवरोधक या तो निजी क्षेत्र या सरकारी स्वामित्व के हो सकते हैं, जिनका पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक होगा, ताकि हाथियों के प्रवेश को इन कमजोर स्थानों से रोका जा सके।

सरकारी अवरोधक होने की दशा में त्वरित कार्यदल (RRT) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वन विभाग स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इन अवरोधकों की मरम्मत सही तरीके से कर सके। निजी स्वामित्व के अवरोधक होने की दशा में त्वरित कार्य दल (RRT) को उनसे सम्पर्क कर इन अवरोधकों के मरम्मत में आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए।

K. यदि लम्बी दूरी तक हाथियों को खदेड़ा जाना सम्भव न हो:-

यदि हाथी सहयोग नहीं कर रहे हों या हाथियों के खदेड़े जाने का रास्ता साफ व सुगम न हो तो ऐसी दशा में हाथियों को ट्रेकुलाइज कर उनके प्राकृतवास में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

L. व्यक्तिगत या अकेले हाथी की पहचान करना:-

मानव-हाथी संघर्ष के दौरान या बाद में जब कभी संभव हो संघर्ष में शामिल हाथियों के संबन्ध में उनकी पहचान के बारे में आंकड़े इकत्रित किए जाने चाहिए।

1. जो हाथी संघर्ष में शामिल हो उनके प्रमुख पहचान की विशेषताएं चिन्हित करने के लिए उनके विशेष कोणों से फोटोग्राफ्स लिये जाना आवश्यक है।

2. डी0एन0ए0 विप्लेशन के लिए हाथी के गोबर (Dung) का नमूना भी लिया जाना चाहिए।

M. मुआवजा या अनुग्रह धनराशि के भुगतान हेतु मानव-हाथी संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के आंकड़े इकत्रित परिसम्पत्तियों के आंकड़े इकत्रित किए जाने आवश्यक है ताकि मानव-हाथी संघर्ष से पीड़ितों को समुचित मुआवजा या अनुग्रह धनराशि प्रदान की जा सके।

आपातकालीन -परिस्थिति-3

हाथी/हाथियों द्वारा मनुष्यों को मार दिया गया या गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने पर

इस भाग के उद्देश्य:-

ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 500 लोग हाथियों द्वारा मारे जाते हैं, और बहुत से लोग घायल होते हैं। हस्त पुस्तिका का यह भाग प्राधिकृत अधिकारियों को इन त्रासदियों से बचाने में रचनात्मक रूप से सहयोग करेगा और तत्काल स्वास्थ्य सुविधा (Medical aid) जितनी आवश्यक हों उपलब्ध कराने, समुचित रूप से पीड़ित परिवारों को अनुग्रह धनराशि (मुआवजा) भुगतान किए जाने, घटनाओं से सम्बन्धित सटीक व सही आँकड़ों का संकलन, उचित निर्णय लेने एवं भविष्य में हाथियों या मनुष्यों को हानि होने से रोकने के संबन्ध में मार्ग निर्देशित करना सुनिश्चित करेगा।

डाटा शीट प्रासंगिक हस्तक्षेप के दौरान भरी जायेगी।

अनुशंसित अभ्यास

A. जब हाथी द्वारा मनुष्यों को घायल किया जाता है तब निम्न कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जायेगी।

1. घायल किए गए उपचार हेतु जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि आक्रमणकारी हाथी पुनः कोई संकट पैदा न कर दें।
3. मानव-हाथी संघर्ष में पीड़ित को समुचित अनुग्रह धनराशि या मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक आकड़े इकट्ठित करना।
4. आक्रमणकारी हाथी/हाथियों की पहचान हेतु मौके पर आंकड़े इकट्ठित करना।



मुख्य कलाकार:

आरआरटी/वन विभाग

शामिल करने के लिए अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां:

स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत, ग्राम प्रधान/सरपंच/ग्राम नेता, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन:

वायरलेस वॉकी टॉकी और वायरलेस फिटेड वाहन (ताकि सभी प्रतिभागी समन्वय कर सकें), एम्बुलेंस, मेडिकल किट, हाथी के गोबर के लिए नमूना किट (डीएनए निष्कर्षण को सक्षम करने के लिए), घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रैचर; बॉडी बैग की जरूरत हो सकती है जहां लोगों की मौत हुई है।

A. यदि कोई व्यक्ति हाथी द्वारा घायल कर दिया गया है और यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वह मर चुका है:-

1. किसी भी व्यक्ति/प्राधिकृत अधिकारी जो मौके पर हो, उसे तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचित कर घायल व्यक्ति को तुरंत निःशुल्क उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. त्वरित कार्यदल (RRT) को चाहिए कि वे समीपस्थ

वीटगार्ड और रेंज आफिस को सूचित करें।

3. संबधित रेंज अधिकारी को चाहिए कि वह घटना की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी को देना सुनिश्चित करें और जितना जल्दी संभव हो सके घटना स्थल पर पहुंच जायें। रेंज अधिकारी को चाहिए कि वह तत्काल स्टाफ को घटनास्थल पर तैनात करने के लिए मोबलाइज करें।

B. यह सुनिश्चित करना कि आक्रमणकारी हाथी अब फिर कोई संकट पैदा न करे:-

यदि हाथी वापस जंगल नहीं लौटा है, तो उसके ठिकाने के बारे में उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जो उस समय घटना स्थल के समीप उपस्थित थे।

1. जो हाथी संघर्ष में शामिल हैं उनके प्रमुख पहिचान की विशेषतायें चिन्हित करने के लिए विशेष कोणों से अपनी व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर फोटोग्राफ्स लिए जाने चाहिए।

2. उन दिशा निर्देशों का अनुपालन करना जो आपातकालीन परिस्थिति-1 में वर्णित है। हाथियों की लोकेशन पता कर उन्हें वापस उनके प्राकृतवास में खदेड़ना चाहिए। यदि आक्रमणकारी हाथी लगातार मानव मृत्यु के लिए उत्तरदायी है और ये घटनाएं मात्र दुर्घटना नहीं है तो जिम्मेदार अधिकारियों को हाथी को खदेड़ने के लिए सही मायने में कठोरतम कार्यवाही अमल में लानी चाहिए।

C. मानव मृत्यु/घायल किए जाने की घटनाओं के फील्ड स्तरीय आंकड़े इकत्रित किये जाने चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति/परिवार को समुचित मुआवजा (अनुग्रह धनराशि) का भुगतान संभव हो सके तथा आपस में ऐसी समझदारी विकसित हों सके जिसके द्वारा उन कारणों का पता चल सके कि इस तरह की घटनाएँ क्यों घटित हो रही हैं।

1. घटनास्थल पर उपस्थित साक्षीगणों से यह पूछताछ की जानी आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे घट रही है। मानव मृत्यु/घायल की दशा में अनुग्रह धनराशि भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र का अभिलेखीकरण करना चाहिए और अन्य कोई वांछित कागजी कार्यवाही भी पूर्ण कर लेनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण विवरण जैसे-मृतक की पहिचान, तारीख,

समय, स्थान और घटना की अन्य ज्ञात परिस्थितियाँ। यहां पर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति की मौत मात्र दुर्घटना है या संबधित व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या संबधित व्यक्ति या लोगों के द्वारा हाथी के समूह को उकसाया गया हो या हाथी को बगैर उकसाये या हाथी के असंगत आक्रमक व्यवहार से दुर्घटना घटी हों।

2. मानव-हाथी संघर्ष से पीड़ित व्यक्ति को समुचित मुआवजा/अनुग्रह धनराशि भुगतान हेतु हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के संबन्ध में आंकड़े एकत्रित करना। इस कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र का प्रयोग किया जाये।

K. व्यक्तिगत/अकेले हाथी की पहिचान करना:-

मानव-हाथी संघर्ष की घटना के दौरान या बाद में जब कभी संभव हो संघर्ष में शामिल हाथी की पहिचान करने के संबन्ध में आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त हाथियों के फोटोग्राफ्स तथा डी.एन.ए विश्लेषण के लिए हाथी के गोबर (Dung) के नमूने लेने चाहिए। यदि भिन्न-2 प्रकार के गोबर (Dung) के ढेर घटना स्थल पर पाए जाते हैं तो यह उचित होगा कि उन सभी के नमूने ले लिए जाये, खासकर तब जब घटनास्थल पर भिन्न-2 प्रकार के हाथी मौजूद हों।



L. मानव-हाथी संघर्ष के दौरान मृत्यु:-

1. मानव-हाथी संघर्ष के दौरान मनुष्य की मृत्यु होने पर पुलिस और राजस्व विभाग को सभी आवश्यक वैधानिक अभिलेखीकरण कर लेना चाहिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना चाहिए।
2. त्वरित कार्यदल (RRT) को सरकारी अस्पताल द्वारा दी गयी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति ले लेनी चाहिए और उसे सम्बन्धित एजेंसी वन विभाग को उपलब्ध करा देना चाहिए। सभी आवश्यक अभिलेख मृतक के आश्रित को अनुग्रह धनराशि भुगतान के लिए तैयार की गयी पत्रावली में रख देना चाहिए।
3. हाथियों द्वारा मनुष्यों को बार-बार मारे जाने के सम्बन्ध में (यदि ये घटनाएं अकस्मात दुर्घटनाएं नहीं हैं) विशेषज्ञों की एक आपातकालीन बैठक हाथियों के व्यवहार के सम्बन्ध में बुलाई जानी चाहिए, जिसमें वन विभाग, राजस्व, पुलिस, पशुचिकित्सक, जनप्रतिनिधि उपस्थित हों। प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और अन्य प्राधिकृत अधिकारियों को इस बैठक की संस्तुतियों पर कार्यवाही से पूर्व विचार विमर्ष करना चाहिए। इन संस्तुतियों में- हाथियों के आवागमन के मार्ग को साफ करना ताकि हाथी आसानी से अपने प्राकृतवास में आवागमन कर सके, हाथियों को स्थानान्तरित करना या हटाना (कैद में रखना) जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इस निर्णय हेतु दिशा निर्देश इस हस्त पुस्तिका के भाग-4 में निहित है।

आपातकालीन परिस्थिति-4

हाथी बचाव में सरकारी प्रक्रिया

उद्देश्य

वर्तमान दौर में जब मानव बाहुल्य परिदृश्य में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तो कभी-कभी ये बदलाव हाथियों के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। इस हस्त पुस्तिका का यह भाग वन विभाग को हाथियों के बचाव की प्रक्रिया और गंभीर उपचार में समन्वय स्थापित करने के संबंध में मार्ग निर्देशित करेगा। निम्न तीन परिदृश्यों में या परिस्थितियों में इस भाग को केन्द्रित करते हैं:-

- जब हाथी किसी कुएँ में फँस गया हो या अवसाद की स्थिति में हो।
- जब हाथी जाल में फँस गया हो या अपरिष्कृत (कच्चे) बम के फटने से घायल हो गया हो।
- जब हाथी का बच्चा झुन्ड से बिछड़ गया हो।
- उचित कार्यवाही या हस्तक्षेप के दौरान डाटाशीट भरी जानी चाहिए जैसा कि प्रासंगिक हो।
- हाथी की मृत्यु या घायल होने की सारांश शीट।
- नए संदिग्ध हाथी का अभिलेख।
- चिर परिचित हाथियों की डाटा शीट।

अनुशासित प्रथाएं या अभ्यास:

(a) या तो कुएँ में फंसे हाथी, जाल में फंसे हाथी या अपरिष्कृत बम से घायल हाथी, या अनाथ हाथी का बचाव (कुछ प्राथमिकताएं पूरे परिदृश्य में एक जैसी होगी)

1. त्वरित कार्यदल (RRT) को तत्काल घटनास्थल पर पहुँच जाना चाहिए।
2. त्वरित कार्यदल (RRT) को हाथियों के इर्द-गिर्द भीड़ को इकट्ठित होने से रोकना होगा क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने से हाथी अनावश्यक रूप से तनाव में आ जायेंगे।



मुख्य कार्यकर्ता-त्वरित कार्यदल/ वन विभाग

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-
सिविल प्रशासन (मजिस्ट्रेट), पुलिस, अग्निशमन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, एनजीओ जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हों।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

बैक हो लोडर/एक्सकेवेटर, क्रेन, ट्रक, मोटी नायलोन की रस्सी, आधा फुट चौड़ी और 6 मी. लम्बी दो जोड़ी बैल्ट, ट्रैकुलाइजिंग गन, बेहोष करने और पुनः होष में लाने वाले ड्रग्स, फसूटएड किट, फोकस लाइट, टार्च लाइट, वायरलेस वाकी टाकीसेट, मशीन शा, चारा मिल्क पाउडर, फीडिंग बोटल (हाथी के बच्चे को रेस्क्यू करने हेतु)

3. जो लोग घटनास्थल पर बचाव हेतु हस्तक्षेप कर रहे हैं उन्हें सफलता के लिये कम से कम दखल करना चाहिए। पशु चिकित्सकों को भी भाग लेना चाहिए और हस्तक्षेप की प्रक्रिया चुननी चाहिए।
4. जहाँ कहीं पर जंगली हाथी तक पहुंचना संभव हो तो उस स्थान पर प्रशिक्षित हाथियों की सहायता से घायल हाथी और उसके झुण्ड के व्यवहार को समझना चाहिए।

निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:-

5. यदि हाथी के बचाव के लिए किसी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीन हाथी को घायल न करे। यदि मशीन का प्रयोग आवश्यक हो तो मशीन का वह भाग जो हाथी को छू रहा है वह भाग गुदगुदा व मुलायम हो। इसी प्रकार प्रशिक्षित हाथी (कुकी) को भी घायल हाथी को कम दबाव से संभालना चाहिए ताकि चोट लगने की संभावना कम हो।

6. किसी हस्तक्षेप या कार्यवाही का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हाथी जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और वापस जंगल में अपनी नियमित/पारम्परिक गतिविधियों में शामिल हो जाये। यदि पशु चिकित्सक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जानवर को जंगल में छोड़ने से पहले कुछ उपचार आवश्यक हैं तो जंगल में छोड़ने से पहले उपचार जरूरी है। उपचार के दौरान मनुष्यों को हाथी से कम से कम सम्पर्क रखना चाहिए। केप्रीविटी में हाथी को कम से कम रखा जाये और केप्रीविटी में रखने हेतु संबंधित मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनुमति आवश्यक है। (केप्रीविटी में रखे जाने संबन्धी निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है)

7. आदर्शतम रूप में जितना संभव हो सके संबंधित बचाव दल को जो हाथी के नजदीक है को व्यक्तिगत हाथियों के संबन्ध डाटाशीट भर लेनी चाहिए।

(b) परिस्थिति जन्य (बचाव) हस्तक्षेप जब हाथी गड्डे या खुले कुएं में गिर गया हो-

1. घटना स्थल पर जहाँ पर हाथी है की तत्काल घेराबन्दी कर देनी चाहिए ताकि लोगों की अनावश्यक भीड़ इकत्रित न होने पाये।

2. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि न्यूनतम व्यवधान हो।

3. यदि फंसे हुए हाथी के इर्द-गिर्द हाथियों का झुण्ड है तो आपरेशन के दौरान बचाव दल पर झुण्ड हमला कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बचाव दल के साथ एक टीम को हाथियों के झुण्ड की निगरानी हेतु सर्तक रहना चाहिए। यदि हमला हो तो एक 'बी' प्लान भी बचाव हेतु होना चाहिए। इस 'बी' प्लान में

(a) पृथक से एक समर्पित टीम का गठन करना होगा जो हाथियों द्वारा हमले की दशा में चेतावनी के रूप में आवाज करें।

(b) हाथियों के भगाने वाले उपकरण साथ रखने होंगे जैसे- पटाखे और अन्य भारी आवाज करने वाले उपकरण, लाइटस, शाटगन, रबर की गोलियों के साथ और जहां कहीं भी प्रशिक्षित हाथी (कुनकी) उपलब्ध हों उन्हें भी साथ रखना होगा। रबर बुलेट उजाले में ही प्रयोग किए जाये और तभी प्रयोग में लाये जायें जब पटाखें और अन्य आवाज करने वाले उपकरण झुण्ड को भगाने में असफल हो जायें। रबर बुलेट हाथी की आँख बचाकर प्रयोग किए जाने चाहिए।

4. कम से कम एक योग्य पशुचिकित्सक अवश्य घटनास्थल पर बुलाया जाना चाहिए जो फंसे हुए हाथी के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण कर सके तथा जो उन उपायों को सुझाए जिससे हाथी जीवित रह सके।

5. यदि तत्काल पशुचिकित्सक मौके पर उपलब्ध न हो तो संचार या संवाद का एक ऐसा ढांचा विकसित किया जाना आवश्यक होगा जिसके द्वारा हाथी के स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी योग्य पशु चिकित्सक को दिया जाना संभव हो।

6. बचाव अपरेशन (रेस्क्यू ऑपरेशन) के प्रयास में वयस्क हाथी के लिए चारा और पानी की व्यवस्था रखनी होगी तथा शिशु हाथी की दशा में पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार मिल्क पाउडर का दूध तैयार रखना होगा।

7. रेस्क्यू ऑपरेशन मौके की परिस्थितियों पर निर्भर होगा और ऑपरेशन प्रभागीय वनाधिकारी/ उप प्रभागीय वनाधिकारी/ रेंज अफसर द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है जिसमें पशु चिकित्स की राय भी शामिल हो। जहाँ आवश्यक वहां पर अग्निशमन दल की सलाह भी आवश्यक होगी।

इस सम्बन्ध में कुछ अनुशंसाएं निम्न प्रकार विचारणीय हैं:-

(A) यदि कुआँ या गड्डा ज्यादा गहरा नहीं है तो बैकहो लोडर या खोदने वाली मशीन की मदद से जेन्टल स्लोप

बनवाकर हाथी को बाहर निकाला जा सकता है।

(B) यदि हाथी कीचड़ में अटक/फंस गया हो और हिलने डुलने लायक न हो तो:-

i. बैकहो लोडर या खोदने वाली मशीन की मदद से हाथी के चारो ओर के कीचड़ को यथा संभव जितना हटाया जा सके हटा देना चाहिए।

ii. कीचड़ से हाथी को प्रशिक्षित हाथियों की मदद से (यदि कुनकी हाथी उपलब्ध हो) या खींचने वाली मशीन की सहायता से हाथी बाहर निकाला जा सकता है।

(C) यदि गड्ढा काफी गहरा हो और उसे सपाट ढाल बनाना संभव न हो तो क्रेन की मदद से चौड़ी पट्टी से बांधकर निकालना चाहिए।

8. प्रभागीय वनाधिकारी को ए.सी.एफ या संबधित रेंज अफसर को आपरेशन का नेतृत्व करने के लिए तैनात करना चाहिए।

9. यदि मौके पर अधिकारीगण हाथी को बेल्ट से बांधने का निर्णय लेते है तो रेसक्यू आपरेशन से पूर्व हाथी को बेहोश करना आवश्यक है। हाथी को बेहोश की जाने वाली ड्रग्स की मात्रा अनुभवी पशुचिकित्सक द्वारा तय की जाएगी।

10. हाथी को खींचना:- हाथी को क्रेन द्वारा खींचने के लिए बांधी जाने वाली बेल्ट पशुचिकित्सक के निर्देशुसार बांधनी चाहिए ताकि हाथी के शरीर को कोई क्षति या नुकसान न हो। जूट की कोमल रस्सी से हाथी के पैरो या गले को लपेटना चाहिए। जहाँ कुनकी (प्रशिक्षित हाथी उपलब्ध हो) वहां पर कुनकी हाथी द्वारा हाथी को बाहर निकालना चाहिए। यदि कुनकी हाथी उपलब्ध न हो तो मशीनो द्वारा हाथी को बाहर निकालना चाहिए।

11. हाथियों को उठाने के दौरान निम्नलिखित उपकरण साथ में तैयार रखने चाहिए:-

विवरण	क्षमता	फीता या बेल्ट की लम्बाई	संख्या
उठाने वाली पट्टियाँ	3 टन	5 मीटर	2
	3 टन	10 मीटर	2
	5 टन	5 मीटर	2
	5 टन	10 मीटर	4
	10 टन	5 मीटर	2
	10 टन	10 मीटर	4
हथकड़ी	5 टन		2
	10 टन		2
चेन पुली	5 टन		2
	10 टन		2

12. हाथी को उठाना:- यदि हाथी खड़े होने की मुद्रा में है तो फीते और रस्सी छाती और पिछले हिस्से में मजबूती से बांधने चाहिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि हाथी लेटा हुआ है तो बेल्ट और रस्सी हाथी के पैरों पर बांधनी होगी। पशुचिकित्सक के निर्देशानुसार ही फीते और रस्सियाँ बांधी जाये ताकि हाथी के शरीर पर कोई खतरा/नुकसान न हो। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बेल्ट और रस्सी सही तरीके से बंधी है ताकि यह विश्वास हो सके कि रस्सी न तो ढीली है न टाईट है न अनलोक है तब हाथी को क्रेन द्वारा उठा लेना चाहिए। पूरी लिफ्टिंग आपरेशन में 3 से 5 मिनट तक समय लेना चाहिए।

13. एक बार जब हाथी कुआँ या गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाता है तो हाथी को जंगल में छोड़ने से पहले तत्काल हाथी के शरीर पर पड़े घावों का उपचार कर लेना चाहिए।

14. हाथी को जंगल में छोड़ने के बाद लगातार तीन दिनों तक हाथी की गतिविधियों और उसके स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण करना आवश्यक है। यदि हाथी झुंड का भाग बन गया या हाथी ने फिर से झुण्ड ज्वाइन कर लिया है तो भी इस स्थिति का परीक्षण जरूरी है।


15. जितनी जल्दी संभव हो सके तद्सार संबधित डी.एफ.ओ द्वारा संबधित वनसंरक्षक या मुख्य वन्य

जीव प्रतिपालक को सम्पूर्ण आपरेशन की जानकारी दे देनी चाहिए।

(c) यदि हाथी किसी जाल में फंस गया हो या पैर से फंस गया या अपरिष्कृत (कच्चे) बम से घायल हो गया हो तो इन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतिक्रिया:-

1. यदि कोई हाथी पैर से या सूंड से किसी जाल में फंस गया हो (गंभीर रूप से घायल हुआ या नहीं हुआ हो) या हाथी मुंह से घायल हो गया हो और कुछ खाने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में हाथी को ट्रैकुलाइज किया जाना चाहिए ताकि हाथी के घावों का समुचित उपचार किया जा सके।

2. रेसक्यू आपरेशन के दौरान पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा हाथी के घावों का अनुमान लगाना चाहिए। चोट यदि कम है तो घावों को साफ कर दवाई लगा देनी चाहिए उपचार के उपरांत हाथी को वापस जंगल में उसके प्राकृतवास में छोड़ देना चाहिए। यदि हाथी के घाव गंभीर किस्म के हैं और स्वस्थ होने में समय लगने की संभावना है तो हाथी को कस्टडी में लेकर लगातार उपचार करते रहना चाहिए जब तक हाथी पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाये। यदि उपचार कई सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक चलने की संभावना हो तो हाथी को उपचार हेतु 'हाथी शिविर' (Elephant Camp) में रखा जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि हाथी को प्राकृतिक चारा ही भोजन के रूप में दिया जाए जैसा कि चिकित्सकीय सलाह से उचित हो। हाथी को पका हुआ भोजन या मानव निर्मित खाद्य पदार्थ दिये जाने पर हाथी वापस जंगल में जाने पर दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस अवधि में उपचार के दौरान हाथी से मानवीय सम्पर्क कम से कम रखा जाय ताकि हाथी को वापस जंगल में छोड़ना व्यावहारिक बना रहे। एक बार उपचार के उपरांत हाथी स्वस्थ हो जाये तो उसे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। यदि कई हफ्तों या महीनों के बाद भी हाथी के घाव ठीक नहीं हो रहे हो तो और हाथी को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाना संभव न हो तो संबंधित पशुचिकित्सक और मुख्य वन जीव प्रतिपालक से अनुमति लेकर हाथी को 'हाथी शिविर' या Elephant Camp के रूप में प्रशिक्षित कर पालतू बनाया जा सकता है।



(d) यदि हाथी का बच्चा (शिशु हाथी) खो जाता है या झुण्ड से छूट जाता है की परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतिक्रिया:-

1. यदि हाथी का बच्चा झुण्ड से छूट जाता है तो प्रतिक्रियाओं के आंकलन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में एक टीम हाथी के बच्चे की देखभाल करेगी जबकि दूसरी टीम उसके झुण्ड को खोजेगी।

2. घटनास्थल पर एक पशुचिकित्सक बुलवाया जाना आवश्यक है जो शिशु हाथी की उम्र और उसके स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करेगा। शिशु हाथी को कोई भी भोजन या दूध पशुचिकित्सक की सलाह पर ही देना चाहिए।

3. ऐसी परिस्थितियों में यह परीक्षण करना अनिवार्य है कि क्या स्वयं हाथियों का झुण्ड शिशु हाथी के बचाव में आ रहा है या नहीं। बचाव दल को अनावश्यक रूप से हाथी को हैन्डिल करने से बचना चाहिए। इस से वह तनाव में आ सकता है। आगे यह भी है कि मानव शरीर की हाथी पर महक होने से झुण्ड द्वारा शिशु हाथी को पुनः स्वीकार करने में कठिनाई आ सकती है।

4. क्षेत्रीय फील्ड स्टाफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिशु हाथी या तो स्वयं झुण्ड में वापस चला जाए या उसे हाथी शिविर में रखा जाए इसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति आदर्श रूप में निम्न दो केसों में आवश्यक है:-

(a) शिशु हाथी बहुत कमजोर है और चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस केस में शिशु हाथी को उपचार सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए और इस दौरान शिशु हाथी पर कम से कम मानवीय हैन्डलिंग हो। शिशु हाथी के उपचार के दौरान उसे केवल एक व्यक्ति द्वारा हैन्डिल किया जाना चाहिए ताकि झुण्ड में वापस जाने से शिशु हाथी को आसानी से स्वीकार किया जा सके।

(b) यदि झुण्ड द्वारा शिशु हाथी को नहीं पाया जाता है। तो शिशु हाथी की एक दिन की देखभाल करनी चाहिए। इस केस में झुण्ड की लोकेशन देखकर शिशु हाथी को झुण्ड में मिला देना चाहिए।

5. यदि उपचार के दौरान शिशु हाथी को कई लोगों द्वारा हैन्डिल किया गया हो तो उसके शरीर पर हाथी की लीद या कीचड़ मलनी चाहिए या पानी से उसके शरीर को धो देना चाहिए ताकि झुण्ड द्वारा शिशु हाथी को अस्वीकार किए जाने की संभावना से बचा जा सके।

6. यदि झुण्ड नहीं मिलता है तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति से शिशु हाथी को हाथियों के शिविर में रखना चाहिए और समर्पित लोगों के नजदीकी परीक्षण में पाला जाना चाहिए।



आपातकालीन परिस्थिति-5

हाथी के मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिक्रिया

उद्देश्य:

हाथी की मृत्यु होने की दशा में वनविभाग को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु समन्वय और प्रतिक्रिया/हस्तक्षेप को क्रियान्वित करने के लिए इस भाग का निरूपण किया गया है। जब कभी हाथी मृत अवस्था में पाया जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शीघ्रता से उन आंकड़ों और कारणों का संकलन किया जाये जिसके कारण हाथी की मृत्यु हुई है। मृत हाथी के शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम) की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके द्वारा उन आँकड़ों का संकलन किया जाना संभव हो पाएगा। जिनके द्वारा जन्म-मृत्यु के आंकड़े (जन सांख्यिकीय) आनुवांशिकी और अन्य बायोलोजिकल विश्लेषण किया जाना संभव हो पाएगा। हस्तपुस्तिका का यह भाग सर्वोत्तम प्रथाओं के निम्न बिंदुओं पर उल्लेख करेगा :-

i. हाथी के पोस्टमार्टम का संचालन

ii. फॉरेंसिक और आपराधिक जांच करना। यदि हाथी को घायल करने या मारने के इरादे से बन्दक, हाथ के हथियार, जहर, बम, घातक तारबाड़ या इलेक्ट्रिकयूशन का प्रयोग कर मारा गया हो या घायल किया गया हो। इस कार्यवाही के दौरान डाटाशीट को भरा जाना आवश्यक होगा (जैसा की प्रासंगिक है)

सहायक प्रसंग:- हाथी की मृत्यु वनविभाग के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत या क्षेत्र से बाहर मृत्यु होने की दशा में प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में यह भाग विस्तार से वर्णन करेगा। अनुशासित प्रथाएं या अभ्यास:-

A. यदि मृत हाथी का शव पाया जाता है तो कई प्रथामिकताएं होंगी:-

1. हाथी के बारे में सूचना, स्थान, समय, मृत्यु का सही समय, जितना संभव हो सके।



मुख्य अभिनेता: वन विभाग।

अन्य अभिनेताओं और सरकारी एजेंसियों को शामिल करने के लिए: पशु चिकित्सा विभाग, एनजीओ प्रतिनिधि, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी (ग्राम नेता, पंचायत नेता, आदि), मीडियाकर्मी। बिजली के झटके के लिए: बिजली बोर्ड। सभी अवैध हत्याओं के लिए: पुलिस विभाग, वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन: पोस्ट-मार्टम के लिए मानक पशु चिकित्सा टूलकिट, बेकहो लोडर/खुदाई, क्रेन, मोटी नायलॉन की रस्सी, फोकस लाइट, टॉर्च लाइट, बड़ा चाकू, कुल्हाड़ी, मापने वाला टेप, नमक (4 बैग), दिहाड़ी मजदूर, अंग भागों, फॉर्मलडिहाइड और तरल फिनोल को स्टोर करने के लिए कंटेनर।

2. हाथी की मृत्यु का कारण सुनिश्चित करना।

3. यदि हाथी की मृत्यु का कारण अवैध शिकार या अन्य कोई अवैध गतिविधि है तो तत्काल समुचित कार्य सुनिश्चित की जाये।

B. हाथी की मृत्यु की सूचना मिलने पर तत्काल वनविभाग के अधिकारियों और पशुचिकित्सक को खोजी कुत्तों के साथ (यदि उपलब्ध हो तो) घटना स्थल प्रतिक्रिया/कार्यवाही हेतु पहुंचना चाहिए।

स्थानीय रेंज अफसर को तत्काल एक जांच दल गठित कर घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित करवाना चाहिए।

C. पशुचिकित्सक के नेतृत्व में मृत हाथी के शव का पोस्टमार्टम करना:-

1. पोस्टमार्टम प्रक्रिया।
2. आवश्यक नमूनों (सेम्पल्स) एकत्रीकरण जैसे दांत, उत्तक आदि।
3. शव का निस्तारण।

D. कुशल फोटोग्राफर की मदद से विभिन्न कोणों से फोटो लेकर हाथी के मुख्य विशेषताओं की पहचान करना।

E. डी.एन.ए. विशेषण हेतु खून और गोबर के नमूने लेना।

F. वनकर्मियों द्वारा उस पूरे क्षेत्र की गहराई से छानबीन करना (जहाँ मृत हाथी का शव मिला था) तथा मृत्यु के कारणों के सभी साक्ष्य इकट्ठा करना।

आर्दश रूप से खोजी कुत्तों द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। यदि किसी अवैध गतिविधि का शक या सन्देह हो तो रेंज अफसर को प्रथम सूचना रिपोर्ट (H2) जारी करना चाहिए।



1. जांच दल द्वारा पुलिस के सहयोग से स्थानीय सभी पास के समुदायों से साक्ष्य ढूढने चाहिए।

2. यदि कोई अवैध गतिविधि के साक्ष्य पाए जाते हैं तो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत करना चाहिए। यदि हाथी को बंदूक या जहर देकर मारे जाने का संदेह हो तो जांच प्रक्रिया में पुलिस को भी शामिल करना चाहिए।

G. यदि हाथी बिजली के करेन्ट से मारा गया हो तो विदूत विभाग को जांच प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।

भाग - दो

मानव-हाथी संघर्ष के प्रबन्धन हेतु समुदाय आधारित संस्थाएं विकसित करना:-

मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन दीर्घकालिक समस्या को सहन करने वाले समुदायों के साथ हमें कार्य करना है।

क्या समुदायों के पास प्रभावशाली संस्थागत ढांचा उपलब्ध है जो मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए लामबंद हो सके ?

हाथियों के समुदायों की बस्ती के चारों ओर मौजूदगी पर उनके साथ कैसे सुरक्षित रहा जाय के सम्बन्ध में जागरूकता

समुदाय के पास उन अवरोधकों की कमी है जो हाथियों को उनकी बस्ती में प्रवेश करने से रोकते हों।

नहीं

हाँ

भौतिक अवरोधक मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के हेतु सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है, लेकिन ये तभी सफल हैं जब समुदाय आधारित संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हो। समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ काम करने के तीन फायदे हैं:- **पहला:-** समुदायों के साथ शामिल होने पर संबंधित अधिकारीगण समुदायों को हाथियों के साथ रहने के विषय में यह बता पाएँगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं | समुदायों को यह भी समझा पायेंगे कि दुर्घटना में मृत्यु की संभावनाओं को कम करने के लिए परिस्थितियों के साथ सामंजस्य पैदा किया जाना चाहिए। **दूसरा:-** स्थानीय समुदायों की संस्थाएँ भौतिक अवरोधकों के सम्बन्ध में सहयोग दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भौतिक अवरोधक ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं और उनका रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है। अन्यथा ये अवरोधक मरम्मत के बगैर रह जायेंगे और अपने उद्देश्य में असफल साबित होंगे। **तीसरा:-** स्थानीय समुदायों की संस्थाएँ स्थानीय लोगों को हाथियों को बस्ती में आने से ठीक ढंग से रोकने के लिए लामबंद कर सकती है और हाथियों को अवरोधकों के पास आने से रोक सकते हैं। इससे पहले कि वे बैरियर को क्षतिग्रस्त करना सीख सकें।

हस्त पुस्तिका का यह भाग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से और संस्थाओं के सहयोग से मानव हाथी संघर्ष का प्रबन्धन करने में कामयाब हो सकता है।

1. मानव- हाथी संघर्ष और संभावित हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना
पृष्ठ संख्या 58

4. मानव- हाथी संघर्ष को रोकने और वन विभाग के साथ समन्वय करने के लिए एक एंटी-डिप्रेडेशन स्काड (एडीएस) का गठन
पृष्ठ संख्या 68

3. रख-रखाव एवं धन संग्रह सुनिश्चित करने के लिए बैरियर अनुरक्षण समिति का गठन करना
पृष्ठ संख्या 64

2. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बाधा के विकास और स्थापना के लिए सहमति और समर्थन प्राप्त करना
पृष्ठ संख्या 62

4. मानव- हाथी संघर्ष को रोकने और वन विभाग के साथ समन्वय करने के लिए एक एंटी-डिप्रेडेशन स्काड (एडीएस) का गठन
पृष्ठ संख्या 68

भाग 3: एचईसी को कम करने के लिए गैर-घातक और सुरक्षित अवरोधों का चयन और निर्माण

1. मानव-हाथी संघर्ष के बारे में संबन्धित हस्तक्षेप से जन जागरूकता पैदा करना।

उद्देश्य

मानव-हाथी संघर्ष के दौरान मनुष्य की मृत्यु के कारण मानवीय व्यवहार में परिवर्तन स्वाभाविक है। विशेषकर तब जब अधिकारियों द्वारा स्थानीय समुदायों को सहयोग किया जा रहा हो। हस्तपुस्तिका के इस भाग का उद्देश्य है कि वन विभाग के कर्मचारीगण समुदायों को कैसे हाथियों के साथ आकस्मिक मुठभेड़ से बचा सकते हैं।

अनुशासित अभ्यास:-

A. वन विभाग के अधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए और इस बैठक में गैर सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकता और नहीं भी।

B. मानव-हाथी संघर्ष पर गांव के मुखिया और सभी परिवारों के लिए एक बुनियादी जागरूकता सत्र आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें निम्न बिंदुओं का समावेश हो:

1. मानव-हाथी संघर्ष क्यों होता है? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्व प्रकृति निधि (WWF) द्वारा निरूपित वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए।

2. हाथी यदि गांव के समीप आते हैं तो तत्काल त्वरित कार्यदल (RRT) से सम्पर्क कर उन्हें सूचित करना चाहिए। फसल क्षति निरोधक दस्ता (ADS) यदि पहले से ही समुदाय के अन्तर्गत मौजूद हो तो वहाँ भी तत्काल सम्पर्क कर सूचना पर प्रकाश डालकर सूचित करना चाहिए।



**मुख्य कार्यकर्ता- वन विभाग/
एनजीओ और समुदायों के सदस्य**

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-
पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय एनजीओ सदस्य, सरपंच/ गांव का मुखिया, धार्मिक नेता, चाय/कौफी, वृक्षारोपण कमेटी, महिलाओं का समूह, अध्यापकों और विद्यार्थियों की संस्थाएँ स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, स्थानीय संरक्षणवादी, अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक, ईको डेवलपमेंट/ संयुक्त वन प्रबंध कमेटी और एडीएस के सदस्य। सरकारी संस्थाओं में सिविल प्रशासन होगा।




उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

एचईसी, पोस्टर, सूचनात्मक पत्रक या पुस्तिकाएं, लैपटॉप कंप्यूटर, प्रोजेक्शन सिस्टम, पावर जनरेटर, पीए सिस्टम, संसाधन में हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं की व्याख्या करने वाले वीडियो।

3. स्थानीय समुदायों द्वारा जब त्वरित कार्यबल (RRT) को सूचित किया जाता है तो समुदाय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि त्वरित कार्यदल द्वारा मानव-हाथी संघर्ष के दौरान क्या निर्देश दिये गए हैं? वैं कब तक पहुंचेंगे और इस बीच स्थानीय समुदायों द्वारा क्या किया जाना चाहिए

4. मनव-हाथी संघर्ष के दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के भारी जोखिम को कम करने के लिए 'क्या करें'- और 'क्या न करें' कि स्पष्ट सलाह दी जानी चाहिए, जैसे - जहाँ हाथी अक्सर आते हैं वहाँ खुले में शौच जाने या पानी लेने जाने के संबंध में।



क्या करें

- इस बात को भली भांति समझना कि हाथी एक बुद्धिमान, एडप्टिव और शक्तिशाली वन्य प्राणी है, जो खतरनाक हो सकता है।
- जब कभी आपको हाथी दिखाई दे हमेशा सतर्क रहें और हाथी से एक समुचित दूरी बनाएं रखें।
- जब कभी हाथी गांव के समीप दिखाई दे तो हाथियों की संख्या और स्थान के बारे में सूचना साझा करें। नर हाथी या मस्त हाथी के दिखाई देने पर सावधान रहें।
- हाथियों की उपस्थिति की सूचना तत्काल त्वरित बल (RRT)ए वन विभाग, फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) और अन्य ग्रामीणों को दें। संरक्षण के लिए कार्यरत एन0जी0ओ0 को भी सूचित करें।
- जबतक संबन्धित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तब तक वाचर को नियुक्त करें या फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) को सक्रिय करें। वाच टावर या लम्बे वृक्ष का प्रयोग हाथियों पर सुरक्षित नजर रखने के लिए करें।

क्या न करें।

- हाथियों के नजदीक जाने का प्रयास न करें।
- बिना त्वरित कार्यदल के हाथियों को परिसम्पत्तियों के नजदीक से नहीं भगाएं।
- अपने गांव के समीप कच्ची शराब न बनाएँ जब तक कच्ची शराब सुरक्षित जगह पर स्टोर न की गई हो।
- संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों में शराब के नशे में न घूमें विशेषकर रात्रि में खुले में शौच न करें।
- गांव के समीप हाथियों के आवागमन के मार्ग में बाधा खड़ी न करें जैसे भवन या नई संरचनाओं का निर्माण।
- हाथियों और उनके आवास के बीच में न आएँ, क्योंकि वे अचानक लौटने की कोशिश कर सकते हैं।।
- हाथियों को घेरने का प्रयास न करें।

क्या करें

- वन विभाग तथा हाथी के संरक्षण के कार्य को करने वाले एन0जी0ओ0 के साथ सौर ऊर्जा बाढ़ स्थापित करने के लिए कार्य करें।
- यदि आपके गांव में मानव हाथी संघर्ष की घटना सामान्य है तो अधिकारियों से लाइट लगवाने के लिए याचना करें ताकि दृश्यता सुधर सके।
- यह सुनिश्चित कर लो कि प्रत्येक घर में शौचालय का प्रबन्ध हो ताकि खुले में शौच न करना पड़े।
- अपने घर के आस-पास कटहल व केले के पौधे रोपित करते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि इनके फल हाथियों को आकर्षित करते हैं।
- काफी के बागान और गन्ने के खेतों और चाय के बागानों में काम करते समय देखभाल का उचित प्रबन्ध क्योंकि इन क्षेत्रों में दृश्यता कम होती है।

C. अवरोधक कैसे मददगार हो सकते हैं- इस बात का स्पष्टीकरण मुख्य कार्यवाही के लिए ग्राम सभा या ग्राम मुखिया या प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। संघर्ष को रोकने के लिए इस कार्यवाही में निम्न बिंदुओं को शामिल होना चाहिए:-

1. घातक और गैर घातक तारवाड़ में अंतर तथा कैसे लोग इनका दुरुपयोग करते हैं।
2. स्थानीय समुदायों को तारवाड़ की सुरक्षा में शामिल करना चाहिए ताकि हाथी उन्हें नुकसान न पहुँचायें और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जानी होगी।
3. अवरोधक ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिए जो हाथियों को उनके प्राकृतवास में जाने से न रोके।
4. अवरोधकों को प्रभावी रखने के लिए उनका रख-

क्या न करें।


- हाथियों को चोट न पहुँचाएँ अन्यथा वे ज्यादा हिंसक हो जायेंगे।
- अवैध ऊर्जा बाड़ स्थापित न करें इनसे प्रायः हाथी मर जाते हैं यह कानून का उल्लंघन है। यह अभियोजन को आमंत्रित करता है।

रखाव महत्वपूर्ण है।

5. अतीत में यदि हाथियों की इन अवरोधकों द्वारा रोकथाम हुई है तो इससे भी सबक मिलेगा।
6. फसल क्षतिनिरोधक दस्ते (ADS) द्वारा अवरोधकों का अनुश्रवण।

D. सत्र के अंत में सवाल-जवाब का सत्र रखा जाये जिसमें सभी उम्र, जेन्डर और पृष्ठ भूमि के लोग हों और उन्हें सवाल जवाब पूछने के लिए उत्साहित करें।

2. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अवरोधकों की स्थापना हेतु स्थानीय समुदायों की सहमति प्राप्त करना:-



उद्देश्य:

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए भौतिक अवरोधक सामान्यतः काफी प्रभावी होते हैं। वन विभाग द्वारा कुछ अवरोधक संरक्षित क्षेत्र और आरक्षित वन की सीमा पर स्थापित किए जाते हैं, और उनका रख-रखाव भी किया जाता है। जबकि कुछ अवरोधक वन विभाग एन0जी0ओ0 और स्थानीय समुदायों द्वारा मिलकर स्थापित किये जाते हैं। और उनका रखरखाव भी किया जाता है। यदि स्थानीय समुदाय इन अवरोधकों के डिजायन और रख-रखाव में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं तो ये अवरोधक अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। अवरोधकों को स्थापित करने से पूर्व अधिकारी गणों को यह सुनिश्चित करना लेना चाहिए कि स्थानीय समुदाय इन अवरोधकों की सफलता के लिए समय निकाल सकें। एक महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में यह होगा कि स्थानीय समुदायों से इन अवरोधकों की स्थापना हेतु औपचारिक सहमति ले ली जाये। हस्त पुस्तिका का यह भाग स्थानीय समुदायों के सहयोग और सहमति के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगा।



मुख्य कार्यकर्ता- वन विभाग/ एनजीओ और समुदायों के सदस्य
अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:- पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय एनजीओ सदस्य, सरपंच/ गांव का मुखिया, धार्मिक नेता, चाय/कौफी/वृक्षारोपण कमेटी, महिलाओं का समूह, अध्यापकों और विद्यार्थियों की संस्थाएँ
स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, स्थानीय संरक्षणवादी, अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक, ईको डेवलपमेंट/ संयुक्त वन प्रबंध कमेटी और एडीएस के सदस्य। सरकारी संस्थाओं में सिविल प्रशासन होगा।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

इस तरह के वीडियो जो मानव-हाथी संघर्ष को रोकने हेतु बनाये गये हों, पोस्टर, सूचना पट्टिका या बुकलेट, लेपटाप कम्प्यूटर, प्रोजेक्शन सिस्टम, पावर जनरेटर, पीए सिस्टम, रिसोर्स परसन और अवरोधक विकास के लिए आवश्यक संसाधन।

अनुशासित अभ्यास

A. अवरोधक स्थापित करने से पूर्व वन विभाग को स्थानीय समुदायों के मुखियाओं ग्राम सभा या समुदाय के भाग से अवरोधक स्थापित करने हेतु स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।

सम्बन्धित पंचायत प्रतिनिधियों को भी सूचित करना होगा और उनकी सलाह लेनी होगी।

B. निम्नलिखित शर्तों के साथ अवरोधक स्थापित करने होंगे:-

1. अवरोधक के निर्माण में स्थानीय समुदाय सहमति होनी चाहिए। (सहयोग का योगदान लेना चाहिए)
2. अवरोधकों के रख-रखाव हेतु स्थानीय समुदायों द्वारा संसाधन (धन) एकत्रित किया जायेगा। (अवरोधकों के रख-रखाव हेतु वनविभाग को कम से कम तीन साल के लिए स्थापना के बाद धन उपलब्ध कराना होगा)
3. अवरोध रख-रखाव कमेटी के गठन हेतु स्थानीय समुदायों को सहमत होना होगा और अवरोधक को ठीक रखने तथा रख-रखाव हेतु फंड इकट्ठा करना सुनिश्चित करना होगा।
4. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) के गठन हेतु स्थानीय समुदायों को सहमत होना होगा जो कि हाथियों से फसल और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान से बचाएगी।
5. अवरोधक हाथियों के आवागमन के मार्ग में बाधित न हो को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को संयुक्त सर्वेक्षण के लिए राजी होना होगा।
6. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) से स्थानीय समुदाय को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने हेतु सहमत होना होगा।
7. अवरोधकों के तकनीकी रख-रखाव हेतु स्थानीय समुदायों को दो प्रशिक्षित व्यक्तियों को नामित करना होगा।

C. इस बात का आंकलन करना है कि क्या स्थानीय समुदाय अवरोधक स्थापना और रख-रखाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे या उनसे पूछे कि क्या वे अगली बैठक में सहमति प्रदान करेंगे।

1. अवरोधक प्रवन्धन कमेटी का गठन करना चाहिए तथा कमेटी के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। कमेटी में एक अध्यक्ष और एक सचिव होगा, इनकी जिम्मेदारियों में (अवरोधक का रख-रखाव, अनुश्रवण धन इकत्रित करना उपकरण क्रय करना) और अवरोधक के सम्बन्ध में कोई भी समस्या हो तो बैरियर कमेटी को सूचित करना शामिल होगा।

2. अवरोधक रख-रखाव हेतु धन इकत्रित करना प्रारम्भ करना होगा।

3. बाड़ हेतु खम्भे और अन्य आवश्यक सामग्री तैयार करनी होगी सही अवरोधक चुने और तदनुसार आवश्यक उपकरण भी पसंद कर चुनें।

4. अनापत्तिप्रमाण पत्र (NOC) हेतु निवेदन करें।

3. अवरोधक रख-रखाव कमेटी का गठन कर अवरोधक का उचित रख-रखाव और धन इकत्रित करना:-

कम लागत वाले अवरोधकों (बाड़ या खाई) को प्रभावी रखने के लिए अत्यधिक रख-रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्याकुल और भूखे हाथी दबाव में इनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं।

इन अवरोधकों का रख-रखाव वनविभाग द्वारा किराये पर रखे गये व्यक्ति (धन की उपलब्धता पर निर्भर रहता है) द्वारा की जा सकती है या स्थानीय समुदायों द्वारा किराये पर रखे गए व्यक्ति से भी की जा सकती है। कुछ मामलों में वैरियर रख-रखाव कमेटी द्वारा स्वयं अवरोधकों का प्रभावी ढंग से रख-रखाव किया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान डाटाशीट भी भरी जानी चाहिए।

- वित्तीय योगदान के अभिलेख हेतु।
- प्रभावी तरीके से बाड़ का रख-रखाव हेतु।
- प्रभावी तरीके से खाई के रख-रखाव हेतु

अनुशासित अभ्यास:-

A. अवरोधक कमेटी (Barrier Committee) का गठन जिसमें सभी उम्र के लोग हों, उभयलिंगी हो, तथा सभी जातीय पृष्ठ भूमि के लोग हों।

बैरियर कमेटी में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए (क्योंकि प्रत्येक परिवार सीधे वैरियर होने के फायदे और नुकसान से जुड़ा है।)

यदि संभव हो तो पंचायत के चुने हुए सदस्य को भी



मुख्य कार्यकर्ता- बैरियर रख रखाव कमेटी, वन विभाग और एनजीओ

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-
स्थानीय समुदाय, विधायक/ सांसद, पंचायत, स्थानीय एनजीओ, वृक्षारोपण प्रबंधन कमेटी, गांव का मुखिया।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

लेपटाप कम्प्यूटर, प्रोजेक्शन सिस्टम, पावर जनरेटर, पीए सिस्टम, रिसोर्स परसन और बैरियर विकास हेतु धन इकठ्ठा करना।

शामिल किया जाना चाहिए। इनमें वार्ड मेम्बर या महिला मुखिया या पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

1. गोलाकार अवरोधक के लाभार्थियों में सभी परिवारों और भू-स्वामियों को शामिल किया जाना चाहिए।

2. सीधे रेखीय अवरोधकों में बैरिएर से आधा किमी. की दूरी पर स्थित सभी परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय लोगों द्वारा अवरोधक स्थापित किये जाते हैं तो बैरिएर स्थापित करने से पूर्व हाथी के संघर्ष बाहुल्य वाले क्षेत्रों की घरों से 0.5 कि०मी० की दूरी पर बैरिएर लगाये जाने चाहिए।

3. यदि गांवों में समुदाय आधारित संस्था कार्यरत हैं और उपयुक्त सदस्यता के साथ कमेटी चल रही है और सदस्यगण अवरोधक के रख-रखाव हेतु इच्छुक हो तो इस कमेटी को बैरिएर रख-रखाव समिति के रूप में नामित कर देना चाहिए।

B. कमेटी का क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया जाना:-
कितने बड़े क्षेत्र या कितनी लम्बाई के अवरोधकों को एक कमेटी के अधीन रखा जा सकता है। पहले से ही मौजूद स्थानीय क्षेत्राधिकार जैसे गाँव या श्रमरेखा को संभावित कार्य क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

C. बैरिएर कमेटी की जिम्मेदारियां निर्धारित करना- जिसमें निम्न बिंदु शामिल हों:-

1. अवरोधक की लम्बाई सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग और एन०जी०ओ० को (यदि उपलब्ध हो तो) को एक सर्वेक्षण करना चाहिए, जिसमें शामिल किए गये इलाके और संभावित संघर्ष के लिए अशांत क्षेत्र शामिल हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अवरोधक हाथियों के प्राकृतवास में आवागमन को न रोके।

2. अवरोधकों की समुचित स्थापना और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसके बैरिएर का

डिजायन, तैयारी और रख-रखाव का क्रियान्वयन भी शामिल हो।

3. बैरिएर के रख-रखाव हेतु शुल्क एकत्रित किया जाना चाहिए और आय व व्यय का अभिलेख संधारित्र होना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित करना कि बैरिएर मनुष्यों और जानवरों के लिए सुरक्षित रहेगा। (बाड़ में किसी किस्म की ए०सी० विद्युत / करंट नहीं होनी चाहिए)।

D. बैरिएर के रख-रखाव हेतु मॉडल का चयन:-

जब तक वन विभाग बैरियर के रख-रखाव हेतु धन की व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, बैरियर रख-रखाव कमेटी को प्रमुखता से ग्राम सभा के साथ कार्य करना चाहिए और रख-रखाव हेतु फंड इकत्रित करने के लिए मॉडल के चयन पर फैसला करना चाहिए। इसमें निम्न विकल्प हो सकते हैं:-

1. प्रत्येक परिवार से धन इकत्रित करना:- यदि बैरियर फसल वाले खेत और गांव वालों की सुरक्षा कर रहे हों तो आवश्यक धनराशि सभी परिवारों में बराबर बांट कर इकत्रित की जानी चाहिए। यदि कमेटी यह समझती है कि यह प्रक्रिया अनुचित और अव्यावहारिक है तो धन इकत्रित करने की दूसरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जो व्यावहारिक और न्याय संगत हों।

2. यदि बैरिएर केवल फसल वाले खेत की ही सुरक्षा कर रहा हो तो इकत्रित की जाने वाली धनराशि केवल उन्हीं कृषक परिवारों से ली जाये जिनके खेतों की सुरक्षा हो रही है।

3. ग्राम पंचायत को आवंटित धनराशि से बैरियर रख-रखाव हेतु धन इकत्रित करना:- वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित धनराशि में से बैरियर रख-रखाव कमेटी को आवंटित धनराशि के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से सम्पर्क करना चाहिए।

4. इसी प्रकार रख-रखाव कमेटी को अन्य इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्थाओं से धन मांगना चाहिए।

E. बैरिएर की देख-रेख करने वालों का चयन:-

बैरिएर तभी प्रभावी होंगे जब लम्बे समय तक उनकी देख-रेख होगी। वन विभाग एवं रख-रखाव कमेटी द्वारा कम से कम दो व्यक्तियों को बैरिएर की प्रतिदिन देखभाल और रख-रखाव हेतु चिन्हित कर रखना चाहिए। बैरिएर की देखरेख करने वाले कमेटी के भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यक्ति होने चाहिए।

1. विद्युत सौर ऊर्जा बाड़ की देख-रेख हेतु रखे जाने वाले व्यक्तियों को पावरफैन्स के कार्य के सिद्धान्त के और प्रत्येक कम्पोनेन्ट के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। देख-रेख करने वालों को पावर फैन्स के विभिन्न घटकों जैसे बैट्री, एनर्जाइजर, सोलर पैनल, अर्थ कनेक्शन, तार, खम्भे और इन्सुलेटर के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये जाना चाहिए। देख-रेख करने वालों को वोल्ट मीटर, नियोन टेस्टर, प्लास, पेचकस, और तार टाइट करने वाले उपकरण दिये जाने चाहिए।

2. सौर ऊर्जा बाड़ और खाई की देख-रेख करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ सफाई हेतु आवश्यक उपकरण अपने साथ रखने चाहिए ताकि बाड़ के नीचे उगाई वनस्पति की सफाई की जा सके।

3. बैरियर की देख-रेख करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को स्थानीय गांव या नजदीकी गांव से चयनित किये जाना चाहिए ताकि वे समय पर कम से कम प्रयासों से मौके पर पहुंच सकें। आदर्शतम रूप से वे बैरियर के लाभार्थी हों तो अच्छा है।

4. आदर्श रूप में यदि बैरिएर की देख-रेख करने वाले दो व्यक्ति हैं तो उनमें से एक महिला होनी चाहिए। (यदि कोई इच्छुक हो तो) यह प्रक्रिया हिस्सेदारी को बढ़ाएगी और देख-रेख करने वालों की रूचि की विविधता का प्रतिनिधित्व भी करेगा।

F. जहाँ कमेटी आंशिक या पूर्ण रूप से बैरिएर के रख-रखाव हेतु पोषण के लिए उत्तरदायी हैं:-

बैरिएर के रख-रखाव हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी, कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेना चाहिए। कमेटी को यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कितना धन ग्रामीणों से एकत्रित किया जाना होगा।

1. बैरिएर के प्रतिदिन के रख-रखाव पर कितनी लागत आयेगी। यदि बैरिएर की देखभाल करने वालों को मासिक रूप से भुगतान किया जाना जरूरी हो तो जो लागत आंकी गई हो वो उक्त खर्च को समायोजित कर देगी।

2. बाड़ के घटकों को बदलने और मरम्मत करने पर सालाना लागत तय करनी होगी। इसके लिए कमेटी को पावर फैन्स की पूरी लागत का 5 से 10: धन इकत्रित करना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फंड भी एकत्रित किये जा सकें।

G. बैरिएर रख-रखाव पर किए गए भुगतान के अभिलेखों की संधारण के लिए कमेटी की मदद की जानी होगी। पंजिका का रख-रखाव परिशिष्ट पअ के अनुसार आदर्श रूप में किया जायेगा।

4. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) का गठन- हाथी को सीखने का अनुमान करना और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना:-

उद्देश्य:

फसल क्षति निरोधक दस्ता (ADS) एक समुदाय आधारित संस्था है जो मानव हाथी संघर्ष के न्यूनीकरण हेतु अति स्थानीय सहयोग उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) भिन्न-2 प्रारूपों एवं नाम से जाने जाते हैं। यह भाग फसल क्षति निरोधक दस्ते कैसे गठित होने चाहिए, उन्हें क्या-क्या करना चाहिए और वे कैसे क्रियान्वित करते हैं के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। जो अवरोधक कभी काफी मजबूत होते हैं और दृढ़ निश्चयी हाथियों का सामना करते हैं वे काफी मंहगे होते हैं।

हाथी कम लागत वाले या हैंगिंग फैन्स जैसे अवरोधकों को समझने में पर्याप्त समय लेते हैं और उन्हें धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त करते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो हाथियों को अवरोधकों के पास से हटा सके इससे पहले कि हाथी अवरोधकों को समझ सके। फसल क्षति निरोधक दस्ता एक महत्वपूर्ण संस्था है जो वन विभाग के साथ सामंजस्य बिठा कर त्वरित कार्यदल (RRT) और वन विभाग के कर्मियों के साथ हाथियों द्वारा अवरोधकों को क्षतिग्रस्त करने से पूर्व खदेड़ सके। इस प्रकार फसल क्षति निरोधक दस्ता (ADS) एक शीर्ष समुदाय आधारित संस्था है जो अवरोधकों को प्रभावी रखते हुए मानव हाथी संघर्ष को कम करती है।



मुख्य कार्यकर्ता- स्थानीय समुदाय त्वरित कार्यदल/वनविभाग

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:-

संरपच/ग्राम मुखिया, संयुक्त वन प्रबंधन कमेटी/ईडीसी/पंचायत और किसानों का समूह।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

पटाखे, सर्चलाइट, कैम्पिंग मैटेरियल, मच्छर निरोधक जाली, टेम्पेरी वाच टार्वरस, फसूटएड किट।

अनुशासित अभ्यास:

A. फसल क्षति निरोधक दस्ता - फसल क्षति निरोधक दस्ता स्थानीय समुदायों के 10 से 20 सदस्यों को शामिल कर बनाया गया एक समूह है जो निम्न कार्य करता है:-

1. हाथियों द्वारा अवरोधकों को क्षति ग्रस्त करने के तरीके को सीखने से रोकना।
2. मानव-हाथी संघर्ष और हाथियों के आवागमन के सम्बन्ध में सूचनातन्त्र विकसित कर वन विभाग और स्थानीय समुदाय के मध्य एक कड़ी का काम करना।
3. जहाँ पर हाथी अवरोधकों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं वहाँ मानव हाथी संघर्ष से सम्बन्धित क्षति को रोकना।

B. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) का गठन एक परामर्श प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय के लोग एवं वनविभाग के अनुभवी कार्मिक शामिल होते हैं।

1. यदि स्थानीय समुदाय के लोग फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) के लिए सहमत हैं तो गांव के मुखिया और समुदाय के लोगों इच्छुक ग्रामीणों को स्वेच्छा से शामिल होने वालों को ए0डी0एस0 का सदस्य बनाया जा सकता है।
2. ए0डी0एस0 के सदस्यों की अंतिम सूची और उनके लीडर तथा सदस्यों के सम्पर्क नंबर समीपस्थ रेंज ऑफिस तथा त्वरित कार्य दल (RRT) के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु साझा किए जाने चाहिए।

C. फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण अनावश्यक और फसल के नुकसान सुरक्षित रूप से कम कर सकते हैं।

प्रशिक्षण में निम्न बिंदु शामिल होंगे:-

1. हाथी के मनोविज्ञान एवं हमले के दौरान व्यवहार के विषयक में मौलिक जानकारी रखना।

a. 'मस्त' के दौरान नर हाथी काफी खतरनाक हो जाते हैं और प्रायः मादा हथिनी बच्चे के साथ होने पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। सामान्यतः कोई भी हाथी खतरनाक हो सकता है।

b. 'मस्त' के दौरान हाथी के व्यवहार का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। और वो काफी आक्रामक हो सकता है।

c. मादा हथिनी या झुण्ड जब शिशु हाथियों के साथ होता है तो वो खतरनाक हो सकते हैं। उस दौरान रूप से उनमें व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए।

d. झुण्ड प्रायः मातृसत्तात्मक होता है जिसका नेतृत्व पुरानी मादा हथिनी करती है।

e. कभी-कभी हाथी डराने के लिए नकली रूप से चार्ज करते हैं इसका तात्पर्य है कि वे एक चान्स दे रहे हैं दुबारा उनका पीछा न करें 'मौक चार्ज' को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह आक्रमण एक संकेत है। सभी लोगो को उस समय तत्काल हाथियों से दूर हो जाना चाहिए।

f. हाथी 40 कि0मी0/प्रतिघंटे की रफ्तार को एक किलोमीटर तक बकरार रख सकते हैं अतः किसी को भी हाथियों के अत्यधिक नजदीक नहीं जाना चाहिए।

g. हाथियों के सूघनें और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। लेकिन उनकी दृष्टि अपेक्षतया हमसे (मानव से) कमजोर होती है। यदि हाथी अपने नजदीक अचानक मनुष्य को पाता है वह अचानक चार्ज भी कर सकता है अतः यह सर्वोत्तम होगा कि हाथी को आश्चर्य में न डाला जाये जब आप उसके नजदीक हों।

2. हाथियों को गांव बस्ती से कैसे भगाया जाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में 'कुछ करो' और 'कुछ न करो' निम्न प्रकार है-

हाथियों को दूर भगाते समय क्या करें और क्या न करें:

क्या करें

- हाथियों को भगाने से पूर्व संबंधित अधिकारियों (त्वरित कार्यदल) की प्रतीक्षा करें।
- हाथियों को भगाने से पूर्व समीपस्थ गांव में स्थिति का पता लगाना चाहिए।
- हाथियों को भगाने से पूर्व झुण्ड में शिशु हाथियों, नर हाथियों और मस्त हाथियों की स्थिति का आंकलन आवश्यक है।
- हाथियों के भगाने से पूर्व उन सभी ग्रामीणों/परिवारों को सूचित करना चाहिए जो उनके रास्ते में पड़ते हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कोई भी व्यक्ति हाथी की चपेट से कुचला न जाये।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो वह हाथियों को भगाने की प्रक्रिया में शामिल न हो।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि हाथी भगाने के ऑपरेशन के दौरान शिशु हाथी झुण्ड से न बिछड़ जाये।

क्या न करें।


- हाथियों के भगाने वाले रास्ते में कोई व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए।
- जब आप ड्यूटी पर हो तो शराब का सेवन न करें और अन्य लोगों को भी शराब का सेवन न करने के लिए उत्साहित करें।
- हाथियों के भगाने के ऑपरेशन के दौरान हाथियों के नजदीक न जायें।
- हाथियों को बगैर आवश्यक उपकरणों के भगाने की कोशिश न करें। हाथी आक्रामक हो सकते हैं। और मानव जीवन और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- आग के गोले और नुकीलीदार कीलों का उपयोग हाथी भगाने में न करें इससे हाथी घायल हो सकते हैं। यह अवैधानिक है।

A. अवरोधकों के अनुश्रवण की योजना:-

जिस सीजन में मानव-हाथी संघर्ष के घटनाओं की सबसे अधिक संभावना होती है और हाथियों द्वारा अवरोधकों की तोड़-फोड़ का प्रयास किया जाता है। तो उस दौरान ए0डी0एस0 को बैरिअर्स के अनुश्रवण की योजना बनानी चाहिए।

फसल क्षति निरोधक दस्ते (ADS) द्वारा निम्न औजारों/उपायों का उपयोग बैरिअर्स के अनुश्रवण हेतु करना चाहिए:-

1. एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत ए0डी0एस0 के कम सदस्य बारी-बारी से रात्रि में बैरिअर्स का अनुश्रवण करेंगे और हाथी द्वारा बैरिअर को पार करते समय अलार्म सिस्टम से आवाज पैदा करनी चाहिए।
2. स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early warning system) को मुख्य-मुख्य बैरिअर की लोकेशन पर स्थापित करना चाहिए। यह स्वचालित प्रणाली हाथियों के बैरिअर के पास आने पर अलार्म बजायेगा जो फसल निरोधक दस्ते को सतर्क करेगा और यह दस्ता हाथियों को पीछे हटायेगा।



भाग-5 मानव -हाथी संघर्ष के न्यूनीकरण हेतु गैर -घातक और सुरक्षित अवरोधकों का चयन एवं निर्माण:-

हाथी एक बुद्धिमान जानवर है। जब वह संसाधनों से फसलों की तलाश करने हेतु प्रेरित होता है तो उसे भगाने के लिए प्रायः आवाज और रोशनी के प्रयोग से तत्काल कोई शारीरिक खतरा पैदा नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ये अवरोधक लम्बे समय तक प्रभावी रहते हैं क्योंकि हाथी उन्हें तोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं या उन्हें समझने या काबू पाने में समय लगता है। यदि इन अवरोधकों का फसल क्षति निरोधक दस्तों से सुदृढ़ीकरण कर दिया जाता है तो कम लागत के बैरिएर जैसे- ऊर्जावाड़ या खाई लम्बे समय तक प्रभावी रहते हैं। क्योंकि फसल क्षति निरोधक दस्ता हाथियों को बैरिएर की तोड़-फोड़ करने में अल्पावधि की ही अनुमति देता है।

वनविभाग के अधिकारीगण दीर्घकालिक मानव-हाथी संघर्ष वाले समुदायों के साथ काम कर रहे हैं।

क्या समुदाय के पास संघर्ष के खिलाफ प्रभावी संस्थाएँ हैं जो लामबंद हो सके?

क्या समुदायों के पास उचित रख-रखाव वाले ऐसे अवरोधक हैं जो क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश को कम कर सकें ?

हाँ

भाग-4 व्यक्तिगत हाथियों का प्रबन्धन करना जो लगातार मानव-हाथी संघर्ष पैदा कर रहे हैं।

नहीं

सर्वोत्तम अवरोधकों का चयन

हाँ

ऊँची लागत


गैर घातक ऊर्जाबाड़

हाथी निरोधक खाई

नहीं


भाग-2 समुदाय आधारित संस्थाओं का विकास और मानव-हाथी संघर्ष को कम करना।

Elephant habitat
patch 1



ऐसे अवरोधक कभी नहीं बनाये
जाने चाहिए जो हाथियों को एक
प्राकृतवास के भाग से दूसरे
प्राकृतवास के भाग में जाने से रोकें

Human
settlement



**Elephant habitat
patch 2**

सर्वोत्तम बैरियर का चयन

उद्देश्य:-

इस भाग में अति विश्वसनीय और आशाजनक बैरियर्स के सम्बंध में वर्णन किया गया है। जो मानव हाथी संघर्ष को रोक सके। निम्नांकित चार्ट उन उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा। जो इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि कौन से बैरियर उनके सन्दर्भ में उपयुक्त होंगे।

क्या कई हाथी
इस क्षेत्र में
उचित रख
रखाव वाले
ऊर्जा बाड़ को
क्षतिग्रस्त कर
रहे हैं ?

क्या हाथियों
के अलावा
अन्य जानवर
जैसे जंगली
सुअर
किसानों के
लिये चिंता का
कारण बने हुए
हैं।

नहीं

हाँ

क्या बैरियर को
पूरी लम्बाई में
आर-पार करना
आवश्यक है ?



शुष्क मिट्टी की स्थिति के लिए उपयुक्त



नम मिट्टी की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त

नहीं

इसके अलावा: बैरियर आसानी से हटाने योग्य है

सिंगल स्टेण्ड बाड़ रू. 60000 प्रतिकिमी

हाँ

मल्टी स्टेण्ड बाड़ रू. 30000 प्रतिकिमी

हाँ

हैरिंग बाड़ 5.5 लाख प्रति. किमी. पोस्ट सहित 2.5 लाख प्रतिकिमी पेड़ों पर

नहीं

इसके अलावा: बाधाओं को बार-बार निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है

स्टील रोप बाड़

रेलवे ट्रेक बाड़

हाथी निरोधक खाई

1. ऊंची लागत वाली बाड़ (रेलवे ट्रैक फैन्स या स्टील रोप फैन्स)

उद्देश्य:

रेलवे ट्रैक बाड़ और स्टील रोप बाड़ काफी हद तक हाथियों के लिए अभेद्य बैरिएर्स हैं। ये बैरिएर आवश्यक रख-रखाव नहीं मांगतें। ये बैरिएर व्यावहारिक रूप से मानव हाथी संघर्ष की बहुतायत के कारण काफी मंहगें होते हैं।

सहायक प्रसंग:

रेलवे ट्रैक फैन्स की कीमत रू० 1.5 करोड़ पर कि०मी० है, जबकि स्टील रोप फैन्सिंग की कीमत रू० 45 लाख प्र० कि०मी० है जब तक फन्ड उपलब्ध नहीं है और अनपयुक्त (व्यर्थ) के रेलवे ट्रैक उपलब्ध है तो ये बैरिएर संभव नहीं है।

अनुशासित अभ्यास:-

A. किन परिस्थितियों में इन बैरिएर्स की अत्यधिक संभावना है और ये एक अच्छा निवेश हो सकता है?

- जहां कहीं का भू-भाग चट्टानी है, दल-दली है या लहरदार भूखण्ड है। (जहां पर बिजली की बाड़ स्थापित करना और रख-रखाव करना कठिन हो)।
- अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर जहाँ खाईयों की अखण्डता संभव नहीं है।
- बिखरी हुई लम्बी वन सीमा पर
- जहाँ कहीं भी सीमा पर सड़क के लिए कटिंग नहीं है।
- अत्यधिक संघर्ष वाले स्थानों पर जहाँ पर हाथी कम



मुख्य कार्यकर्ता- रेलवे विभाग, वन विभाग, पंचायत, गांव का मुखिया और सम्बन्धित एनजीओ



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु

आवश्यक संसाधन:-

रेलवे ट्रैक बार्स या स्टील रोप, कंकरीट पोस्ट या यूकेलिपट्स पोस्ट

लागत के वैरियर को तोड़ने सीख गए हों।

B. बताए गए स्थल पर बाड़ की डिजायन करना, वनविभाग, स्थानीय ग्रामीणों और भाग लेने वाले एन०जी०ओ० के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण निर्धारित करना:-

- गांव वाले कौन सा क्षेत्र सुरक्षित चाहते हैं।
- गांव वाले कौन सा रास्ता आवगमन के लिए चाहते हैं बैरिएर ऐसे स्थानों पर नहीं बनाया जाना चाहिए जो गांव वालों और उनके मवेशियों के आने-जाने के रास्ते को रोकता हो। ऐसा होने पर गांव वाले बैरियर को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- हाथियों द्वारा अपने प्राकृतवास में जाने का जो रास्ता प्रयोग किया जाता है वे मार्ग भी बैरिएर द्वारा रोके नहीं जाने चाहिए।

C. एक प्रभावी रेल-ट्रैक फैन्स की आवश्यक नपत:

1. मीटर गेज रेल पट्टी के 3 मी0 से 6 मीटर लम्बे खम्बे काटने चाहिए। 3 मी. वाले उध्वाकार और 6 मी. वाले क्षैतिज रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए।
2. उध्वाकार पोस्ट 1.5 मी0 तक सीमेन्ट कंकरीट में फिट (Fix) होने चाहिए। ये पोस्ट 6 मीटर के अंतराल पर फिक्स होने चाहिए।
3. उध्वाकार पोस्ट पर 6 मीटर की लंबाई वाले रेल पट्टी क्षैतिज रूप 0.70 मी0 दूरी पर (जमीन की सतह) से दूसरी लाइन 1.5 मी0 दूरी पर जुड़ी होनी चाहिए। क्षैतिज और उध्वाकार रूप में रखी रेल ट्रैक के सपाट भाग पर गैस वैल्विंग से छेद कर चार इंच नट-बोल्ड से कसे होने चाहिए
4. यह भी सिफारिश की जाती है रेलवे ट्रैक फैन्स के क्षैतिज खंभों के किनारे एक गैर घातक सिंगल बिजली वायर बाड़ भी स्थापित की जानी होगी जो कि हाथियों को फैन्स को क्रास करने से रोकेगी।

D. प्रभावी स्टील रोप फेन्सिंग की नपत:

1. प्री-कास्ट रीनफोर्सड कंकरीट पोस्ट जो कि 4 मी0 लम्बे और 0.30 मी0 X 0.30 भी नपत के हो को लम्बवत् (उध्वाकार रूप में) गड्डों में 10 मीटर के अंतराल के बाद फिक्स (Fix) किये जाने होंगे। दो विभिन्न प्रकार के खंभे कार्नर पोस्ट और इन्टरमीडिएट पोस्ट के रूप में प्रयोग किये जाने होंगे। कार्नर पोस्ट को अतिरिक्त सपोर्ट देने की आवश्यकता है ताकि ढांचे को स्थायित्व और मजबूती मिले।
2. सभी खंभे जमीन के नीचे 1.5 मीटर तक गड़े हों और कम से कम 2.3 मीटर जमीन से ऊपर हों।
3. चार या पांच जड़ स्टील रोप क्षैतिज रूप में खंभों पर फिक्स होगी। स्टील रोप (14 mm डायमीटर 6 X19 स्टैन्डस स्टील कोर 12.8 टन ब्रेक फोर्स) वाली हो।

4. शक्तिशाली लकड़ी के पोस्ट (0.15 मी0 ग 0.2 मी0 डायमीटर नपत) कंकरीट पोस्ट पर फिक्स हो ताकि स्टील रोप पर अत्यधिक लोच न आने पावे।



चित्र: एक रेल-पट्टी की बाड़।



चित्र स्टील की रस्सी की बाड़

2. गैर घातक ऊर्जा बाड़

उद्देश्य:

ज्यादातर केसेज में भौतिक अवरोधक दृढ़ निष्चयी हाथी का सामना करने लायक नहीं हैं। एक विकल्प के तौर पर गैर घातक विद्युत बाड़ या ऊर्जा बाड़ हाथियों द्वारा छूने के प्रयास में झटका देते हैं जो फसल क्षति से तो बचाते तो हैं ही मानव बस्ती में जाने से भी रोकते हैं। इस खंड की विशेषताएं 3 प्रकार की ऊर्जा बाड़ है- (लटकती हुई, पांच लड़वाली, और एक लड़ वाली) जो लागत में भिन्न तो है ही संदर्भ में उपयोगी और प्रभावी भी हैं। उपयोग कर्ता अपने परिपेक्ष्य के लिए सर्वात्म बाड़ चुन सकते हैं।

अनुशंसित अभ्यास:-

A. ऊर्जा बाड़ उन्हीं क्षेत्रों में विकसित या स्थापित की जानी चाहिए जहां समुदाय आधारित संस्थाएं बाड़ के प्रबन्धन हेतु उपलब्ध है।

B. बताये गए स्थल पर बाड़ की डिजायन की जानी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों वनविभाग के कार्मिक और भाग लेने वाले एन0जी0ओ के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

1. ग्रामीण किस क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
2. ग्रामीण किस रास्ते को आवागमन हेतु प्रयोग करना चाहते हैं। (वह रास्ता बैरिएर द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिए)।
3. हाथियों द्वारा जो रास्ता अपने प्राकृतवास में आवागमन के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह रास्ता बगैर रोके रहना चाहिए।
4. रेखीय बाड़ या गोलाकार में से दोनो कौन सी बाड़ उपयुक्त रहेगी - एक रेखीय बाड़ का मतलब हाथियों को मौजूदा स्थान से उनके प्राकृतवास में जाने से रोकना है जबकि गोलाकार बाड़ के चारों ओर वे घूम सकते हैं। तथा एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में जा सकते हैं।



मुख्य कार्यकर्ता-

बैरियर रख रखाव कमेटी, वन विभाग और एनजीओ अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:- सिविल प्रशासन, जन प्रतिनिधि/विधायक, गांव का मुखिया।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु

आवश्यक संसाधन:-

सभी बाड़ के लिये-फाल्ट फाइन्डर, सिंगल स्ट्रेन्ड और मल्टी स्ट्रेन्ड बाड़, लोहा/लकड़ी के खम्भे, जी.आई. वायर, इंसुलेटर, तार टाइट करने वाला यंत्र, कार्नर इंसुलेटर, डिजिटल वोल्टमीटर, 12 वोल्ट बैटरी, एनरजाइजर, और सोलर पैनल, हैंगिंग फैन्स-लोहा/लकड़ी के खम्भे या मौके पर खड़े पेड़ जी.आई वायर कार्नर इंसुलेटर, इंसुलेषन पाइप, चाकू, डिजिटल वोल्टमीटर, 12 वोल्ट बैटरी, एनरजाइजर और सोलर पैनल।

5. भवनों पावर लाईन्स या ए0सी0 करैन्ट से ऊर्जा बाड़ को कैसे बचाया जाये।

C. बाड़ की तकनीकी नपत - विद्युतीय घटक:-

यहां पर तीनों प्रकार की तार बाड़ की नपत के बारे में बताया जा रहा है।

सभी प्रकार के पावर फैन्स के विद्युतीय घटक :-

इनरजाइजर:- अधिकतम 5 जूल्स का आई0एस0बी0आई0एस0 द्वारा प्रमाणित मापदण्ड का इनरजाइजर प्रयोग करना आवश्यक है। प्रत्येक बैट्री के लिए पृथक इनरजाइजर की आवश्यकता होगी। एक मजबूत अच्छी श्रेणी का इनरजाइजर प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि 0.003 सेकेंड के बीच 6000 से 9000 वोल्ट की पल्स पैदा करता हो।


बाड़ की लम्बाई	अनुशासित इनरजाइजर की क्षमता
<3 कि0मी	1 J
<4 कि0मी	2 J
<5 कि0मी	4 J

अच्छे इनरजाइजर की क्षमता:-

सूखी जमीन अच्छे वानस्पतिक आवरण या बाड़ पर तार की लड़ो की संख्या प्रति कि0मी0 मापी जा सकती है। इनरजाइजर की क्षमता 5श्र प्रतिकि0मी0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बैट्री:- बैट्री ही फैन्स को ऊर्जा पूर्ति करती है। इनरजाइजर की आवश्यकताओं के अनुसार बैट्री होनी चाहिए। बैट्री की संख्या और क्षमता जो प्रयोग की जानी है फेन्सिंग के प्रकार वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आदर्श रूप में विशेषज्ञ की सलाह हेतु उपलब्ध न हो तो 12 बोल्ट की 100 से 120 Ah बैट्री की आवश्यकता होगी।

सोलर पैनल:- आदर्श रूप में सोलर पैनल के चयन के संबंध में विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए जो कि स्थानीय परिस्थितियों, बैट्री और इनरजाइजर की आवश्यकतानुसार ही सामान्यतया 15-17V 3-5A और 100 वाट के सोलर पैनल की 4-ज इनरजाइजर हेतु अनुशंसा की जा रही है। सोलर पैनल दक्षिण दिशा की ओर अक्षांश के बराबर कोण फिक्स होने चाहिए। सोलर पैनल सुई की रोशनी की ओर फैन्स की पहुंच के पास स्थापित किये जाने चाहिए।



चार्ज नियन्त्रक:- सोलर चार्ज कन्ट्रोलर बैट्री को अत्यधिक चार्ज होने या ओवर डिस्चार्ज होने से सुरक्षित रखता है और बैट्री की लाइफ को लम्बा रखता है। सोलर पैनल चार्ज कन्ट्रोलर से जुड़े होते हैं। चार्ज कन्ट्रोलर से तार के दो सैट (प्रत्येक सैट धनात्मक और ऋणात्मक तार) आते हैं। जो बैट्री इनजाइजर से जुड़े होते हैं। चार्ज कन्ट्रोलर 13.5V सोलर पैनल और 11.5V इनरजाइजर पर सैट कर बंद किये जाने चाहिए।

लाइटनिंग प्रोटैक्शन:- (आकाशीय बिजली चमकने से सुरक्षा)

लाइटनिंग डिवाइडर (मोड़ने वाला) संयन्त्र एनेजाइटर के टर्मिनल और फेन्स के बीच स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आकाशीय बिजली की चमक से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

अर्थिंग:- पूरे सिस्टम को समुचित रूप से क्रियाशील रखने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता है। इनरजाइजर के टर्मिनल को तीन मेटल रौड से जमीन में एक मीटर तक गाड़ना चाहिए। अर्थिंग सदैव नम जमीन में (रेत बजरी और कोयला) डालकर दूसरे किसी अर्थिंग से दूर करना चाहिए।

गैर विद्युतीय घटक- प्रत्येक प्रकार की फेन्स के लिए दिशा निर्देश:-

एक तार लड़ वाली फेन्स:- जो भूमि नम होती है वहां पर कम लागत वाली फेन्स प्रयोग की जाती है। अकेले तार की लड़ के कारण ये फेन्स कम रख-रखाव मांगती हैं। तथा ये तार 1.7 मीटर की ऊंचाई पर हाथी को रोकने के लिए काफी है।

आदर्श रूप में फेन्स 2.5 कि०मी० की लम्बाई से कम होना चाहिए ताकि आसानी से रख-रखाव किया जा सके। जो फेन्स 5 कि०मी० से अधिक है उन्हें छोटे-छोटे भागों में बांट देना चाहिए।

पोस्ट (खंभे): खंभे बांस, लकड़ी, लोहा और सीमेन्ट कंकरीट से बनाए जाने चाहिए प्रत्येक खंभा 7.5 फिट लम्बा तथा 5.5 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए।

पोस्ट का झुकाव 70° उस ओर होना चाहिए जिधर से हाथी आने की संभावना हो। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट

की दूरी 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तार:- उच्च श्रेणी का 2.5 मिलीमीटर गेलवनाइज्ड लोहे से बनी उच्च तन्यता की तार प्रयोग की जानी चाहिए। बांधने वाला तार 2 mm मोटा उपरोक्त गुणवत्ता का होना चाहिए। पावर फेन्स में कभी भी कांटेदार तार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तार मनुष्यों और जानवरों के घूमने के दौरान चोटिल या घायल कर सकता है।

इन्सुलेटरस:- रील इन्सुलेटर प्रयोग किये जाने चाहिए जिससे कि तार पास हो सके और इन्सुलेटर खंभों से बंधे होने चाहिए। कार्नर पोस्ट इन्सुलेटर प्रत्येक घूम पर कार्नर पर प्रयोग किये जाने चाहिए।

कई लकड़ी फेन्स:- ये फेन्स हाथी और अन्य जानवरों को दूर रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इन फेन्स में लगभग वही स्पेसिफिकेशन होगी जो सिंगल वायर फेन्स में होता है। केवल निम्न भिन्नताओं को छोड़कर:-

- इन खम्भों पर कुल 2.5 मी० तक तार लगी होगी पहली तार लड़ 1.8 मी० (जमीन से ऊपर) दूसरे 1.2 मीटर पर (जमीन से ऊपर) बाकी तारों जमीन की सतह के पास लगी होती हैं। ताकि छोटे जानवरों को दूर किया जा सके।

- सभी खंभें जाल से या खंभे सुरक्षित रखने वाले वायर फ्रेम से सुरक्षित रखे जाने चाहिए ताकि हाथी खंभों की पकड़ से बच सकें और हाथियों द्वारा खंभों को नीचे गिराना संभव न हो।

- कई लड़ वाली फेन्स उध्वाकार स्थिति में या कोणीय आधार पर भूमि की स्थिरता का देखते हुए स्थापित की जानी चाहिए।

लटकती हुई फेन्स (Hanging fences):- यह बाड़ उन अड़ियल हाथियों के लिए बनाई जाती है जो परंपरागत बाड़ को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। जिसका मतलब है:-



(i) हाथी के लिए अत्यधिक लम्बा हो जिससे हाथी आसानी से किसी भी वस्तु को उसके उपर न फेंक सकें।

(ii) उध्वाकार या लम्बवत स्टेन्ड प्रयोग करना ताकि हाथियों को पोस्ट तोड़ने से रोका जा सके।

(Post) खंभे: आदर्श रूप में ये पोस्ट 2.5 इंच डायमीटर B क्लास 4 mm मोटे गैलवेनाइज्ड आयरन पाइप बने होते हैं। प्रत्येक पोस्ट 4.9 मीटर लम्बे जिसके 4.5 मीटर जमीन से ऊपर होने चाहिए। खम्भे 0.60 मी० जमीन के अन्दर सीमेन्ट कंक्रीट में गड़े होने चाहिए खम्भों को 20 मीटर के अन्तराल पर गाड़ना चाहिए। लेकिन यदि जमीन सख्त न हो तो नजदीक भी गाड़े जा सकते हैं। हैंगिंग फैन्स की पोस्ट T के आकार के होते हैं।

तार: लम्बवत तार गैलवेनाइज्ड आयरन (G.I.) हो तथा उच्च तन्यता का (14 गेज सर 2 mm) का होना चाहिए।

मुख्य लम्बवत तार पोस्ट के बाहर निकले भाग से 4.3 मी० की दूरी पर अटैच होना चाहिए एक वैकल्पिक या स्वेच्छिक अतिरिक्त तार लम्बवत 1.3 मीटर की दूरी पर अटैच होना चाहिए। झुकती हुई लड़े 3 मी० लम्बी होनी अंजीर: सिंगल-स्टैंड बाड़



चित्र: मल्टी-स्टैंड बाड़

चाहिए और जमीन से 1.3 मीटर दूरी से आनी चाहिए। झूलती हुई तारें 1.3 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।

इन्सुलेटर:- तारों को गुजरने के लिए रील इन्सुलेटरस का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो कि खंभों से संबद्ध हो। कार्नर पोस्ट इन्सुलेटर कार्नर पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

D. पूरी या सम्पन्न की गई बाड़ का आंकलन:-

बाड़ की स्थापना के बाद एक ही टीम द्वारा जिसमें वन विभाग और बिजली विभाग के प्रतिनिधि शामिल हो तथा प्रसांगिक वन्य जीव एन०जी०ओ० शामिल हो के द्वारा निम्न पहलुओं पर प्रमाणिकता की जांच की जानी चाहिए।

1. वोल्टेज
2. ऊर्जा स्त्रोत
3. ए०सी० करैन्ट की निकटता का स्त्रोत जैसे विद्युत आपूर्ति लाईन। (बाड़ इस तरह के स्त्रोत के नजदीक

नहीं होनी चाहिए।

4. बाड़ के घटकों की गुणवत्ता जिसमें बैट्री, इनरजाइजर, सोलर पैनल, फेन्स पोस्ट और इन्सुलेटर शामिल हों

5. क्या बाड़ हाथियों के प्राकृतवास में आवागमन को बाधितकर या रोक रही है।

E. बाड़ का अनुश्रवण एवं रख-रखाव

1. बैरियर/फेन्स रख-रखाव कमेटी द्वारा बाड़ के अनुश्रवण और रख-रखाव को सुनिश्चित करना चाहिए।

2. पावर सप्लाई और अर्थिंग व्यवस्था का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाना चाहिए।

a. बैट्री का वोल्टेज (Current of battery)

b. बाड़ की वोल्टेज (Current on Fence) विभिन्न स्थानों पर

3. बाड़ के नीचे उग आई वनस्पति की जांच की नियमित रूप से की जानी चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घास आदि बाड़ के तारों को न छुए। महीने में दो बार बाड़ को नीचे घास की सफाई आवश्यक है। मल्टी लेयर स्ट्रेंड की दशा में निरीक्षण बार-बार किया जाना आवश्यक है।

4. महीने में एक बार सोलर पैनल की सफाई आवश्यक है

5. विद्युत संयोजन:- अवरोधक का निरीक्षण (प्रतिदिन) ढीले ढीले संयोजन सप्ताह में एक दिन जंक का महीने भर में निरीक्षण किया जाना चाहिए।


6. बैट्री- बैट्री चार्ज है या नहीं प्रतिदिन जांच की जानी चाहिए और डिजीटल वाटर की हर पन्द्रह दिन में जांच आवश्यक है।

F. अतिरिक्त प्रयास जो बाड़ के प्रदर्शन (Performance) को बढ़ा सके।

1. पावर फेन्स को तोड़ने टूटने से बचाने के लिए खाई हाथियों को रोकने में सहयोग कर सकती है।

2. फसल क्षति निरोधक दस्ता और पूर्व चेतावनी व्यवस्था हाथियों को पावर फेन्स तोड़ने से रोक सकती है।

L. फेन्स की कुल लागत का आंकलन परिषिष्ट vii में दी गई तालिका में किया जाये।



चित्र: हैरिंग फेन्स

3. हाथी अवरोधक खाईयाँ

उद्देश्य:

हाथी आसानी से सीधी चढ़ाई और कूदने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार खाई जो कि पर्याप्त रूप से खड़ी और गहरी होती हैं वे एक मजबूती से बैरियर के रूप में हाथियों के आवागमन को रोकती है। पर्याप्त धन और मानव शक्ति खाईयों के रख-रखाव हेतु आवश्यक है। हस्त पुस्तिका का यह भाग खाईयों के डिजायन, स्थिति, निर्माण और रख-रखाव के सम्बन्ध में विस्तार से बताता है।

अनुशंसित अभ्यास:-

A. जहाँ समुदाय आधारित संस्थाएं उपलब्ध हैं। वहां पर हाथी अवरोधक खाईयाँ और अन्य अवरोधक विकसित किये जाने चाहिए।

B. वो परिस्थितियां जिनमें खाईयाँ खोदनी उचित है।

1. भूमि का स्वरूप:- मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए अन्यथा हाथी खाई की दीवारों को पैरों द्वारा क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। अपेक्षाकृत मिट्टी नम नहीं होनी चाहिए नहीं तो यह मिट्टी हाथी द्वारा ढीली की जा सकती है।
2. अपेक्षाकृत उन स्थानों पर कुछ नाले या कुछ भूस्थलाकृति खाईयां होनी चाहिए जिससे वे प्रभावशाली हो जाएं।

C. बताए हुए स्थान पर खाई का डिजायन:

स्थानीय ग्रामीणों, बैरियर रख-रखाव कमेटी वनविभाग के कार्मिक, और एन0जी0ओ0 के सहयोग से एक संयुक्त सर्वेक्षण निर्धारित किया जाना चाहिए।



मुख्य कार्यकर्ता- बैरियर रख रखाव कमेटी, वन विभाग और सम्बन्धित एनजीओ

अन्य कार्यकर्ता और सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:- सिविल प्रशासन, जन प्रतिनिधि/विधायक, पंचायत, गांव का मुखिया।



उपकरण और हस्तक्षेप हेतु आवश्यक संसाधन:-

बैकहो लोडर/ एक्सवेटर, बुल्डोजर, ड्रिलर, नपत करने वाले छड़।

1. गांव वाले किस क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं
2. ग्रामीणों और उनकी मवेशियों द्वारा आवागमन के लिए प्रयोग किए जा रहे रास्तों को खाईयों द्वारा बन्द नहीं करना चाहिए।

D. तकनीकी स्पेसिफिकेशन नपत:-

1. हाथी अवरोधक खाई (Elephant Proof Trenches) E.P.T 2 मीटर गहरी खाई 3 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। आदर्श रूप से खाई की दीवारें सीधी खड़ी कटी होनी चाहिए और उध्वाकार में होनी चाहिए।
2. खोदी गई मिट्टी खाई से दूर रखी जानी चाहिए ताकि हाथी खाई को मिट्टी से भर न सके।
3. खाई स्पष्ट रूप से 3 मीटर दूरी से दोनो ओर से दृश्यमान हो और अन्डरस्टोरी की झाड़ी घास कटान कर लेना चाहिए।

4. जहां पर मिट्टी ढीली हो उस स्थान पर खाई नहीं खोदनी चाहिए क्योंकि ढीली मिट्टी से खाई गिर सकती है। ऐसे स्थानों पर दीवार या गैर घातक पावर फैन्स के बैरिएर बनाए जाने चाहिए।

5. हाथी प्रायः खाई की चट्टानी साईड से खाई को पार करने का प्रयास करता है। अतः चट्टान को काटकर खाई प्रर्याप्त रूप से गहरी होनी चाहिए।

E. खाई को पार करने योग्य बनाना:

1. साधारण लकड़ी का पुल खाई के ऊपर बनाकर स्थानीय समुदायों का जंगल में आवागमन बनाए रखा जा सकता है। ये पुल पशुओं की भार क्षमता को सहने वाले बनाए जाने चाहिए।

2. जहां कहीं भी रोड के रूट हैं वहां विद्युत गेट या अन्य प्रभावी बैरिएर स्थापित कर हाथी को रोका जा सकता है।

3. यदि खाई के पास किसी नाले का कट हो तो निम्न उपाय हाथी को रोकने हेतु अमल में लाना चाहिए।

a. नाले के कटाव में सीमेन्ट कंकरीट के पिलर बनाए जाने चाहिए और पानी को बहने देना चाहिए।

b. पानी को पाईप के द्वारा मोड़कर नाले के कटाव में सीमेन्ट कंकरीट की दीवार बनानी चाहिए।

F. खाईयों का अनुसरण एवं रख-रखाव

1. बैरियर खाई रख-रखाव कमेटी खाईयों के अनुसरण एवं रख के लिए उत्तरदायी होंगे।


2. वर्षा के बाद खाईयों में सिल्ट एवं मिट्टी भू-क्षरण के कारण भर जाने पर बैरियर देख-रेख करने वालों को खाईयों को साफ करना चाहिए। यह कार्य वही साल में एक बार की जानी चाहिए। यदि अपवाद के रूप में भू-क्षरण से खाई भर जाती है। तो प्रायः साल भर में इस कार्यवाही की पुररावृत्ति की जा सकती है। भू-क्षरित मिट्टी धीरे-धीरे खाई में भर जाती है। जिससे हाथी खाई को आसानी से लांघ सकता है।

3. यदि पर्याप्त गहराई में न खोदी गई हो तो इन चट्टानी भागों को हाथी प्रायः प्रयोग करते हैं। इन भागों में पर्याप्त गहराई में खाई को खोदा जाना चाहिए।

4. लगभग उसे 5 मीटर की दूरी पर खाईयों के दोनो ओर के आस-पास की झाड़ी घास की सफाई आवश्यक है। ताकि हाथी को खाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। मानसून के बाद खाईयों के आस-पास झाड़ी घास की सफाई आवश्यक है।

5. बैरिएर रख-रखाव कमेटी को खाईयों के अनुश्रवण एवं रख-रखाव हेतु फंड एकत्रित करना चाहिए।

चित्र: हाथी-रोधी गर्ट



नोट: गैर-बाधा हस्तक्षेप

कुछ क्षेत्रों में, हाथी नियमित रूप से फसल पर हमला करते हैं और यहां तक कि नियमित रूप से बाधाओं को तोड़ना भी सीख लेते हैं। उन जगहों पर जहां अधिक महंगे अवरोध वहन करने योग्य नहीं हैं। अगली सबसे अच्छी बात यह है कि क्षतिपूर्ति के माध्यम से हानियों को प्रबंधित करने का प्रयास किया जाए अनुदान के लिए जानकारी एकत्रित करना" देखें। हालांकि, हम मानते हैं कि अगर हाथी बहुत अधिक स्थानीय नुकसान कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मुआवज़ा एक टिकाऊ उपाय नहीं है।

हालांकि इस दुविधा का कोई निश्चित समाधान नहीं है, अधिकारी एचईसी का सामना कर रहे समुदायों के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेपों के कुछ संयोजन का प्रस्ताव कर सकते हैं:

1. स्थानीय समुदायों को हाथियों के निवास स्थान में आवास बहाली गतिविधियों में मदद करने के लिए भुगतान करना, हाथियों के लिए उपयुक्त पेड़ और घास लगाना;
2. जहां एचईसी आंशिक रूप से हो रहा है क्योंकि मानव आवास और हाथियों के आवास के बीच कोई कठोर सीमा नहीं है, कृषि भूमि खरीदने की पेशकश करें ताकि एक कठिन सीमा के विकास को सक्षम किया जा सके जिसके साथ सफल अवरोध स्थापित किए जा सकें। अधिग्रहीत भूमि पर आवास बहाली पर भी विचार किया जा सकता है;
3. समुदायों को उन फसलों के लिए (बाजार मूल्य) भुगतान करना जो वे तीन वर्षों से खो रहे हैं, उन्हें उन फसलों के साथ प्रयोग करने का अवसर देना जो हाथियों के लिए अस्वाभाविक हैं और साथ ही साथ वैकल्पिक आजीविका भी।

यदि वन विभाग इस अंतिम विकल्प में रुचि रखता है - वैकल्पिक फसलों या आजीविका के लिए एक कदम को बढ़ावा देने में मदद करने से जो संघर्ष को कम करेगा - एक संभावना यह है कि वन विभाग के अधिकारी एचईसी-प्रवण समुदायों को अधिकारियों से जोड़ने की तलाश करें।

विभिन्न अन्य विभागों से जो कृषकों को स्वादिष्ट फसलों से हाथियों को बेस्वाद फसलों या अन्य आजीविकाओं में बदलने में मदद कर सकते हैं। वन विभाग के अधिकारी जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में बैठकें। कुछ विभाग/एजेंसियां जो वैकल्पिक आजीविका मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हो सकती हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं:

1. कृषि विभाग
2. मत्स्य विभाग
3. डेयरी विकास
4. रेशम उत्पादन विभाग
5. हथकरघा और कपड़ा विभाग
6. पर्यटन विभाग
7. वित्तीय संस्थान/बैंक
8. वाणिज्यिक भागीदार

भाग 4: बार-बार मानव-हाथी संघर्ष में लगे व्यक्तिगत हाथियों का प्रबंधन

भारत के कई हिस्सों में, कुछ अलग-अलग हाथी बार-बार बाधाओं को तोड़ते हैं या मानव-बहुल क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। आम तौर पर, ये व्यक्ति फसलों, नमक या शराब जैसे प्राकृतिक आवास के बाहर अधिक आसानी से उपलब्ध संसाधनों की तलाश कर रहे हैं। कभी-कभी, व्यक्तिगत हाथी मानव-वर्चस्व वाले क्षेत्रों के आदी हो जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों को अपनी नियमित सीमा के हिस्से के रूप में शामिल कर लेते हैं। ये अलग-अलग हाथी पूरी तरह से हानिरहित हो सकते हैं, यहां तक कि स्थानीय समुदायों के प्रिय भी हो सकते हैं- या वे अत्यधिक आक्रामक हो सकते हैं, यहां तक कि एक या कई लोगों को भी मार सकते हैं। हाथी के आक्रामक होने पर सरकार को स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि, यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां स्थानीय समुदाय कुछ व्यक्तिगत जंगली हाथियों के दौरे का आनंद लेते हैं, सरकार को आदर्श रूप से अभी भी इन हाथियों को मानव बस्तियों में जाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हाथी दुर्घटना, हार्मोनल परिवर्तन (जैसे मस्त) के कारण अचानक आक्रामक हो सकते हैं। या गैरजिम्मेदार लोगों के द्वारा उकसाए जाते हैं।

दीर्घावधि में, आवास बहाली और बेहतर भू-दृश्य योजना का संयोजन- प्रभावी बाधाओं सहित- मानव-बहुल क्षेत्रों में हाथियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन इस बीच, यदि व्यक्तिगत हाथी नियमित रूप से अच्छी तरह से बनाए गए अवरोधों को भी तोड़ना सीख जाते हैं, तो कभी-कभी वन विभाग को उन हाथियों को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह दिशानिर्देश समस्याग्रस्त व्यक्तिगत हाथियों से निपटने के लिए चार अंतर-संबंधित हस्तक्षेपों के लिए निर्देश प्रदान करता है।

हम कम से कम एक हाथी से निपट रहे हैं जो बार-बार बाधाओं को तोड़ता है, भले ही वे अच्छी तरह से बनाए हुए हों।

क्या समुदाय सबसे मजबूत
संभावित बाधा से सुरक्षित हैं?

- नहीं -

भाग 3: एचईसी को कम
करने के लिए गैर-घातक और
सुरक्षित अवरोधों का चयन
और निर्माण
पृष्ठ 72

हाँ

क्या हाथी को पीछे हटाने
में मदद के लिए कॉलर
लगाया गया है?

- नहीं -

1. कब्जा और
कॉलरिंग
पेज 92

हाँ

क्या हाथी के स्थानांतरण के
बारे में सोचा गया है?

- नहीं -

2. नकारात्मक
कंडीशनिंग
पेज 99

3. स्थानान्तरण
पेज 102

हाँ

अगर हाथी लोगों के लिए स्पष्ट
और लगातार खतरा पैदा करता
है, तो कैद पर विचार किया जा
सकता है।

4. कैद पेज 107

1. कब्जा और कॉलरिंग

खंड का उद्देश्य:

कॉलरिंग एक रैपिड रिस्पांस टीम जैसे अधिकारियों को एक ऐसे हाथी को ट्रैक करने की अनुमति दे सकता है जो अवसर संघर्ष में शामिल होने के लिए संदिग्ध (या ज्ञात) होता है। एक कॉलर वाला हाथी न केवल संघर्ष के प्रबंधन के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है, बल्कि डेटा जो क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा, (संभावित रूप से) प्रभावी नकारात्मक कंडीशनिंग के लिए कॉलरिंग एक आवश्यक शर्त है (पृष्ठ 99 पर "2. नकारात्मक कंडीशनिंग" देखें)। आदर्श रूप से, चूँकि बड़ी संख्या में जानवरों को कॉलर और मॉनिटर करना आर्थिक रूप से या तार्किक रूप से संभव नहीं है, कॉलरिंग केवल वहीं आयोजित की जानी चाहिए जहाँ प्रभावी अवरोधक तैनात किए गए हैं और आवश्यक पाए गए हैं या जहाँ किसी कारण से अवरोध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

हस्तक्षेप के दौरान भरी जाने वाली डेटा शीट (यथा प्रासंगिक):

- पृष्ठ 142 पर "संदिग्ध नए हाथी का रिकॉर्ड"
- पृष्ठ 147 पर "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट"

अनुशासित अभ्यास:

A. एचईसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कॉलरिंग कुछ मामलों में समझ में आता है:

1. जब एक हाथी या झुंड मानव निवास के करीब के क्षेत्रों का उपयोग करता है, लेकिन केवल कभी-कभी फसलों पर हमला करता है, मानव उपयोग के क्षेत्रों में भटकता है, या मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है, तो हाथी(यों) को गले लगाना उनके व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप को सक्षम करना। हालांकि, इस मामले में, अधिकारियों को सावधानी से विचार करना चाहिए कि क्या कॉलरिंग के लाभ लागत और जोखिम से अधिक हैं।



मुख्य कलाकार:

आरआरटी/वन विभाग, विशेषज्ञ पशु चिकित्सक।

शामिल होने वाले अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां:

पशु चिकित्सा विभाग, गांव के नेता, पुलिस विभाग, कूकी और महावत।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन:

जीपीएस/जीएसएम/रेडियो कॉलर, ऑपरेशन के लिए वाहन, टॉर्च लाइट, ध्वनि बनाने वाले उपकरण, सुरक्षात्मक फील्ड गियर, वायरलेस संचार उपकरण, जीपीएस, स्मार्ट फोन, भारी-भरकम रस्सियां/चेन, हाथी की आंखों पर पट्टी, हाथी को ठंडा करने के लिए पानी, मापने वाला टेप, हेवी-ड्यूटी क्लिपर, रक्त/संबंधित नमूने लेने के लिए सामग्री, डार्टिंग उपकरण (रेडियो डार्ट्स सहित) और दवाओं और एंटीडोट्स और अन्य सहायक दवाओं सहित सभी आवश्यक पशु चिकित्सा उपकरण।

2. जब कोई हाथी या झुंड बार-बार एचईसी में उलझता हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें कॉलर लगाने से आरआरटी के लिए अधिक तेज़ी से हस्तक्षेप करना संभव हो सकता है, संघर्ष को रोका जा सकता है।

B. कॉलरिंग के लिए पूर्वापेक्षाएँ:

1. संघर्ष में शामिल हाथी की पहचान स्थापित करें (पृष्ठ 124 पर "व्यक्तिगत हाथियों की पहचान" पर अनुभाग देखें)।

2. स्पष्ट औचित्य के साथ कॉलरिंग के लिए एक प्रस्ताव विकसित करें कि हाथी को पकड़ना और संघर्ष को कम करने के लिए कॉलरिंग क्यों आवश्यक है। यह प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।


3. अधिकारियों के पास कॉलरिंग को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। इसमें आवश्यक कॉलर, सही दवाएं, और कॉलरिंग ऑपरेशन के लिए संसाधन (फील्ड टीम, वाहन और कूकीज सहित) खरीदने के लिए आवश्यक धन शामिल है। इसके अलावा, विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाला कॉलर खरीदने में कम से कम 4-5 महीने लग सकते हैं। कॉलरिंग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजना आवश्यक है।

C. कॉलरिंग के लिए तैयारी:

मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति प्राप्त होने पर, प्रभारी अधिकारी (ऑपरेशन के क्षेत्र के लिए रेंज अधिकारी जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक हाथी को पकड़ने के लिए निम्नलिखित चीजें तैयार हैं:

1. एक हाथी का कॉलर प्राप्त करने की आवश्यकता है। कॉलर प्रकार (उपग्रह, जीएसएम, रेडियो, या संयोजन) का चयन कॉलर की बैटरी लाइफ और हाथी के रीयल-टाइम स्थान प्रदान करने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। जीएसएम कॉलर का चयन करने से पहले, वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुचि के क्षेत्र में सेल फोन कवरेज हो। वीएचएफ सुविधाएं हमेशा सभी कॉलर पर शामिल होनी चाहिए। कॉलर प्रकार का चयन करने से पहले, अधिकारियों को कॉलर निर्माताओं और अनुभवी चिकित्सकों के साथ काम करना चाहिए ताकि यह आकलन किया जा सके कि कॉलर प्रकार (यदि कोई हो) दिए गए क्षेत्र में वास्तविक समय (या वास्तविक समय के निकट) स्थान प्रदान करने में सक्षम होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉलर सभी क्षेत्र स्थितियों में सुरक्षित और चालू रहेगा, उदाहरण के लिए, जब जानवर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ हो।

2. वन विभाग के पशुचिकित्सक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार



पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियाँ, विषहर नाशक तथा रेडियो डार्ट्स क्रय करें। रेडियो डार्ट्स एक संकेत उत्पन्न करते हैं जो बेहोश हाथी का पता लगाने में मदद करता है, जो आमतौर पर दवा के प्रभाव से पहले कुछ दूरी तय करता है। कुछ मामलों में, उड़े हुए जानवर का पता लगाने में देरी हाथी के लिए जानलेवा हो सकती है।

3. अन्य आवश्यक क्षेत्र उपकरण जैसे हाथी को बाँधने के लिए भारी-भरकम रस्सियाँ और जंजीर, यदि आवश्यक हो तो, आँखों पर पट्टी के रूप में उपयोग करने के लिए एक बड़ा कपड़ा, आपात स्थिति में उपयोग की जाने वाली दवाएं, हाथी को ठंडा करने के लिए पानी, यदि आवश्यक हो तो मापने वाला टेप, हाथी के महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए कॉलर और उपकरण की बेल्ट की अतिरिक्त लंबाई को काटने के लिए एक भारी शुल्क क्लिपर। पशु चिकित्सा दल के सहयोग से रेंज अधिकारी द्वारा रक्त और कोई अन्य नमूना लेने के लिए उपकरण भी तैयार किया जाना चाहिए।

D. समन्वित संचालन के लिए टीमों का गठन (अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद)

1. प्रशासनिक नेता: टाइगर रिजर्व के बाहर, यह संबंधित उप वन संरक्षक (डीसीएफ) होना चाहिए। टाइगर रिजर्व के अंदर, यह टाइगर रिजर्व का निदेशक होना चाहिए। यह टीम सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को नियमित रूप से अपडेट करेगी और अन्य सभी टीमों की गतिविधियों की निगरानी करेगी।
2. पशु चिकित्सा दल: कम से कम एक पशु चिकित्सक और उसके सहायक। यह टीम ट्रैकुलाइजेशन दवाओं, अन्य दवाओं और संबंधित उपकरणों के लिए जिम्मेदार होगी। टीम को ट्रैकुलाइजेशन के लिए जगह की पहचान करनी चाहिए और पकड़ने से पहले, उसके दौरान और बाद में हाथी के शरीर की स्थिति का आकलन करना चाहिए। उन्हें आवश्यक उतक के नमूने भी एकत्र करने चाहिए।
3. डार्टिंग टीम: एक पशु चिकित्सक, प्रशिक्षित पशु चिकित्सा सहायक, या कोई प्रशिक्षित वन अधिकारी डार्टिंग कर सकता है। यदि डार्टर पशु चिकित्सक नहीं है, तो पशु चिकित्सक को डार्टर को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि डार्ट से शरीर के किन अंगों को बचाना चाहिए।
4. ट्रैकिंग टीम: हाथी ट्रैकिंग में उत्कृष्ट कौशल वाले कुछ 3-6 लोग। उनकी भूमिका ट्रैकुलाइजेशन से पहले, उसके दौरान और बाद में हाथी का पीछा करना और अन्य टीमों को हाथी के ठिकाने के बारे में सूचित करना है। इस टीम को कॉलर वाले हाथियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए प्रासंगिक सभी तकनीकों के उपयोग में आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें उपग्रह स्थानों और हैंडहेल्ड VHF/UHF उपकरणों को देखने के कार्यक्रमों से परिचित होना शामिल है।
5. हाथी महावतों की टीम (कुन्की हाथियों के साथ): अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुन्की हाथी शांत करने के बाद परेशानी में फँसे जंगली हाथी को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही कॉलरिंग के दौरान सहायता भी कर सकते हैं।

6. कॉलरिंग टीम: एक पशु चिकित्सक, जीवविज्ञानी और सहायक सदस्य। उनकी भूमिका कॉलर और उसके सामान की कार्यक्षमता की जांच करना है, साथ ही कॉलर फिक्स मापों पर निर्णय लेने के लिए हाथी के शरीर की स्थिति का आकलन करना है।

7. रसद दल: वन विभाग के रेंज अधिकारी रैम्प बनाने के लिए वाहन, मशीनरी, सामग्री, रस्सियाँ तथा ऐसे ही अन्य गैर-पशु चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कुनकी हाथी साइट पर आने में सक्षम हों और टीमों के लिए भोजन, पानी और आवास की व्यवस्था करें। उन्हें अन्य लॉजिस्टिक्स भी सौंपे जा सकते हैं।

8. भीड़ प्रबंधन टीम (ऑपरेशन जंगल के बाहर होने की स्थिति में): पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी। उनकी भूमिका लोगों को कब्जे वाली जगह से दूर रखना है।

E. कॉलरिंग के लिए हाथी की निगरानी और चयन:

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है (बी1), कॉलरिंग के लिए एक विशिष्ट हाथी या झुंड की पहचान की जानी चाहिए थी। कॉलरिंग से कुछ दिन पहले, कुशल ट्रैकर्स की एक छोटी टीम को दिन के समय हाथी की गतिविधियों पर नज़र रखने और निगरानी करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए।

1. हाथियों के झुंड की सामान्य आदतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए - यानी, वे दिन में कहाँ और किस समय भोजन करते हैं, आराम करते हैं, आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. जहां भी संभव हो, कॉलरिंग के लिए केवल एक पूर्ण विकसित वयस्क हाथी का चयन किया जाना चाहिए (नीचे अनुभाग एल देखें)। छोटे बछड़े या उन्नत गर्भावस्था वाले हाथियों को कॉलरिंग के लिए लक्षित नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्ति को अंततः ट्रैकुलाइज और कॉलर किया गया है, कॉलरिंग प्रयास से पहले निगरानी के माध्यम से युवा बछड़ों वाली सभी माताओं की पहचान की जानी चाहिए।

F. ट्रैकुलाइजेशन के लिए साइट का चयन

1. जहां तक संभव हो, शांत करने के लिए उच्च दृश्यता वाले समतल भूभाग का चयन किया जाना चाहिए।
2. फील्ड प्रेक्षणों के आधार पर ट्रैकुलाइजेशन के लिए चयनित क्षेत्र का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। इसमें भू-उपयोग, उपयुक्त और अनुपयुक्त स्थानों जैसे कि गहरी कटाई, जलभराव वाली जगहों और पेड़ के टूटों की उपस्थिति के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। ऑपरेशन के लिए उपयुक्त साइटों को चिह्नित करने के लिए विस्तृत मानचित्र का उपयोग किया जाना चाहिए। आदर्श स्थल वह है जहां लक्षित हाथी प्रतिदिन या लगभग प्रतिदिन जाता है और जहां (i) डार्टिंग टीम द्वारा हाथी तक आसानी से और सुरक्षित रूप से पहुंचा जा सकता है (उदाहरण के लिए, जीप या चाय की संपत्ति से चलने वाली सड़क के पास) या (ii) हाथी लक्ष्य हाथी के आने से पहले डार्टिंग टीम को सुरक्षित और आसानी से तैनात किया जा सकता है (जैसे, एक पेड़ या वॉच टॉवर में)।
3. चयनित क्षेत्र की घेराबंदी की जानी चाहिए और ग्रामीणों और अन्य लोगों को ऑपरेशन स्थल में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए।

G. मीडिया से संवाद:

वन विभाग के एक अधिकृत प्रवक्ता को इस प्रयास के बारे में मीडिया को सूचित करना चाहिए और उन्हें नियमित अपडेट के लिए एक निर्दिष्ट स्थान पर इकट्ठा होने का निर्देश देना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान प्रवक्ता को कम से कम हर घंटे अपडेट प्रदान किया जाना चाहिए (अधिक बार यदि संभव हो), जिसे वह तुरंत एकत्रित मीडिया को पास कर देता है। यदि उपस्थित मीडिया 1-2 मीडिया के लोगों को ऑपरेशन देखने के लिए सहमति चाहता है, तो वन विभाग उन्हें एक सुरक्षित सहायित बिंदु से ऑपरेशन देखने की अनुमति दे सकता है।

H. कैप्चर और कॉलरिंग का निष्पादन चरण:

1. सुबह का समय डार्टिंग के लिए आदर्श होता है। जहां संभव हो वहां दिन के गर्म समय से बचना चाहिए क्योंकि उस समय शांत किए गए हाथी के तापमान को प्रबंधित करना कठिन हो सकता है। रात के समय डार्टिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि डार्ट के बाद हाथी को ट्रैक करना मुश्किल होगा।
2. समूह चर्चा: अंतिम योजना विकसित करने के लिए प्रत्येक टीम के नेताओं को चर्चा करने की आवश्यकता है। टीम लीडर्स को तब अपनी संबंधित टीमों के अन्य सदस्यों को अवगत कराना चाहिए।
3. हाथी को डार्ट करना
ए। पशु चिकित्सकों द्वारा हाथी के शरीर के वजन के आकलन के आधार पर दी जाने वाली दवा की मात्रा तय की जानी है।
बी। ट्रैकुलाइजर के साथ पशु चिकित्सा टीम और डार्टिंग करने वाले को तैयार रहना चाहिए।
सी। डार्टिंग व्यक्ति को पूर्व नियोजित स्थान पर सुरक्षित रूप से तैनात किया जाना है। डार्टिंग करने वाला व्यक्ति या तो लक्षित हाथी के पास जा सकता है (यदि यह हाथी को चौंकाए बिना किया जा सकता है) या हाथी के पास आने की प्रतीक्षा करें (यदि हाथी को डार्टिंग स्थान की ओर आकर्षित होने की संभावना है)। वैकल्पिक रूप से, हाथी को डार्टिंग करने वाले व्यक्ति की ओर ले जाया जा सकता है।
डी। कूकी हाथी जो जंगली हाथी को भगाने के आदी नहीं हैं, उन्हें सहायता के लिए पास में तैनात किया जाना चाहिए।
इ। बेहोश करने की क्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए और एक अनुभवी पशु चिकित्सक द्वारा तय की जानी चाहिए।
खड़े होकर बेहोश करने की क्रिया बेहतर हो सकती है जहां हाथी के खुद को खतरे में डालने का खतरा हो अगर वह हाथ में इलाके में गिर जाए।

I. डार्ट किए जाने के बाद हाथी को ट्रैक करना

1. तेज़ दौड़ने के तुरंत बाद, हाथी को सुरक्षित दूरी से नज़र में रखते हुए ट्रैकिंग शुरू कर देनी चाहिए।
2. डार्ट किए गये हाथी का पीछा करते समय उसी क्षेत्र के अन्य हाथियों से सतर्क रहना चाहिए। यदि डार्ट किए गया हाथी झुंड का हिस्सा है, तो अन्य हाथी भी उसके साथ हो सकते हैं।
3. ऐसी स्थितियों में जहां दृश्यता कम है या कई हाथी मौजूद हैं, और पैदल हाथी तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है, कुनकी हाथियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
4. आने से पहले, टीम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथी को प्रभावी ढंग से शांत किया गया है। लक्षणों में शामिल हैं:
ए। कान का फड़कना बन्द
बी। खरटि
सी। पुरुष जननांग का म्यान खोलना

J. संपर्क करने पर हाथी की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करना

1. सुनिश्चित करें कि हाथी के पास आने से पहले हाथी को पूरी तरह से बेहोश कर दिया गया है।
2. पशु चिकित्सा दल द्वारा स्वास्थ्य की स्थिति के मापदंडों की तुरंत जाँच की जानी चाहिए।

K. पकड़े गए हाथी के लिए प्रासंगिक डाटा शीट भरें।

- पृष्ठ 124 पर "व्यक्तिगत हाथियों की पहचान"
- पृष्ठ 147 पर "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट"

L. कॉलर ठीक करना

1. रेडियो/जीपीएस/जीएसएम कॉलर लगाने से बेहोश

हाथी का पता लगाया जा सकता है।

2. यदि लक्षित जानवर खड़े बेहोशी की अवस्था में है, तो जानवर को बांधने वालों को आवश्यक ऊंचाई तक सुरक्षित रूप से ऐसा करने के लिए कुनकी हाथी और/या बैकहो लोडर/एक्सकेवेटर मशीन का उपयोग करें।
3. हाथी को बांधते समय हाथी की आंखों को कपड़े से ढक दें। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो हाथी को ठंडा करने के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए और हाथी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पशु चिकित्सक के पास आवश्यक संसाधन होने चाहिए।
4. हाथी के कॉलर को हाथी पर इस तरह से बांधना चाहिए कि वह न तो बहुत ढीला हो (ताकि हाथी कॉलर को उसके सिर के ऊपर से खींच सके) और न ही बहुत तंग हो। उत्तरार्द्ध विशेष चिंता का विषय है क्योंकि एक हाथी की गर्दन का घेरा तब कम हो सकता है जब वह आराम कर रहा हो या लेटा हो।

5. आदर्श रूप से, केवल पूर्ण विकसित वयस्क हाथियों की ही कॉलर लगायी जानी चाहिए। वयस्क हाथियों के लिए, कॉलर इस तरह से तय किए जाने चाहिए कि भोजन की उपलब्धता/शरीर की स्थिति में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण शरीर के आकार में किसी भी तरह के बदलाव से हाथी को असुविधा न हो। एक। शुष्क मौसम के दौरान, जानवर की शरीर की स्थिति खराब होने की संभावना है। इसलिए कॉलर को इस तरह से फिक्स किया जाना चाहिए कि कॉलर की लंबाई (अंत से फिक्सिंग पॉइंट तक) खड़े होने के दौरान हाथी की गर्दन की परिधि से 30 सेमी अधिक हो। (ध्यान दें कि फसल पर हमला करने वाले हाथी वर्ष के किसी भी समय खराब शरीर की स्थिति में नहीं हो सकते हैं: अगला बिंदु देखें)।
बी। गीले मौसम में, खाद्य संसाधन अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं, और हाथी के चरम स्थिति के करीब होने की संभावना होती है। इसलिए कॉलर को इस तरह फिक्स किया जाना चाहिए कि कॉलर की लंबाई (अंत से फिक्सिंग पॉइंट तक) खड़े होने के दौरान हाथी की गर्दन की परिधि से 25 सेमी अधिक हो।

6. उप-वयस्क हाथियों के साथ-साथ युवा वयस्क हाथियों, जो पूर्ण विकसित नहीं हैं, को काटे जाने से यथासंभव बचा जाना चाहिए, क्योंकि कॉलर (यदि समय पर नहीं हटाया जाता है) से जानवर का गला

घोंटा जा सकता है। यदि एक उप-वयस्क या युवा वयस्क हाथी गंभीर संघर्ष कर रहा है और अकेले (या पूर्ण विकसित वयस्क हाथियों की कंपनी के बिना) रह रहा है, तो केवल जानवर को कॉलरिंग के लिए माना जाना चाहिए। यदि एक उप-वयस्क या युवा वयस्क जो अभी भी बढ़ने की संभावना है, कॉलर है, तो कॉलर को कम से कम 30 सेमी (1 फुट) ढीला होना चाहिए - अर्थात्, जब हाथी की गर्दन से लटकाया जाता है, तो नीचे से हाथी के कॉलर और गर्दनका फासला लगभग 30 सेमी होना चाहिए। ध्यान दें कि जबकि वयस्कों के लिए 30 सेमी का अंतर परिधि में था, यहाँ यह व्यास के संदर्भ में है। कॉलर लगाने के बाद, उप-वयस्क या युवा वयस्क की लगातार निगरानी की जानी चाहिए ताकि हाथी के विकास के कारण गला घोटने का खतरा होने पर कॉलर को तुरंत हटाया जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में एक युवा उप-वयस्क, किशोर या बछड़े को कॉलर नहीं लगाना चाहिए।

M. कॉलर को ठीक करने के बाद पुनर्जीवित करने वाली दवाएं दी जानी हैं। सुनिश्चित करें कि आसपास के सभी लोग हाथी के होश में आने से पहले उससे दूर चले गए हैं क्योंकि यह पुनर्जीवित हो गया है।

N. कॉलर के बाद स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी:

1. हाथी के शरीर की स्थिति की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए, विशेष रूप से कॉलरिंग के तुरंत बाद एक सप्ताह तक।

2. किसी आपात स्थिति के मामले में, निरीक्षण और हस्तक्षेप के लिए पशु चिकित्सक को सूचित करने की आवश्यकता है।

O. एक ट्रेकिंग योजना का विकास करना

1. कॉलर वाले हाथी के आंदोलन की निगरानी के लिए मंडल कार्यालय के साथ एक ट्रेकिंग सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए। इसे रैपिड रिस्पांस टीम की जिम्मेदारी बनाया जा सकता है (पृष्ठ 30 पर "मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन" देखें) या संघर्ष के स्तर और धन की उपलब्धता के अनुसार एक विशेष टीम को सौंप दिया गया है।

2. फील्ड में ट्रेकिंग टीम के पास अपने कार्यालय और फील्ड से हाथियों की गतिविधि की जांच करने के लिए एक रेडियो रिसीवर और स्मार्ट फोन होना चाहिए। यदि क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, तो उन्हें नियमित रूप से कार्यालय में किसी के द्वारा हाथी के ठिकाने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

3. कॉलर वाले हाथियों से आने वाले डेटा की निगरानी के लिए संबंधित वन विभाग के मंडल कार्यालय और अन्य नामित अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

4. जब भी हाथी मानव बस्ती के करीब जाए तो संबंधित वन विभाग के कर्मियों को हाथी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

P. डेटा प्रबंधन:

ट्रेकिंग टीम द्वारा कॉलर और फील्ड मूल्यांकन के डेटा को वन विभाग मंडल कार्यालय में व्यवस्थित रूप से संग्रहीत करने की आवश्यकता है। कॉलर के लिए डाटा की स्प्रेडशीट ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।

Q. विश्लेषण:

वार्षिक और मौसमी रेंज, पोस्ट-ट्रांसलोकेशन प्रतिक्रिया, संघर्ष व्यवहार, कॉरिडोर उपयोग, निवास स्थान उपयोग, सामाजिक व्यवहार आदि को समझने के लिए कॉलर और संबंधित क्षेत्र के अवलोकन से डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है।

R. कॉलर को हाथी से हटा दिया जाना चाहिए यदि कोई संकेत है कि कॉलर हाथी को नुकसान पहुंचा रहा है, उदाहरण स्वरूप। गर्दन में किसी घाव के उपचार में रुकावट पैदा होना या हाथी के विकास के कारण कॉलर का तंग हो जाना। कॉलर की बैटरी खत्म होने से पहले कॉलर को अच्छी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी के काम करना बंद करने के बाद जानवर को ढूंढना संभव नहीं हो सकता है। एक बार कॉलर की आयु समाप्त हो जाने के बाद, कॉलर को हटाकर प्रभागीय वन अधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

2. नकारात्मक

खंड का उद्देश्य:

कभी-कभी, विशिष्ट हाथियों को बार-बार आक्रामक एचईसी में शामिल होने के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि वे बाधाओं को तोड़ने में सक्षम हैं और/या बहुत आक्रामक हैं, तो उनके व्यवहार को बदलने में मदद करने के लिए नकारात्मक कंडीशनिंग तकनीकों को सैद्धांतिक (लेकिन सिद्ध नहीं) किया जाता है। एक कॉलर वाले हाथी की नकारात्मक कंडीशनिंग में हस्तक्षेप करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हाथी को हर बार एक नकारात्मक अनुभव होता है और वह हर बार फसलों या मानव आवास पर काफी लंबे समय तक हमला करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण एक हाथी के व्यवहार को बिना स्थानांतरित किए या उसे कैद में रखे बिना आकार देने का अवसर प्रदान करता है, और इस प्रकार डेटा की वर्तमान कमी के बावजूद यह प्रभावी साबित होता है। (नोट: नकारात्मक कंडीशनिंग से संबंधित विज्ञान पर अद्यतन रहने के लिए, संरक्षणवादियों को वन्यजीवों में “सकारात्मक दंड” पर साहित्य की निगरानी करनी चाहिए।)

हस्तक्षेप के दौरान भरी जाने वाली डेटा शीट (यथा प्रासंगिक):

- पृष्ठ 147 पर “ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट”
- पृष्ठ 131 पर “एचईसी घटनाओं को रिकॉर्ड करना और अनुग्रह राशि/मुआवजा प्रदान करना”

अनुशासित अभ्यास:

A. नकारात्मक कंडीशनिंग का प्रयास किया जाना चाहिए यदि एक एकल, विश्वसनीय रूप से पहचाने गए हाथी या हाथियों के छोटे समूह को एचईसी में बार-बार संलग्न करने के लिए दिखाया गया है जहां:



मुख्य अभिनेता: वन विभाग / आरआरटी, शिकार विरोधी दस्ते।

शामिल करने के लिए अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां: प्रभावित समुदायों और वन्यजीव गैर सरकारी संगठनों के नेता और संस्थान।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन: त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (पृष्ठ 30), शिकार-विरोधी दस्ते (पृष्ठ 68), और केचर और कॉलरिंग (पृष्ठ 92) पर अनुभागों में वर्णित “उपकरण और संसाधन” देखें।

1. जिन क्षेत्रों में हाथियों का आना-जाना लगा रहता है, वहां बैरियर पहले ही लगा दिए गए हैं और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, और
2. विचाराधीन हाथियों ने इन बाधाओं को पार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, और
3. विचाराधीन हाथी पर लगाने के लिए एक GPS/GSM कॉलर उपलब्ध है, और
4. क्षेत्र में समुदाय और वन विभाग इस तरह समन्वय और संवाद करने के इच्छुक हैं कि रैपिड रिस्पांस टीम और कोई भी सामुदायिक संस्थान (विशेष रूप से एंटी-डेप्रिडेशन स्कॉड) हर बार हाथी के एचईसी व्यवहार में शामिल होने पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होंगे।

B. हाथी (या हाथियों के चिन्हित

समूह में से किसी एक हाथी) को पकड़ने से पहले, वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकारात्मक कंडीशनिंग करने के लिए आवश्यक सब कुछ तैयार है।

आवश्यक बिंदुओं में यह भी शामिल हैं:

1. कम से कम 5-6 महीनों के लिए हर समय कॉलर वाले हाथी के ठिकाने का निरीक्षण करने के लिए 4-5 लोगों की एक निगरानी टीम को नियुक्त किया जाना चाहिए (स्थानीय फसलों और संपत्ति की भेद्यता के आधार पर समय निर्धारित किया जाना चाहिए)। जहां एचईसी अन्यथा कम है, रैपिड रिस्पांस टीम निगरानी टीम की भूमिका निभा सकती है। अन्यथा, अतिरिक्त कर्मियों को सौंपा जाना चाहिए।

2. जहां रैपिड रिस्पांस टीम निगरानी टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, वहां एक संचार योजना विकसित की जानी चाहिए जो निगरानी टीम को रैपिड रिस्पांस टीम को हस्तक्षेप करने और हाथी को नकारात्मक स्थिति में लाने के लिए तुरंत सतर्क करने

की अनुमति देती है यदि वह मानव निवास/फसल पर हमला करने का प्रयास करता है।


3. यदि रैपिड रिस्पांस टीम का अपने नियमित कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होने की संभावना है, तो हाथी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से एक माध्यमिक अल्पकालिक आरआरटी स्थापित किया जाना चाहिए।

C. हाथी की कॉलरिंग सेक्शन की शुरुआत के बाद होनी चाहिए पृष्ठ 92

(ऊपर)।

D. नकारात्मक कंडीशनिंग निष्पादित करना:

1. निगरानी दल को आरआरटी को सूचित करना चाहिए जब भी कॉलर वाला हाथी मानव-आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहा हो, जहां फसल-छापे या संपत्ति का



विनाश संभव हो, आरआरटी को उस क्षेत्र तक पहुंचने और कॉल पर रहने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

2. जब कॉलर वाला हाथी बस्ती के 1-2 किमी के भीतर हो, तो आरआरटी को सूचित किया जाना चाहिए और नकारात्मक कंडीशनिंग की तैयारी के लिए बस्ती में जाना चाहिए।

3. आरआरटी को आपातकालीन स्थिति 1 में वर्णित विधियों का उपयोग करके हाथी को पीछे हटाना चाहिए: हाथियों के आवास के पास/निकटवर्ती गाँव/कृषि क्षेत्रों में होने वाली हाथियों की लड़ाई (पृष्ठ 33)। आदर्श रूप से, हाथी को उसी तरह खदेड़ना चाहिए जैसे वह समुदाय की रक्षा के लिए बनाई गई बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करता है ताकि वह नकारात्मक उत्तेजनाओं के साथ बाधा को तोड़ने के प्रयास को जोड़ सके।

4. कॉलर वाले हाथी द्वारा बार-बार दौरा किए जाने वाले समुदायों में, निगरानी टीम द्वारा एक एडीएस (पृष्ठ 30 देखें) को भी अधिसूचित किया जा सकता है यदि कॉलर वाला हाथी की आरआरटी के आने तक नकारात्मक कंडीशनिंग शुरू करना आवश्यक है।

5. उन सभी तारीखों और समयों का एक रिकॉर्ड/लॉग जिसमें रेपिड रिस्पांस टीम को नकारात्मक कंडीशनिंग के लिए बुलाया गया था, हर बार नकारात्मक कंडीशनिंग का प्रयास किया गया था, और प्रत्येक मामले में परिणाम का विवरण निगरानी टीम द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए (समन्वय में) आरआरटी के साथ।

3. अनुवादन

खंड का उद्देश्य:

हाथियों को स्थानांतरित करना व्यक्तिगत हाथियों को स्थानांतरित करने का एक तरीका है जो लगातार मानव-हाथी संघर्ष में एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां या तो उनके पास प्राकृतिक संसाधनों तक अधिक पहुंच होती है, जहां एचईसी का प्रबंधन करना आसान होता है, या दोनों। हाथी जो बार-बार संघर्ष में शामिल होते हैं, वे कभी-कभी ऐसे क्षेत्र में रह सकते हैं जहां वन सीमा के विन्यास और/या मानव बस्तियों की ओर उन्मुख होने के कारण बाधाओं की स्थापना और बचाव करना अव्यावहारिक है। ऐसी स्थिति में, एक संघर्ष-प्रवण हाथी (या कई हाथियों) को बहुतायत से प्राकृतिक भोजन और एक अच्छी तरह से परिभाषित और आसानी से बचाव करने वाली वन सीमा वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने से उस हाथी को होने वाले नुकसान को कम करना संभव हो सकता है, या धीरे-धीरे भी उस हाथी के व्यवहार को इस तरह आकार दें कि समय के साथ मानवजनित संसाधनों की तलाश करने की संभावना कम हो जाए। स्थानांतरण एक अत्यधिक हस्तक्षेप है, हाथी के लिए बहुत तनावपूर्ण और अधिकारियों के लिए महंगा होने की संभावना है, सफलता की कम से मध्यम संभावना के साथ। इस प्रकार, हाथियों को केवल तभी स्थानान्तरित किया जाना चाहिए जब अधिक सामान्य हस्तक्षेप विफल हो गए हों; यह बहुत दुर्लभ होना चाहिए। किसी जानवर को कैद में रखना अंतिम उपाय होगा, यदि अनुवाद विफल हो जाता है या कोई विकल्प नहीं है तो इसका प्रयोग किया जाता है।

हस्तक्षेप के दौरान भरी जाने वाली डेटा शीट

- 135 पृष्ठ पर "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट"

सहायक प्रसंग:

- कॉलरिंग ट्रांसलोकेशन में एक प्रमुख तत्व है, इसलिए कृपया "1" देखें। कुछ प्रासंगिक निर्देशों के लिए पृष्ठ 92 पर कब्जा और कॉलरिंग "।



मुख्य अभिनेता: वन विभाग, विशेषज्ञ पशु चिकित्सक।

शामिल होने वाले अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां: पुलिस विभाग, बिजली बोर्ड, पशु चिकित्सा विभाग, हाथी महावत, नागरिक प्रशासन, ग्राम सभा/प्रभावित समुदायों के नेता/विधायक, और मीडिया।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन: ट्रक, टेदरिंग रस्सियों, काफिले का वाहन, चिकित्सा किट, शामक और पुनर्जीवित करने वाली दवाएं, पानी का टैंकर, चारा, बेकहो लोडर/खुदाई करने वाला यंत्र, कुन्की हाथी, फोकस लाइट, और नरम रिहाई के लिए गैर-घातक बिजली की बाड़ का परिवहन

अनुशासित अभ्यास:

A. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, प्रत्येक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को देता है यह तय करने का अधिकार है कि एक हाथी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास मामला-विशिष्ट संदर्भ के आधार पर यह निर्णय

लेने की जिम्मेदारी और स्वतंत्रता है। यह अनुभाग स्थानान्तरण से संबंधित निर्णयों में सहायता के लिए दिशानिर्देशों की अनुशंसा करता है।

B. यह आकलन करना कि क्या ट्रांसलोकेशन सबसे अच्छा विकल्प है:

स्थानांतरण एक जानवर के लिए एक तनावपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विफलता की काफी उच्च संभावना है। विफलता का मतलब हाथी की अपने मूल क्षेत्र में वापसी और एचईसी की बहाली, एचईसी में अपने नए स्थान पर स्थानांतरित हाथी की सगाई, या स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान या उसके कारण हाथी की चोट या मृत्यु हो सकती है। हाथी को, कई संज्ञानात्मक रूप से परिष्कृत प्रजातियों की तरह, अपने पर्यावरण के बारे में सीखना होगा ताकि इसे सुरक्षित रूप से नेविगेट करने और पनपने में सक्षम हो सके। एक हाथी को बिना संदर्भ के एक नए स्थान पर छोड़ना इस प्रकार जोखिम भरा है और तनाव को प्रेरित करने की संभावना है। इन सभी विचारों के कारण, स्थानान्तरण को निकट-अंतिम हस्तक्षेप के रूप में माना जाना चाहिए।

C. एक जंगली हाथी को सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानांतरण के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार माना जा सकता है, अगर इस बात का ठोस सबूत है कि एक हाथी को पकड़ने के लिए विचार किया जा रहा है, तो वह सेट 1 और शर्त 2, 3, या 4 नीचे सेट करता है:

शर्त सेट 1: निम्नलिखित सभी सत्य हैं:

1. सस्ती बाधाएं (विशेष रूप से सिंगल-स्ट्रैंड और मल्टी-स्ट्रैंड बाड़ जैसे कि पृष्ठ 80 पर "2. गैर-घातक शक्ति बाड़" में वर्णित हैं) हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संघर्ष क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, और हाथी नियमित रूप से उन्हें पार करता /तोड़ता है;
2. अधिक महंगी भौतिक बाधाओं के निर्माण के लिए

बजट जैसे "1। पृष्ठ 78 पर उच्च-निवेश बाड़ (रेल-ट्रैक बाड़ और स्टील-रस्सी बाड़)", पृष्ठ पर लटकने वाली बाड़ 83, और" 3। पृष्ठ 86 पर हाथी-सबूत खाइयाँ" हाथी द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं;

तृतीय। कॉलरिंग (पृष्ठ 92) और नकारात्मक कंडीशनिंग (पृष्ठ 99) की कोशिश की गई है लेकिन कम से कम एक महीने के लिए हाथी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है;

शर्त सेट 2: हाथी ने एक ऐसी घटना में कम से कम एक इंसान को मार डाला है जो न तो आकस्मिक था और न ही इसमें शामिल व्यक्ति/लोगों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण (यदि ऐसी एक से अधिक घटना हुई है, तो कृपया "4. कैद" भी देखें) पृष्ठ 107);

शर्त सेट 3: हाथी नियमित रूप से मानव घरों या आवासों को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि निवासियों को यथोचित रूप से अपने जीवन के लिए खतरा लगता है;

शर्त सेट 4: हाथी नियमित रूप से अपना समय शहरी क्षेत्रों और गांवों में हाथियों के आवासों से कुछ दूरी पर व्यतीत करता है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति के लिए एक नियमित और विश्वसनीय खतरा पैदा होता है (जैसा कि ग्राम सभा और/या वैध प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्धारित किया जाता है)

D. स्थानान्तरण के विकल्प:

ऐसे मामलों में जहां हाथियों के साथ संघर्ष को रोकने में बाधाएं पर्याप्त रूप से सफल नहीं हैं, लेकिन हाथियों द्वारा मनुष्यों के प्रति खतरनाक आक्रामकता न्यूनतम या अनुपस्थित है, अधिकारी एचईसी का सामना कर रहे समुदायों के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेपों के कुछ संयोजन का प्रस्ताव कर सकते हैं:

1. स्थानीय समुदायों को हाथियों के निवास स्थान में आवास बहाली गतिविधियों में मदद करने के लिए भुगतान करना, हाथियों के लिए उपयुक्त पेड़ और घास लगाना;
2. जहां एचईसी आंशिक रूप से हो रहा है क्योंकि

मानव आवास और हाथियों के आवास के बीच कोई कठोर सीमा नहीं है, कृषि भूमि खरीदने की पेशकश करें ताकि एक कठिन सीमा के विकास को सक्षम किया जा सके जिसके साथ सफल अवरोध स्थापित किए जा सकें। अधिग्रहीत भूमि पर आवास बहाली पर भी विचार किया जा सकता है;

3. समुदायों को उन फसलों के लिए (बाजार मूल्य) भुगतान करना जो वे तीन वर्षों से खो रहे हैं, उन्हें उन फसलों के साथ प्रयोग करने का अवसर देना जो हाथियों के लिए अस्वाभाविक हैं और साथ ही साथ वैकल्पिक आजीविका भी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पृष्ठ 89 पर "टिप्पणी: गैर-बाधा हस्तक्षेप" देखें।

E. स्थानान्तरण के लिए एक स्थान का चयन: यदि स्थानान्तरण को सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प के रूप में तय किया जाता है, तो स्थानान्तरण के लिए एक साइट का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि:

1. यह भोजन या पानी की स्पष्ट कमी के बिना निकटवर्ती आवास (कम से कम 650 वर्ग किमी) का एक बड़ा क्षेत्र है;
2. यह (आदर्श रूप से) उस क्षेत्र के साथ गैर-समीपस्थ है जिसमें हाथी वर्तमान में रहता है, जिससे वापसी की संभावना कम हो जाती है;
3. यह (आदर्श रूप से, जब संभव हो) हाथी की वर्तमान होम-रेंज से कम से कम 200 किमी दूर हो;
4. नए क्षेत्र में हाथी के लिए उपलब्ध स्वादिष्ट वनस्पति का प्रकार उसके घरेलू रेंज में उपलब्ध वनस्पति से बिल्कुल अलग नहीं है;
5. मानव आवास के साथ नई साइट की सीमाएं स्पष्ट हैं, प्रभावी अवरोध हैं, और/या स्थानीय लोगों द्वारा अच्छी तरह से शासित हैं, जिससे फसल-छापे और संपत्ति के नुकसान की संभावना नहीं है।
कृपया ध्यान दें कि हाथी को कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए, इसके बारे में मुख्य वन्यजीव वार्डन का

अंतिम निर्णय है, उपरोक्त मानदंडों के आधार पर सिफारिशें आदर्श रूप से की जानी चाहिए।

F. स्थानान्तरण की स्वीकृति

1. हाथी को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू की अनुमति जरूरी है।
2. जिस मंडल से हाथी को पकड़ा जाना है, उसके प्रभारी अधिकारी को इस बात के औचित्य के साथ एक विस्तृत नोट भेजना चाहिए कि यह हाथी स्थानांतरण क्यों आवश्यक है। नोट में "बी" अक्षरों में दिए गए विचारों को संबोधित करना चाहिए। यह आकलन करना कि क्या स्थानान्तरण सबसे अच्छा विकल्प है", और "डी। स्थानान्तरण के विकल्प" ऊपर, साथ ही साथ अन्य प्रासंगिक विचार।
3. सीडब्ल्यूएलडब्लू को यह तय करना है कि हाथी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

G. स्थानांतरण की तैयारी:

मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमोदन प्राप्त करने पर, ट्रैकुलाइजेशन और कॉलरिंग में अनुभवी पशु चिकित्सक को संचालन में भाग लेने के लिए बोर्ड पर लाया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित को तैयार रखा जाना चाहिए:

1. एक अनुकूलित परिवहन ट्रक (शरीर की लंबाई 560 सेमी; चौड़ाई 236 सेमी और ऊंचाई 280 सेमी; हाथी के पैरों को बांधने के लिए ट्रक के शरीर के अंदर चार छेद; ट्रक के शरीर के मंच के रूप में 8 मिमी स्टील प्लेट);
2. हाथी को बांधने के लिए रस्सियाँ (चार रस्सियाँ 6.3 मीटर लंबी और 18 सेमी मोटी);
3. उत्खनन और भारी-उठाने वाली मशीन (बेकहो लोडर/खुदाई) - रैंप बनाने और लोड करने के लिए;
4. कुनकी हाथी और उनके महावत;
5. वीएचएफ क्षमताओं के साथ सैटेलाइट- या जीएसएम आधारित जीपीएस कॉलर।

सकता है।

H. स्थानान्तरण के लिए हाथी को पकड़ने के तरीके के निर्देशों के लिए कैप्चर और कॉलरिंग (पृष्ठ 92) पर उपरोक्त अनुभाग देखें।

ध्यान दें कि हाथी से प्रतिरोध को कम करने के लिए अर्ध-बेहोश करने की क्रिया को दृढ़ता से पसंद किया जाता है और इस प्रकार हाथी या मनुष्यों को चोट लगने का जोखिम होता है।


I. लोडिंग प्रक्रिया: एक मजबूत मिट्टी के रैप का उपयोग ट्रक पर अर्ध-बेहोश हाथी को ले जाने के लिए संभव बनाने के लिए किया जा सकता है।

1. घसीटने से बचने के लिए, रैप और ट्रक की स्थिति हाथी के जितना संभव हो उतना करीब होनी चाहिए।
2. कुनकी हाथी (हाथियों) का उपयोग लोड करते समय कोमल समायोजन को सक्षम करने के लिए किया जा

3. बेकहो लोडर/एक्सकेवेटर जैसी मशीनरी लोड करते समय सहायता करने में सहायक होती है।

J. सुरक्षित परिवहन:

1. चूंकि हाथी तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, हाथी को रात में ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठंडे वातावरण में, परिवहन दिन के दौरान और साथ ही एक पशु चिकित्सक के अनुमोदन से भी हो सकता है। सभी मामलों में, जिस वातावरण में हाथी को ले जाया जा रहा है उसका तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. पानी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, विशेष रूप से लंबी यात्राओं के लिए या गर्म परिस्थितियों में, हाथी को ठंडा करने के लिए स्प्रे करने और यदि आवश्यक हो तो पीने का पानी उपलब्ध कराने के



लिए। ट्रांसलोकेशन टीम के साथ एक टैकर को जाने की अनुमति देकर ऐसा किया जा सकता है।

3. पुलिस विभाग यातायात को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है/कर सकता है और परिवहन के दौरान काफिले की सुरक्षा भी कर सकता/सकती है।

4. बिजली बोर्ड को उन क्षेत्रों में सहायता के लिए बुलाया जाना चाहिए, जैसे कि कम लटकने वाली बिजली लाइनें।

K. रिलीज का तरीका:

एक खुले आवास में जारी करते समय, अन्वेषणात्मक गति का अनुमान लगाया जा सकता है। एक “मुलायम रिहाई” (जिसमें जानवर को शुरू में एक सीमित क्षेत्र में रखा जाता है ताकि वह अभ्यस्त हो जाए) से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह जानवर के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। जहां अधिकारियों द्वारा नरम रिहाई आवश्यक समझा जाता है, जानवर को यथासंभव कम अवधि के लिए रखा जाना चाहिए और दो सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमित क्षेत्र में पानी, भोजन और छायादार पेड़ जैसे संसाधन होने चाहिए।

L. जारी करने के बाद:

जब तक अधिकारियों को भरोसा न हो जाए कि हाथी अब संघर्ष में भाग नहीं ले रहा है, तब तक हाथी पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए, जब तक कि आवश्यकता के अनुसार नकारात्मक कंडीशनिंग लागू न हो जाए। निगरानी कम से कम 3 महीने के लिए होनी चाहिए। कृपया “1” पर अनुभाग देखें। कैप्चर और कॉलरिंग” पृष्ठ 92 पर और “2. नकारात्मक कंडीशनिंग” पृष्ठ 99 पर।

4. कैद

खंड का उद्देश्य:

एक जंगली हाथी को कैद में रखना अत्यंत दुर्लभ होना चाहिए। एक जंगली हाथी को पकड़ना एक अंतिम उपाय है जो आम तौर पर (i) बुरी तरह से घायल या गंभीर रूप से बीमार हाथियों या (ii) ऐसे हाथियों के लिए आरक्षित होता है जो मानव जीवन या संपत्ति के लिए एक नियमित और अन्यथा गैर-उपचार योग्य खतरा पैदा कर रहे हैं। इन श्रेणियों में घायल हाथी शामिल हैं जो लोगों के प्रति आक्रामक हो गए हैं और ठीक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी हाथी को इलाज के लिए पकड़ लिया जाता है, तो जहाँ भी संभव हो जंगल में वापस लौटना लक्ष्य होना चाहिए। यह खंड इस बारे में दिशानिर्देश प्रदान करता है कि कैसे तय किया जाए कि हाथी को कैद में रखा जाए या नहीं, साथ ही साथ वन विभाग द्वारा पकड़े गए और रखे गए सभी हाथियों को देखभाल के न्यूनतम मानक प्रदान किए जाएं।

अनुशंसित अभ्यास:

A. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, प्रत्येक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि क्या एक खतरनाक, विकलांग, और/या रोगग्रस्त जंगली हाथी को कैद में रखा जाए, इसे स्थानांतरित किया जाए, या इसे मारने की अनुमति दी जाए। मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास मामला-विशिष्ट संदर्भ के आधार पर यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी और स्वतंत्रता है। यह अनुभाग इन निर्णयों में सहायता के लिए दिशानिर्देशों की अनुशंसा करता है।



मुख्य कलाकार:

वन विभाग, विशेषज्ञ पशु चिकित्सक, महावत।

शामिल होने वाले अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां:

पशु चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि/विधायक, ग्राम सभा, प्रभावित समुदायों के नेता।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन:

ट्रैकुलाइजेशन, हाथी के परिवहन, हाथी को मानवीय कैद में रखने के लिए आवश्यक उपकरण।

B. कैद हाथियों के लिए मुख्य रूप से अंतिम उपाय होना चाहिए क्योंकि कैद में हाथियों की सामाजिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरी तरह से और नैतिक रूप से पूरा करना बहुत कठिन होता है। यह उन हाथियों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्होंने जंगल में जीवन का अनुभव किया है। हाथी को कैद में लेने के लिए केवल दो औचित्य हैं: पशु कल्याण कारणों (नीचे सी और डी) के लिए, और/या लोगों के प्रति आक्रामक और खतरनाक माने जाने वाले हाथी के कारण सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए (ई और एफ नीचे)।

C. अधिकारियों को किसी भी पकड़े गए हाथी के बछड़ों को उनकी मां से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक हाथी के बछड़े को मानव-प्रभुत्व वाले वातावरण में रेस्क्यू किया गया ("आपात स्थिति 4: हाथी को बचाने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया" पृष्ठ 48 पर देखें)

अपने झुंड में वापस नहीं किया जा सकता है और / या पशु चिकित्सकों को लगता है कि कैद में आए बिना इसके जीवित रहने या ठीक होने की संभावना नहीं होगी, तभी इसे कैद में लाया जा सकता है। यदि उपचार के बाद पुनर्वास और झुंड में वापसी संभव है, तो जंगल में वापसी का प्रयास किया जाना चाहिए।

D. यदि कोई जंगली हाथी घायल हो गया है, तो हाथी की गंभीर पीड़ा को रोकने और/या लोगों के प्रति बढ़ती आक्रामकता को दूर करने के लिए आवश्यक होने पर ही उसे उपचार के लिए पकड़ा जा सकता है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है। सभी मामलों में, इलाज के लिए पकड़ने का लक्ष्य हाथी को जल्द से जल्द पुनर्वासित करना और जंगल में छोड़ना होना चाहिए। बीमारी/चोट का इलाज करने के लिए पकड़े गए हाथियों को इलाज के बाद ही कैद में रखा जाना चाहिए, अगर स्पष्ट सबूत हैं कि वे जंगल में जीवित नहीं रह पाएंगे, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए।

1. उपचार के लिए जंगली हाथी को पकड़ने पर विचार किया जा सकता है यदि निम्नलिखित तीन स्थितियों में से कोई एक या अधिक संतुष्ट हों:

स्थिति सेट 1: हाथी को मानव कारण से चोट लगी है (उदाहरण के लिए, कच्चे बम, कार दुर्घटना, जाल),

और पशु चिकित्सकों का आकलन है कि चोट मानव हस्तक्षेप के बिना ठीक होने की संभावना नहीं है (और मानव हस्तक्षेप परिणामों में सुधार कर सकता है);

स्थिति सेट 2: हाथी को मानव या प्राकृतिक कारणों से गंभीर चोट लगी है जो लोगों के प्रति अकारण आक्रामकता से जुड़ा हुआ है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कब्जा आवश्यक हो जाता है;

स्थिति सेट 3: हाथी प्राकृतिक कारण की चोट या बीमारी के कारण बहुत अधिक और विस्तारित पीड़ा (एक महीने से अधिक) का अनुभव कर रहा है, जो स्वाभाविक रूप से ठीक होने की संभावना नहीं है, और पशु चिकित्सकों का आकलन है कि हाथी के जल्द ही मरने की संभावना नहीं है (एक सप्ताह के भीतर) और उपचार के तहत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

यदि अधिकारी किसी जंगली हाथी को पकड़ने या अन्यथा उसके जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं, तो यह अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि CWLW/ अन्य प्राधिकरण सार्वजनिक रूप से अपने निर्णय के औचित्य का दस्तावेजीकरण करें।

2. यदि घायल हाथी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करता है, तो उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए, यदि उसकी बीमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार ज्ञात या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कब्जा करने और कैद करने का तनाव तब किसी भी लाभ को कम कर देगा।

3. यदि हाथियों को पकड़ लिया जाता है, तो उन्हें सफल उपचार के लिए आवश्यक न्यूनतम मानव संपर्क के संपर्क में लाया जाना चाहिए और लोगों और मानवजनित खाद्य पदार्थों के आवास के जोखिमों को कम करने के लिए संभव सीमा तक प्राकृतिक चारा प्रदान किया जाना चाहिए। केवल अगर पशु चिकित्सक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हाथी कभी भी जंगल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं होगा तो उसे कैद हाथी के रूप में रखा और प्रशिक्षित किया जा सकता है।

4. एक बार पशु चिकित्सकों द्वारा जंगल में जीवित रहने के लिए उपयुक्त समझे जाने पर, हाथी को तुरंत जंगल में लौटा देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हाथी की कम से कम एक महीने तक निगरानी की जानी चाहिए कि उसकी चोट या लोगों के प्रति आक्रामकता

में वृद्धि न हो। यदि संभव हो तो कॉलरिंग की जानी चाहिए (पृष्ठ 92 पर "1. कैप्चर और कॉलरिंग" देखें)। एक आक्रामक हाथी को फिर से पकड़ा जा सकता है यदि वह नीचे दिए गए अनुभाग ई और एफ में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करता है।

E. एक व्यक्तिगत जंगली हाथी को अतिरिक्त मानदंडों पर विचार किए बिना कैद में रखा जा सकता है, यदि उस हाथी को उचित संदेह से परे, कम से कम दो अलग-अलग गैर-आकस्मिक घटनाओं में मानव घातक होने का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें उस हाथी ने निर्देशित और अकारण आक्रामकता दिखाई। (ध्यान दें: पीड़ितों या

अन्य प्रतिभागियों द्वारा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार, जैसे जानबूझकर हाथी के करीब आना, उकसावे की श्रेणी में आता है)। यदि ऐसे हाथी को पकड़ना और कैद में रखना संभव नहीं है, तो हाथी की समाप्ति को एक विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

F. एक जंगली हाथी जो उपरोक्त (ई) में दिए गए विवरण को पूरा नहीं करता है, उसे केवल सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कैद में ले जाना चाहिए, अगर एक उचित संदेह से परे ठोस सबूत है कि व्यक्तिगत हाथी को पकड़ने के लिए शर्त 1 और शर्त सेट को पूरा करता है 2, 3, या 4 नीचे:

शर्त सेट 1: निम्नलिखित सभी सत्य हैं:

1. सस्ती बाधाएं (विशेष रूप से सिंगल-स्ट्रैंड और मल्टी-स्ट्रैंड बाड़ जैसे कि पृष्ठ 80 पर "2. गैर-घातक शक्ति बाड़" में वर्णित हैं) हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संघर्ष क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, और हाथी नियमित रूप से उन्हें पार करता/तोड़ता है;
2. अधिक महंगी भौतिक बाधाओं के निर्माण के लिए बजट जैसे "1। पेज 78 पर हाई-इन्वैस्टमेंट फेंस (रेल-

ट्रैक फेंस और स्टील-रोप फेंस), पेज 84 पर हैंगिंग फेंस, और "3। पृष्ठ 86 पर हाथी-रोधक खाइयाँ" हाथी द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं;

3. कॉलरिंग (पृष्ठ 92) और नकारात्मक कंडीशनिंग (पृष्ठ 99) की कोशिश की गई है लेकिन कम से कम एक महीने के लिए हाथी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है;

4. ऐसे क्षेत्र में स्थानान्तरण जहां संघर्ष को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है (पृष्ठ 102 देखें) या तो असफल रहा है या संभव नहीं है।

शर्त सेट 2: हाथी ने एक ऐसी घटना में कम से कम एक इंसान को मार डाला है जो न तो आकस्मिक थी और न ही इसमें शामिल व्यक्ति/लोगों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण;


स्थिति सेट 3: हाथी नियमित रूप से मानव घरों या आवासों को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि निवासियों को यथोचित रूप से अपने जीवन के लिए खतरा लगता है;

शर्त सेट 4: हाथी नियमित रूप से अपना समय शहरी क्षेत्रों और गांवों में हाथियों के आवासों से कुछ दूरी पर व्यतीत करता है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति के लिए एक नियमित और विश्वसनीय खतरा पैदा होता है (जैसा कि ग्राम सभा और/या वैध प्रतिनिधियों के परामर्श से निर्धारित किया जाता है)

G. इसके अलावा, हाथी को नैतिक रूप से कैद में रखने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

यदि हाथी को प्रशिक्षण के लिए पहले एक काल (एक बड़ा कंटेनर, जो इस संदर्भ में, सभी तरफ पेड़ के तने के आकार की सलाखों का उपयोग करके बनाया गया है) में रखा जाएगा, तो पशु चिकित्सकों द्वारा काल की स्थिरता और सुरक्षा की पहले से जांच की जानी चाहिए और एक हाथी महावत। काल के अंदर कोई नुकोली या ढीली वस्तु नहीं होनी चाहिए।

दो अनुभवी महावत, अधिमानतः हाथियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को नए पकड़े गए जानवर की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाना



LAYOUT




Fig: A kraal

चाहिए। जहां सकारात्मक सुदृढीकरण के तरीके व्यवहार्य हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, तो दर्द या परेशानी पैदा करने वाले उपकरणों और तरीकों से व्यावहारिक रूप से जितना संभव हो बचा जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल में एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल होना चाहिए जो बताता है कि एक हाथी को प्रशिक्षित करने या नियंत्रित करने के लिए कौन से उपकरण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में ऐसे उपकरण और विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

कैद में रहने की स्थिति पर्यटन में उपयोग किए जाने वाले एशियाई हाथियों के प्रबंधन और कल्याण पर IUCN/SSC एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह के दिशानिर्देशों (वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है) द्वारा अनुशंसित शर्तों को पूरा करना चाहिए। उपर्युक्त दिशानिर्देशों से ली गई अनिवार्य आवश्यकताओं में शामिल हैं:

1. दिन के एक हिस्से के दौरान फ्री-रोमिंग व्यवहार (महावत पर्यवेक्षण के साथ या बिना) के लिए कम से कम एक चौथाई वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्रों तक पहुंच;
2. दिन के समय, तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने वाले छायांकित क्षेत्र उपलब्ध होने चाहिए। कोई भी छत कम से कम छह मीटर ऊंची होनी चाहिए;
3. दिन में हाथियों को दिन में चार घंटे से ज्यादा जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए। जंजीरों से बंधे होने पर, जंजीरों को कम से कम दो मीटर लंबा (आदर्श रूप से, करीब 20 मीटर लंबा) होना चाहिए और केवल एक पैर से जुड़ा होना चाहिए। जंजीरों में जकड़े हुए समय को कम से कम किया जाना चाहिए।
4. दिन के दौरान, जब मुक्त-घूमना, जंजीर, या दोनों, हाथियों को अन्य संगत हाथियों के साथ बातचीत (स्पर्श) करने में सक्षम होना चाहिए। अपवाद मस्त हाथियों के लिए है (नीचे बिंदु संख्या 18 देखें)। अन्य हाथियों के साथ सामाजिक समय को अधिकतम किया जाना चाहिए।
5. दिन के समय रहने का क्षेत्र हर समय सूखा और साफ होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त जल निकासी हो।

6. जिस स्थान पर हाथी को जंजीर से बांधा गया है, उसमें गंदगी, घास, या अन्य प्राकृतिक या सिंथेटिक पदार्थ होना चाहिए जो हाथियों के पैरों के लिए हानिकारक न हो। इसी तरह, हाथी के रहने की जगह में लगभग पूरी तरह से ऐसी गैर-हानिकारक सतहें होनी चाहिए।

7. रात के समय, हाथियों की आवाजाही पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध:

एक। सामाजिक रूप से बंधे हाथियों को शारीरिक संपर्क में रहने दें।

बी। हाथियों को किसी भी समय आराम से लेटने दें। सी। यदि जंजीर या बंधा हुआ है, तो कम से कम 5 मीटर लंबी एक श्रृंखला/रस्सी प्रदान करें, जिसमें अधिकतम एक पैर बंधा हो।

डी। प्राकृतिक पदार्थों (जैसे, गंदगी, रेत, या घास) से बने रात्रि विश्राम क्षेत्र के मैदानों को शामिल करें। इ। हाथियों को पौष्टिक चारे तक पहुंचने दें।

8. हाथियों के विश्राम स्थल को दिन में कम से कम दो बार गोबर/मूत्र से साफ किया जाना चाहिए, साथ ही गोबर को हाथियों से दूर रखा जाना चाहिए।

9. दैनिक हाथी के आहार में कम से कम तीन प्रकार के भोजन शामिल होने चाहिए, जिसमें केलें और गन्ने से 10% से अधिक कैलोरी नहीं आती है। इसके अलावा, हाथियों को पोषण और मनोवैज्ञानिक लाभ दोनों के लिए, दिन के दौरान भोजन के लिए फॉरेज करने में सक्षम होना चाहिए।

10. बुजुर्ग हाथियों को विशेष आहार (जैसे, कटा हुआ चारा, पूरक) और सुरक्षित रहने की जगह (जैसे, बाड़े, स्थिर) प्रदान की जानी चाहिए।

11. हाथियों को दिन में कम से कम चार बार पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

12. हाथियों को दिन में कम से कम एक बार नहाने के लिए नदी या अन्य स्वच्छ जल स्रोत तक पहुंचना चाहिए, और उन्हें केवल पानी और एक मुलायम कपड़े (कठोर ब्रश नहीं) से (यदि आवश्यक हो) रगड़ना चाहिए।

13. प्रत्येक हाथी को वर्ष में कम से कम एक बार

नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। हाथियों को चिकित्सा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए - रक्त निकालना, पैरों की देखभाल और मुंह का निरीक्षण।

14. निरीक्षण के लिए प्रत्येक हाथी का मेडिकल/ वैक्सीन रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।

15. एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री के साथ एक पशु चिकित्सक और हाथी चिकित्सा में प्रशिक्षण के साथ प्रत्येक हाथी की देखभाल का प्रभारी होना चाहिए। उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह हाथियों को काम करना बंद करने का आदेश दे या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर उन्हें छुट्टी दे दे।

16. जानबूझकर हाथी का प्रजनन कैद में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, एक बछड़े को सफलतापूर्वक जन्म देने और पालने के बाद हर मादा हाथी को गर्भ धारण करने से रोकने के लिए पशु चिकित्सा हस्तक्षेप का उपयोग किया जाना चाहिए। यह मादा को कैद में हाथियों का समर्थन करने के लिए सीमित संसाधनों के साथ एक प्रणाली पर अनावश्यक तनाव डाले बिना मातृत्व द्वारा सक्षम समृद्ध सामाजिक संरचना का आनंद लेने की अनुमति देता है।

17. कैद में बछड़ों को चाहिए:

एक। किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सकारात्मक सुदृढीकरण तकनीकों का उपयोग करते हुए, प्रारंभिक आयु से, अधिमानतः आधे वर्ष की आयु से पहले प्रशिक्षित हों।

बी। हमेशा आगंतुकों/नए लोगों (पर्यटकों सहित) के साथ बातचीत न करने का विकल्प चुनने का विकल्प हो।

सी। आगंतुकों या अन्य लोगों द्वारा ऐसे व्यवहारों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित न किया जाए जिसके लिए उन्हें बाद की उम्र में दंडित किया जा सकता है, जैसे कि लोगों का सिर मारना या निर्दिष्ट स्थान से बाहर खाना खाना।

भाग 5: मानव-हाथी संघर्ष के लिए डेटा संग्रह

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के कारण होने वाले नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए संगठित और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। एचईसी के संबंध में अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को कई प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है। एचईसी कहां, कब और कैसे हो रहा है? एचईसी के साथ-साथ अन्य एचईसी घटनाओं के कारण मानव और हाथियों की मौतों के व्यापि को समझने से प्रबंधकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि हस्तक्षेप कहां सबसे अधिक आवश्यक है, कौन से हस्तक्षेप हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और संघर्ष की व्यापकता में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इस खंड में निर्देश और डेटा शीट शामिल हैं जो निम्नलिखित डेटा के संग्रह को निर्देशित करते हैं:

1. प्रत्येक घटना का विवरण—जैसे कि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में पाया गया—जो हाथियों और एचईसी का अनुभव करने वाले समुदायों के सामने आने वाले सबसे गंभीर खतरों की पहचान करने में मददगार हैं।
2. एचईसी के कारण कितना नुकसान हुआ है? बेहतर डेटा एचईसी के कारण लोगों को कितना नुकसान हो रहा है - और किन परिस्थितियों में - नुकसान के अनुरूप मुआवजे देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन आंकड़ों का बेहतर संगठन उन विश्लेषणों को आसान बनाएगा जो नीति-निर्माताओं को न्यायपूर्ण, अधिक कुशल और अधिक प्रभावी मुआवजा प्रक्रिया के साथ आने में मदद करते हैं।
3. कौन से हाथी वास्तव में संघर्ष में लगे हुए हैं? हाथी, अपने जीवन के अनुभवों से आकार लेने वाले बुद्धिमान जानवर हैं जिनकी संघर्ष के लिए प्रवृत्ति भिन्न होती है। इस प्रकार, प्रबंधकों को व्यक्तिगत हाथियों की विशेषताओं के आधार पर हस्तक्षेप निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार, फील्ड ऑपरेटिव्स को फोटोग्राफिक और जेनेटिक साक्ष्य का उपयोग करके संघर्ष की घटनाओं से जुड़े व्यक्तियों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने की आवश्यकता है। अलग-अलग हाथियों के प्रोफाइल एचईसी प्रबंधन में आमूल परिवर्तन ला सकते हैं।

हम अभी तक व्यवस्थित रूप से एचईसी को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सभी डेटा एकत्र नहीं कर रहे हैं।

हमें डेटा संग्रह की प्रक्रिया जानने की जरूरत है

हमें डेटा की एक सूची की जरूरत है जिसे एचईसी घटनाओं के लिए एकत्रित करना है

हाथी डेटाबेस के लिए हमें एक या अधिक हाथियों की पहचान करने की जरूरत है

एचईसी को कम करने के लिए स्थापित बाधाओं (barriers) को बनाए रखने में मदद के लिए हमें डेटा की जरूरत है

मुआवजे/अनुदान राशि के लिए जानकारी एकत्रित करना पृष्ठ 118

अलग-अलग हाथियों की पहचान पृष्ठ 124

डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त और गोबर के नमूने एकत्र करना और संग्रहीत करना पृष्ठ 128

“मानव मृत्यु/चोट के लिए अनुग्रह राशि/ मुआवजे के भुगतान के लिए प्रलेखन और सत्यापन के लिए प्रपत्र” पृष्ठ 132

“हाथी द्वारा फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन करने का फॉर्म” पृष्ठ 135

“फसल या संपत्ति की क्षति संबंधित मुआवजे के नुकसान के सत्यापन के लिए प्रपत्र” पृष्ठ 138

क्या यह अनुग्रह राशि/ मुआवजे के लिए है?

क्या यह हाथी की मृत्यु/ चोट के लिए है?

“हाथी की मृत्यु या चोट सारांश पत्रक” पृष्ठ 151

“व्यक्तिगत हाथियों की पहचान” पृष्ठ 117 पर

“(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड” पृष्ठ 142 पर

“ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट” पृष्ठ 147 पर

“परिशिष्ट II: संदिग्ध बिजली के झटके से होने वाली मौतों के दौरान ऑन-साइट पशुचिकित्सा द्वारा एकत्र किए जाने वाले नमूनों की जांच की जाने वाली मुख्य बिंदु” पृष्ठ 171 पर

“परिशिष्ट VII: बजट तालिका टेम्पलेट” पृष्ठ 177 पर

“परिशिष्ट IV: बाधा रखरखाव समिति के लिए मानक रजिस्टर” पृष्ठ 173 पर

“परिशिष्ट VII: विष विज्ञान विश्लेषण हेतु पोस्ट-मॉर्टम के लिए अनिवार्य नमूने एकत्र किए जाने हैं” पृष्ठ 172

“परिशिष्ट V: बाड़ रखरखाव चेकलिस्ट” पृष्ठ 174 पर

“परिशिष्ट VI: ट्रेंच रखरखाव चेकलिस्ट” पृष्ठ 176 पर

मुआवजे/अनुग्रह राशि के लिए जानकारी एकत्र करना

खंड का उद्देश्य:

कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कुछ न कुछ मानव-हाथी संघर्ष तो होगा ही। हाथी, सभी वन्यजीवों की तरह, अनिवार्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी हैं। चूंकि लोगों को हाथियों के खिलाफ अपनी संपत्ति या फसलों की रक्षा के लिए घातक बल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है (हाथी कानून द्वारा संरक्षित एक अनुसूचित। जानवर है), राज्य उन लोगों को उनके नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है जिनकी फसल या संपत्ति को जंगली हाथियों ने क्षति पहुंचाई है। जब कोई व्यक्ति जंगली हाथियों के कारण घायल हो जाता है या अपनी जान गंवा देता है, तो राज्य को पीड़ितों या उनके निकट संबंधियों को नुकसान के अल्पकालिक से मध्यम अवधि के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए अनुग्रह राशि के रूप में कम से कम पर्याप्त राशि प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए (स्वीकार करते हुए) कि कोई मानव जीवन के नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकता)। इसके अलावा, समय पर और उचित मुआवजा और पूर्व-अनुदान भुगतान हाथियों की रक्षा के लिए काम करते हैं, क्योंकि पीड़ितों या पीड़ितों के नुकसान को रोकने या बदला लेने के लिए हाथियों को मारने या घायल करने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है। यह खंड मानव मृत्यु/चोट के मामलों के दस्तावेजीकरण और प्रसंस्करण की प्रणाली के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का वर्णन करता है ताकि अनुग्रह भुगतान, साथ ही फसलों या संपत्ति के नुकसान के मुआवजे को सक्षम किया जा सके।

हस्तक्षेप के दौरान भरी जाने वाली डेटा शीट (यथा प्रासंगिक):

- "मानव मृत्यु/ज़ख्म के लिए अनुग्रह राशि/मुआवजे के भुगतान के लिए प्रलेखन और सत्यापन के लिए प्रपत्र" पृष्ठ 132 पर
- "हाथी द्वारा फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान के



मुख्य अभिनेता: रैपिड रिस्पांस टीम और/या अन्य वन विभाग के अधिकारी, एचईसी के पीड़ित, ग्राम नेता (गाँव बुराह, सरपंच, प्रधान, गोथली, या समकक्ष)

शामिल करने के लिए अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां: राजस्व विभाग



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन: नुकसान की तस्वीरें लेने के लिए फोन/कैमरा, मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुआवजे के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र" पृष्ठ 135 पर
• "फसल या संपत्ति की क्षति के मुआवजे के लिए नुकसान का सत्यापन करने के लिए प्रपत्र" पृष्ठ 138 पर

अनुशंसित अभ्यास:

ए. निष्पक्ष और प्रभावी होने के लिए, मुआवजा और अनुग्रह राशि का भुगतान एचईसी के पीड़ितों को हुए आर्थिक नुकसान के अनुरूप होना चाहिए और समय पर प्रदान किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, भारत के प्रत्येक राज्य में मुआवजे के प्रशासन के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों:

1. हर बीट, रेंज और डिवीजन कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन ऑनलाइन भरने योग्य होना चाहिए या कागजी आवेदनों का उपयोग करना चाहिए;

2. मुआवजे या अनुग्रह राशि के लिए प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी दी जानी चाहिए जो आवेदन की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की अनुमति देती है। इस ऑनलाइन पोर्टल की दोनों प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना चाहिए जिसके द्वारा मुआवजा और अनुग्रह राशि दी जाती है और इस प्रक्रिया में आवेदक का आवेदन कहां है।

3. समय के सर्वोत्तम अभ्यास:

- मानव मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान घटना के एक सप्ताह के भीतर निकट संबंधी को किया जाना चाहिए। अंतिम संस्कार के खर्च को कवर करने के लिए परिवार को तुरंत कुछ राशि (कम से कम 5,000 रुपये) प्रदान की जानी चाहिए।
- ख। मानवीय जख्म के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदन दायर करने के एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
- ग। अन्य सभी नुकसानों के लिए मुआवजा आवेदन दाखिल करने के दो महीने के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

4. भुगतान की गई राशि:

- क। मुआवजे का भुगतान एचईसी पीड़ित को हुए नुकसान के अनुरूप होना चाहिए। प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि एचईसी के कारण होने वाले नुकसान को मुआवजे से पूरी तरह से ऑफसेट किया जा सके।
- ख। मानव जख्म के लिए अनुग्रह राशि में जख्म के लिए चिकित्सा देखभाल की लागत पूरी तरह से कवर की जानी चाहिए। ऐसी जख्म जो पीड़ित को अपने व्यवसाय में लौटने से रोकती हैं, उन्हें मानव मृत्यु के समान स्तर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- ग। मानव मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि कम से कम 10 लाख होनी चाहिए।

5. मुआवजा/अनुग्रह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी चाहिए।

बी. मानव मृत्यु के मामले में आवेदन/दावा प्रक्रिया का विवरण:

1. अधिकारियों को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए (प्रोटोकॉल के लिए पृष्ठ 45 पर देखें "आपातकालीन स्थिति 3: हाथियों ने एक या एक से अधिक लोगों को मार डाला है या उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई है")

2. अधिकारियों को तुरंत पृष्ठ 132 पर "मानव मृत्यु/चोट के लिए अनुग्रह/मुआवजे के भुगतान के लिए प्रलेखन और सत्यापन के लिए फॉर्म" भरना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में शव परीक्षा दस्तावेजों की प्रतियां शामिल हैं।

3. अधिकारियों को तुरंत ऑनलाइन सिस्टम पर डेटा दर्ज करना चाहिए और 48 घंटे के भीतर आवेदन संख्या और आवेदन की प्रति निकटतम रिश्तेदारों को प्रदान करनी चाहिए।

4. अधिकारियों द्वारा आवेदक को निर्देश देना चाहिए कि आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें।

ग. मानव जख्म के मामले में आवेदन/दावा प्रक्रिया का विवरण:

1. अधिकारियों को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए (प्रोटोकॉल के लिए पृष्ठ 45 पर देखें "आपातकालीन स्थिति 3: हाथियों ने एक या एक से अधिक लोगों को मार डाला है या उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई है")

2. अधिकारियों को तुरंत पृष्ठ 132 पर "मानव मृत्यु/चोट के लिए अनुग्रह राशि/मुआवजे के भुगतान के लिए प्रलेखन और सत्यापन के लिए फॉर्म" भरना चाहिए। गंभीर चोट के मामलों में, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रासंगिक चिकित्सा दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन में शामिल हैं।

3. अधिकारियों को तुरंत ऑनलाइन सिस्टम पर डेटा दर्ज करना चाहिए और 48 घंटे के भीतर आवेदन संख्या और आवेदन की प्रति प्रदान करनी चाहिए।

4. उपचार प्राप्त करने के बाद, प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले पीड़ित (पीड़ितों) को अपने आवेदन संख्या के साथ निकटतम वन विभाग कार्यालय में कोई प्रासंगिक चिकित्सा दस्तावेज जमा करना चाहिए; इन दस्तावेजों को तुरंत सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए।

है।

5. अधिकारियों द्वारा आवेदक को निर्देश देना चाहिए कि आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन कैसे ट्रैक किया जाए।

सत्यापन प्रणाली को निम्नानुसार आगे बढ़ना चाहिए:

घ. फसल/संपत्ति के नुकसान के मामले में आवेदन/दावा प्रक्रिया का विवरण:

1. आवेदन पत्र प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर सत्यापन किया जाना चाहिए।

1. आवेदकों को मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या घटना के 48 घंटे के भीतर निकटतम बीट, रेंज, या वन विभाग के मंडल कार्यालय में जाना चाहिए। ग्राम प्रधान/मुखिया को जहां भी आवश्यक हो सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।

2. नुकसान का सत्यापन वन विभाग के प्रतिनिधि एवं काश्तकार/मालिक की आपसी सहमति से स्थल पर ही पूर्ण किया जाना चाहिए; जहां संयुक्त सत्यापन होता है, वहां नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि को भी सहमति देनी चाहिए। जहां भी आवश्यक हो गांव के प्रमुख / मुखिया सहायता कर सकते हैं।

2. आवेदकों को पृष्ठ 135 पर "हाथी के नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म" भरना चाहिए।

3. अधिकारियों और दावेदारों को एक साथ पृष्ठ 138 पर "फसल या संपत्ति की क्षति के मुआवजे के भुगतान के लिए नुकसान के सत्यापन के लिए फॉर्म" दर्ज करना चाहिए।

3. यदि आवेदन की एक कागजी प्रति भरी जाती है, तो अधिकारियों को इसे तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दर्ज करना चाहिए।

4. यदि दावा पूरी तरह से या अधिकतर मनगढ़ंत पाया जाता है, तो आवेदकों को भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें दो साल तक एचईसी के कारण फसल/संपत्ति के नुकसान के संबंध में मुआवजे के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

4. आवेदक को तुरंत एक आवेदन संख्या और आवेदन की एक रसीद प्रति प्राप्त करनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके।

5. अधिकारियों को आवेदक को निर्देश देना चाहिए कि आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन कैसे ट्रैक किया जाए। सत्यापन प्रक्रिया:


सत्यापन के बिना, एक जोखिम यह है कि जो व्यक्ति एचईसी के शिकार नहीं हैं, वे भी मुआवजे के लिए आवेदन करेंगे, जबकि मानव-हाथी संघर्ष के कारण उन्हें वास्तव में नुकसान नहीं हुआ है।

इसके अलावा, एक जोखिम यह भी है कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, वे भी अपने नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करेंगे, भले ही उनके कृषि प्रयास स्वयं अवैध थे। व्यवस्था के इन दुरुपयोगों को रोकने के लिए, जहां भी एचईसी एक मुद्दा है, वन विभाग के पास एक सत्यापन प्रक्रिया होनी चाहिए, और उन्हें उन सभी मामलों में राजस्व विभाग को शामिल करना चाहिए जहां अतिक्रमण एक जोखिम



Crop loss/ property damage

- Legend:**
- To be carried out in the beginning of the fiscal year
 - To be carried out for the rest of the year
 - In emergency situations



Maximum time to issue compensation:

For crop loss/property damage **2 months**


Documents required for the application for ex-gratia and compensation

- Government ID card
- Account of damage (estimated monetary value and/or area/weight of crops lost)
- Bank account details
- Photographs of damage
- Verification by the village leader/headman
- Proof of legality of land use

Human injury/ death

Maximum time to issue compensation:

Human death: **1 week**
Human Injury: **1 month**



Documents required for the application for ex-gratia and compensation

- Government ID card
- Bank account details
- A duly filled and signed compensation application form
- All original bills, receipts, memo, etc.
- Medical certificate, applicant's case files and other documents attested by the doctor
- Discharge summary document in case of injury
- Post-mortem report in case of human death
- Cash memo of medicines purchased

Allocation of Funds

Ministry of Finance

While allocating the funds for the Forest Department, separate funds should be allocated in advance for ex-gratia to the MoEF&CC.

More funds should be allocated on need basis in case the allocated funds prove insufficient

MoEF&CC

Project Elephant/ Authority responsible for wildlife

Principal Chief Conservator of Forests

Also serves as Chief Wildlife Warden

More funds should be granted on need basis in case the allocated funds prove insufficient

व्यक्तिगत हाथियों की पहचान करना

खंड का उद्देश्य:

यह खंड बताता है कि व्यक्तिगत हाथियों की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा कैसे काम किया जाए, या कम से कम विशेषज्ञों द्वारा पहचान की अधिक संभावना के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कैसे प्राप्त करना है। हाथियों, खासकर मादा और मखानों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। संघर्ष के लिए जिम्मेदार हाथियों की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत पहचान महत्वपूर्ण है, खासकर अगर उन्हें कॉलरिंग, ट्रांसलोकेशन या कैद करने के लिए पकड़ने की आवश्यकता हो।

हस्तक्षेप के दौरान भरी जाने वाली डेटा शीट (यथा प्रासंगिक):

- पृष्ठ 142 पर "(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड"
- पृष्ठ 147 पर "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट"
- पृष्ठ 151 पर "हाथी की मृत्यु या चोट सारांश पत्रक"
- पृष्ठ 153 पर "पोस्टमार्टम प्रारूप"

अनुशासित अभ्यास:

क. संघर्ष में शामिल जानवरों के लिए हाथियों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, लेकिन जब समय हो तो वन विभाग के फील्ड स्टाफ को मानव निवास के पास देखे गए लेकिन संघर्ष में शामिल नहीं होने वाले हाथियों के लिए प्रोफाइल विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए।

ख. वन विभाग के फील्ड स्टाफ को हाथियों की पहचान करने और हाथियों को देखे जाने की रिकॉर्डिंग के लिए दो में से एक डेटा शीट भरनी चाहिए:

1. हाथियों के लिए पृष्ठ 142 पर "(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड" जो पर्यवेक्षक को लगता है कि संभवतः एक हाथी है जो वर्तमान में डेटाबेस में नहीं है, या
2. "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट" पृष्ठ 147 पर उन



मुख्य संस्था : वन विभाग

शामिल करने के लिए अन्य अभिनेता और सरकारी एजेंसियां:

विशेष गैर सरकारी संगठन और हाथी शोधकर्ता, गोबर (एसएनपी) और/या माइक्रोसैटेलाइट्स के डीएनए विश्लेषण करने में सक्षम प्रयोगशालाएं।



हस्तक्षेप के लिए आवश्यक

उपकरण और संसाधन:

डिजिटल कैमरा उचित जूम के साथ; नमूना संग्रह भी ज़ीप्लॉक बैग, पॉलीथीन दस्ताने, पैक्सजीन सहित उपकरण ब्लड डीएनए ट्यूब, एयर-टाइट कंटेनर, 100% अल्कोहल, सिलिका जेल, स्टेराइल स्वैब और लिंसीज़ बफर। इसके अलावा, भंडारण के लिए फ्रीजर।

हाथियों के लिए डेटाशीट जिन्हें पहले पहचाना जा चुका है और जिनके डेटाबेस में आंशिक या पूर्ण रिकॉर्ड हैं

ग. प्रत्येक राज्य को एक खोज योग्य "हाथी आईडी डेटाबेस" बनाना चाहिए जिसमें प्रमुख हाथी विशेषताओं के आधार पर प्रोफाइल और देखने के रिकॉर्ड को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जा सकता है। प्रासंगिक प्रोफाइल देखने की अनुमति देने के लिए एक परिदृश्य में सभी हाथी रिकॉर्ड को एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए। एक भू-दृश्य में वे सभी सन्निकट क्षेत्र शामिल होने चाहिए, जिनमें एक हाथी/हाथियों का झुंड कम से कम एक राज्य के भीतर, लेकिन आदर्श रूप में उपयुक्त राज्यों में पहुंच सकता है। बहुत बड़ी हाथियों की आबादी वाले क्षेत्रों में, परिदृश्य को राज्य

रेखाओं और उचित भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक डेटाबेस में हो सकता है:

1. डीएनए डेटा विश्लेषण के साथ पूर्ण और सत्यापित प्रोफाइल जिसमें सभी आवश्यक तस्वीरें और विवरण रखे गए हैं।
2. पूर्ण फोटोग्राफिक प्रोफाइल, डीएनए डेटा के बिना।
3. अधूरे प्रोफाइल जिनमें कुछ फोटोग्राफ और/या डीएनए डेटा है।

प्रत्येक प्रोफाइल में प्रत्येक हाथी से जुड़ी सभी रिकॉर्ड की गई एचईसी घटनाएं, साथ ही कोई भी अन्य स्थान शामिल होना चाहिए जहां इसे देखा और रिकॉर्ड किया गया था।

4. एक पूर्ण हाथी प्रोफाइल में निम्नलिखित जानकारी होती है (कृपया पृष्ठ 159 पर “परिशिष्ट I: हाथियों की पहचान” का उपयोग करें):

जहां प्रारंभिक दृष्टि से एक प्रोफाइल को पूरा करना संभव नहीं है, शेष विवरण धीरे-धीरे हाथी के साथ मुठभेड़ों के दौरान भरे जाने चाहिए।

1. फोटोग्राफ और नोट्स निम्नानुसार लिए जाने चाहिए। पृष्ठ 142 पर “(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड” या पृष्ठ 147 डेटाशीट पर “ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट” में नोट्स लिया जाना चाहिए। डेटा एकत्र करते समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

क। लिंग: विशेष रूप से छोटे जानवरों के साथ, मखानों को मादाओं से अलग करना मुश्किल हो सकता है। हाथी के पिछले हिस्से की तरफ से, साथ ही पीछे की जांघों के पीछे की मांसपेशियों और छाती की तस्वीर इस तरह लें कि अगर स्तन मौजूद हो तो उसकी भी तस्वीर आनी चाहिए।

मखना या मादा के रूप में चिह्नित करने से पहले, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- i. हाथी के पिछले हिस्से को बगल से देखने पर, पूंछ के आधार के नीचे की मांसपेशियां पुरुषों के लिए उत्तल होती हैं जबकि मादाओं के लिए वे सपाट होती हैं।
- ii. हाथी को पीछे से देखने पर जांघों के बीच की

मांसपेशियां पुरुषों के लिए ‘वी’ आकार की दिखाई देती हैं।

iii. मादा हाथी के स्तन अक्सर सामने के पैरों के बीच दिखाई देते हैं।

iv. मस्त (आक्रामक व्यवहार) के दौरान, टेम्पोरल ग्रंथि से स्राव (secretion from the temporal gland) एक अतिरिक्त विशेषता के रूप में कार्य करता है (जैसा कि केवल पुरुषों को मस्त का अनुभव होता है)।

v. आयु-वर्ग: हाथी की उम्र का अनुमान आम तौर पर हाथी की ऊंचाई के आधार पर लगाया जाता है। हाथियों को वयस्क, उप-वयस्क, किशोर और बछड़ा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कृपया पृष्ठ 159 पर “परिशिष्ट I: हाथियों की पहचान” में अरिवाइज़गन और सुकुमार (2008) की तालिका देखें।

vi. फोटोग्राफ: पूरे शरीर, पीठ, सिर/चेहरे के क्लोज-अप, दाएं और बाएं कान, पूंछ और दांतों की अलग-अलग तस्वीरें ली जानी चाहिए ताकि उन विशेषताओं को कैप्चर किया जा सके जो व्यक्तिगत पहचान डेटाशीट को पूरी तरह से भरने के लिए आवश्यक होंगी। हाथी के शरीर के साथ समतल होने और शरीर से फैलने पर प्रत्येक कान की तस्वीरें ली जानी चाहिए।

2. हाथियों की आनुवंशिक पहचान:

डीएनए को रक्त, ऊतक और ताजा हाथी के गोबर से एकत्र किया जा सकता है, जिससे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (एसएनपी) और माइक्रोसैटेलाइट्स का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। कृपया पृष्ठ 128 पर “डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त और गोबर के नमूने एकत्र करना और संग्रहीत करना” पर अनुभाग देखें। परिणामी आनुवंशिक विश्लेषण परिणाम/डीएनए जानकारी को पूरा होने से पहले हाथी प्रोफाइल में जोड़ा जाना चाहिए। यदि डीएनए विश्लेषण किया जाना है, तो हाथी के लिए एक प्रोफाइल तुरंत स्थापित की जानी चाहिए और यदि कोई पहले से मौजूद नहीं है तो एक आईडी संख्या उत्पन्न की जानी चाहिए।

3. हाथी पाए जाने वाले स्थानों और संदर्भों की जानकारी। इसमें इस व्यक्तिगत हाथी से जुड़े संघर्ष की घटनाओं के रिकॉर्ड के साथ-साथ अधिक सामान्य दृश्य शामिल होंगे जो हाथी की सीमा और सामाजिक आदतों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। यदि एक हाथी को एक झुंड के साथ देखा जाता है, तो उसके साथ आने वाले हाथियों की आयु वर्गों को आदर्श रूप

से नोट किया जाना चाहिए।

ई. इसके अलावा, हाथियों की पहचान करते समय कृपया निम्नलिखित सलाहों पर विचार करें:

1. तस्वीरें लेते समय, सावधानरहना चाहिए कि किसी विशिष्ट विशेषताओं के रूप में अस्थायी चिह्नों की गलती ना हो जाए।

2. कुछ हाथियों के चेहरे, कान, धड़ और गर्दन पर विरंजकता विकसित हो जाती है। इन पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन पहचान इन निशानों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हाथी उन्हें मिट्टी से ढक देता है तो वे दिखाई नहीं दे सकते हैं।

3. यदि हाथियों को देखना और उनका पीछा करना संभव न हो, तो हाथियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले रास्तों पर कैमरा ट्रैप लगाए जा सकते हैं। यह फसल हमलावरों के मामले में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जो दिन के दौरान घने अंडरस्टोरी आवास का उपयोग करते हैं और केवल रात में मानव उपयोग क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इन्फ्रारेड आधारित कैमरा ट्रैप रात के दौरान फोटो और वीडियो ले सकता है। कैमरा ट्रैप का उपयोग करके झुंड में सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए, स्टिल और वीडियो फीचर दोनों वाले कैमरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

फ. अधूरे फोटो प्रोफाइल और अनिर्णायक तस्वीरों को "रिकॉर्ड ऑफ (संदिग्ध) नए हाथी" या "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट" का उपयोग करके संलग्न स्थानों के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए, जैसा कि पर्यवेक्षक उचित समझे।


G. हाथी आईडी विशेषज्ञ, आदर्श रूप से प्रत्येक वन रेंज में आरआरटी का हिस्सा होते हैं, उन्हें हर सप्ताह नए प्रस्तुत किये गए रिकॉर्ड की छंटाई करनी चाहिए। संघर्ष की घटनाओं के रिकॉर्ड को तुरंत संसाधित किया जाना चाहिए।

1. पृष्ठ 147 डेटाशीट पर भरे गए "ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट" की तुलना रिकॉर्ड में पहचाने गए हाथी की मौजूदा प्रोफाइल से की जानी चाहिए। यदि तस्वीरें मेल खाती हैं, तो रिकॉर्ड से डेटा को प्रोफाइल में जोड़ा जा सकता है। यदि तस्वीरें मेल नहीं खाती हैं, तो डेटाशीट को पृष्ठ 142 पर "(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड" के रूप में माना जाना चाहिए।

2. पृष्ठ 142 पर प्रत्येक "(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड" पहले एक सॉर्टिंग दृष्टिकोण के माध्यम से सभी मौजूदा प्रोफाइल से तुलना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नया रिकॉर्ड फटे हुए दाहिने कान और बाल रहित पूंछ वाले मखना का है, तो इसकी तुलना डेटाबेस के उन सभी हाथियों से की जानी चाहिए जो उस विवरण में फिट बैठते हैं और उस परिदृश्य में देखे गए हैं। यदि कोई मेल नहीं है, तो एक नया प्रोफाइल स्थापित किया जा सकता है। नए हाथी को एक व्यवस्थित प्रोटोकॉल के आधार पर अल्फान्यूमेरिक आईडी नंबर दिया जाना चाहिए, और उसे एक पारंपरिक नाम भी दिया जा सकता है।

3. यदि एक हाथी ने एक या एक से अधिक मनुष्यों को मार डाला है, तो उसकी प्रोफाइल को प्राथमिकता पर पूरा किया जाना चाहिए और उन अन्य सभी हाथियों के प्रोफाइल की तुलना राज्य और पड़ोसी राज्यों में लोगों को मारने वाले हाथियों से की जानी चाहिए, जिनके पास हाथी हैं (और स्थानों के साथ कनेक्टिविटी है जहां विशिष्ट हाथी को रिकॉर्ड किया गया है)।

लक्षण जो एक हाथी की पहचान करने में मदद कर सकते हैं
पृष्ठ 159 पर “परिशिष्ट I: हाथियों की पहचान” देखें



डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त और गोबर के नमूने एकत्र करना और उनका भंडारण करना

खंड का उद्देश्य: :

डीएनए हाथियों को एक दूसरे से अलग करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिनमें स्पष्ट चिह्नों की कमी होती है या ज्यादातर खराब दृश्यता होने पर देखा जाता है। अलग-अलग हाथी अपनी आदतों में नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं, अधिकांश हाथी मनुष्यों के लिए थोड़ा खतरा पैदा करते हैं, लेकिन कुछ हाथी आदतन फसल हमलावर, आदतन आक्रामक, या यहां तक कि क्रमिक मानव हत्यारे बन जाते हैं। कॉलरिंग, ट्रांसलोकेशन, या यहां तक कि कानूनी निष्कासन (मानव जीवन के लिए खतरनाक घोषित व्यक्तिगत जानवरों) जैसे हस्तक्षेपों के लिए सही व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, जिम्मेदार व्यक्तिगत हाथियों की सही पहचान करने के लिए डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाना चाहिए। जेनेटिक डेटा देशव्यापी डेटाबेस विकसित करने में भी योगदान दे सकता है। हाथी के डीएनए का एक व्यवस्थित डेटाबेस भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अवैध हाथी दांत के स्थान को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। यह खंड डीएनए विश्लेषण के लिए नमूनों के संग्रह के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विवरण देता है।

अनुशासित अभ्यास:

A. जैविक नमूनों के डीएनए विश्लेषण के लिए अनुमतियां और प्रणाली:

किसी भी पशु से रक्त, ऊतक, या गोबर के नमूने एकत्र करने से पहले, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन

 **मुख्य संस्था :** वन विभाग शामिल अन्य लोग और सरकारी एजेंसियां: नमूना परीक्षण सुविधाएं, पशु चिकित्सा कॉलेज

 **हस्तक्षेप के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन:** नमूना संग्रह उपकरण में जिपलॉक बैग, पॉलीइथाइलीन दस्ताने, पैक्सजीन रक्त डीएनए ट्यूब, एयर-टाइट कंटेनर, 100% अल्कोहल, सिलिका जेल, बाँझ स्वेब और लिसिस बफर शामिल हैं। इसके अलावा, भंडारण के लिए एक फ्रीजर.

से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। आदर्श रूप से, CWLW इस फील्ड मैनुअल में वर्णित संघर्ष की घटनाओं में जैविक नमूनों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की नीति स्थापित करेगा। CWLW को तब वन विभाग को इन नमूनों से एकत्र किए गए डेटा के व्यवस्थित प्रलेखन के लिए एक डेटाबेस स्थापित करने का निर्देश देना चाहिए, जिससे समय के साथ व्यक्तिगत संघर्ष वाले जानवरों पर नज़र रखी जा सके।

B. पकड़े गए जंगली हाथियों से नमूनों का संग्रह (कॉलरिंग, उपचार, स्थानान्तरण, या कैद में रखने के लिए):

एक जीवित जानवर से रक्त के नमूने केवल एक पशु चिकित्सक या एक प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा ही लिए जाने चाहिए और वेक्यूटेनर या पैक्सजीन रक्त डीएनए ट्यूब में एकत्र किए जाने चाहिए। ये नमूने लंबी अवधि के भंडारण या लंबी दूरी के परिवहन के लिए जमे हुए होने चाहिए।

यदि रक्त उपलब्ध नहीं है, तो बालों के नमूने एकत्र करें। बालों की कुछ लट्टें खींचें और जिप लॉक प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। लंबी अवधि के भंडारण के लिए इन्हें भी जमाने की जरूरत है।

C. मृत जंगली हाथियों से नमूनों का संग्रह:

पोस्टमॉर्टम के दौरान, शव (मांसपेशी, यकृत, या हृदय) से ऊतक के लगभग 100 ग्राम या 1-इंच x 1-इंच के टुकड़े एकत्र किए जाने चाहिए और एक एयर-टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए और 100% अल्कोहल के साथ कवर किया जाना चाहिए। लंबी अवधि के भंडारण के लिए नमूना फ्रीज करें।

D. गोबर के नमूनों का संग्रह:

गोबर की सतह की परत से एक नमूना एकत्र किया जाना चाहिए और एक एयर-टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए और 100% अल्कोहल या सिलिका जेल के साथ कवर किया जाना चाहिए। यदि एयर-टाइट कंटेनर उपलब्ध नहीं हैं, तो सिलिका जेल के साथ एक प्लास्टिक जिपलॉक में नमूना एकत्र किया जा सकता है।

इसके अलावा, गोबर की सतह को एक विसंक्रमित झाड़ू के साथ झाड़ा जाना चाहिए और लिसीज़ बफर लॉन्ग मायर के घोल (या अन्य लिसीज़ बफर) में संरक्षित किया जाना चाहिए।

E. छंटे बालों के नमूनों का संग्रह:

बालों के नमूने पेड़ की छाल, हाथियों के विश्राम स्थलों, हाथियों द्वारा पार की गई कांटेदार बाड़, और संघर्ष

क्षेत्रों जैसे स्थलों से एकत्र किए जा सकते हैं। इन जगहों पर जानवर अक्सर बाल जमा कर देते हैं। बालों की लट्टों को इकट्ठा करने और उन्हें जिप-लॉक बैग में स्टोर करने के लिए संदंश की एक जोड़ी का उपयोग करें। लंबी अवधि के भंडारण के लिए इनका फ्रीजर में भण्डारण करें।

F. जहां भी संभव हो, नमूना संग्रह के लिए डिस्पोजेबल (एक बार उपयोग किए जाने वाले) दस्ताने का उपयोग करें। यदि दस्ताने उपलब्ध नहीं हैं, तो नमूने एकत्र करने से पहले हाथों को ढकने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया जा सकता है

संग्रह के दौरान नमूने को नंगे हाथों से न छूने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। यह मानव हाथ से नमूनों पर डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइमों के जमाव को रोकने के लिए है, नमूनों पर मानव डीएनए के जमाव को रोकने के लिए, और (सबसे महत्वपूर्ण) विभिन्न हाथियों के नमूनों के बीच क्रॉस-संदूषण को रोकने के लिए है। ये संदूषण डीएनए उपज को काफी कम कर सकते हैं। पॉलिथीन के दस्ताने सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं। दस्तानों को हर बार इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए।

G। अलग-अलग नमूनों को अलग-अलग सीलबंद कंटेनरों में भंडारित करें, भले ही वे एक ही जानवर के हों।

H। नमूनों को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1. ज्ञात हाथियों के लिए, प्रोफ़ाइल के निर्माण के हिस्से के रूप में उत्पन्न व्यक्तिगत हाथी आईडी (अलग-अलग हाथियों की पहचान देखें)
2. नमूना प्रकार (रक्त/ऊतक/गोबर/बाल)
3. दिनांक
4. जीपीएस स्थान (जहां नमूना पाया गया था/पशु

पकड़ा गया था)

5. अन्य स्थान विवरण (विशिष्ट क्षेत्र, वन प्रभाग, राज्य)

6. कलेक्टर (नाम, संपर्क नंबर, पदनाम)

7. सभी प्रकार के नमूनों के लिए अनुशंसित भंडारण की स्थिति: कमरे के तापमान पर अल्पकालिक और -20 डिग्री सेल्सियस पर दीर्घकालिक

I. पोस्टमॉर्टम से संबंधित नमूना संग्रह की जानकारी पृष्ठ 153 पर पाई जा सकती है।

डाटा शीट:

**एचईसी घटनाओं को रिकॉर्ड
करना और अनुग्रह राशि/
मुआवजा प्रदान करना**

**मानव मृत्यु/चोट के लिए अनुग्रह राशि/मुआवजे के भुगतान के लिए प्रलेखन
और सत्यापन के लिए प्रपत्र**

1.	नाम:	
	आयु:	
2.	लिंग:	
3.	मृत्यु या चोट (विवरण):	
4.	पिता/माता का नाम:	
5.	पूर्ण पता:	
6.	निकटतम वन विभाग कार्यालय (बीट/ रेंज):	
7.	निकटतम संबंधी (मानव मृत्यु के मामले में):	
a.	नाम	
b.	आयु:	
c.	लिंग	
d.	पीड़िता से संबंध	
e.	पूर्ण पता	
8.	फोन मोबाइल नं. पीड़ित/निकट संबंधी:	
9.	मानव मृत्यु/चोट कहाँ हुई इसका विवरण:	
a.	अक्षांश (दशमलव डिग्री):	
b.	देशांतर (दशमलव डिग्री):	
c.	गाँव:	
d.	पीटना:	
e.	श्रेणी:	
f.	मंडल :	
g.	डाक संख्या:	

h.	पट्टा संख्या:	
i.	मौजा नाम:	
j.	राजस्व मंडल :	
k.	ज़िला:	
l.	राज्य:	
10.	घटना की तारीख:	
11.	घटना का समय:	

12. हमलावर हाथी का विवरण रण: कोई भी फोटो और डीएनए रिपोर्ट संलग्न करें और या तो पृष्ठ 147 पर "ज्ञात हाथी रेकर्ड डेटाशीट" या पृष्ठ 142 डेटाशीट पर "एक (संदिग्ध) नए हाथी का रेकर्ड" जैसा उपयुक्त हो। यदि ज्ञात हाथी है, तो हाथी आईडी संख्या यहाँ दर्ज करें:

13. घटना का विवरण: संघर्ष की घटना के प्रसंग की व्याख्या करने वाला वर्णन।

क। वर्णन करें कि क्या हुआ।

ख। क्या उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया जिससे हाथी उत्तेजित हो सकता था? यदि ऐसा है तो क्या?

ग। क्या हाथी ने बिना उकसावे के आक्रामक व्यवहार किया? यदि हाँ, तो कैसे?

14. इलाज के दस्तावेज संलग्न (जखमी होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती, दवा की पर्ची, छुट्टी प्रमाण पत्र आदि):

15. इलाज का खर्च (आवश्यकतानुसार दस्तावेज संलग्न करें):

16. मौत के मामले में: पोस्टमॉर्टम पूरा हुआ? (आवश्यकतानुसार दस्तावेज संलग्न करें):

क। क्या पोस्टमॉर्टम पूरा हो गया है?

ख। क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गया है?

ग। क्या पोस्टमॉर्टम में इंसान-हाथी के संघर्ष से मौत की पुष्टि होती है?

क। क्या पोस्टमॉर्टम पूरा हो गया है?

ख। क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गया है?

ग। क्या पोस्टमॉर्टम में इंसान-हाथी के संघर्ष से मौत की पुष्टि होती है?

17. पीड़ित के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता (जखमी होने की स्थिति में) या निकट संबंधी (मृत्यु के मामले में) (आवश्यकतानुसार बैंक दस्तावेज संलग्न करें):

18. अन्य आवश्यक दस्तावेज :

मौत के मामले में

- आईडी प्रूफ (आधार/वोटर आईडी)
- गांव बुराह प्रमाण पत्र
- पासबुक (सामने और वर्तमान पृष्ठ)
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुलिस रिपोर्ट
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

- निकटतम संबंधी का शपथ पत्र

जखमी होने की स्थिति में

- आईडी प्रूफ (आधार/वोटर आईडी)
 - गांव बुराह प्रमाण पत्र
 - पासबुक (सामने और वर्तमान पृष्ठ)
 - नुकसान की फोटो
 - मेडिकल बिल
 - चिकित्सा विवरण
 - विकलांगता के मामले में - विकलांगता प्रमाण पत्र
- सत्यापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर-

जगह :

दिनांक :

1. वन विभाग का प्रतिनिधि :
2. नागरिक प्रशासन/राजस्व विभाग का प्रतिनिधि :
3. एचईसी के पीड़ित/एचईसी पीड़ित के निकट संबंधी:
 1. ग्राम प्रधान साक्षी के रूप में:

हाथियों द्वारा फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

1.	आवेदक का नाम:	
2.	आयु:	
3.	लिंग:	
4.	पिता/माता का नाम:	
5.	पूर्ण पता:	
6.	निकटतम वन विभाग कार्यालय (बीट/ रेंज):	
7.	प्रार्थी का फोन नंबर	
8.	जहाँ फसल/संपत्ति का नुकसान हुआ उसका विवरण:	
a.	अक्षांश (दशमलव डिग्री) (वैकल्पिक):	
b.	देशांतर (दशमलव डिग्री) (वैकल्पिक):	
c.	गाँव:	
d.	पीटना:	
e.	श्रेणी:	
f.	मंडल :	
g.	दाग संख्या:	
h.	पट्टा संख्या:	
i.	मौजा नाम:	
j.	राजस्व मंडल :	
k.	ज़िला:	
l.	राज्य:	
9.	भूमि की स्थिति : राजस्व/सरकारी/वन/ निजी	
10.	घटना की तारीख:	
11.	T घटना का समय:	
12.	फसल क्षति, संपत्ति क्षति, या दोनों::	

13. फसल क्षति के लिए (यदि उपलब्ध हो तो फोटो संलग्न करें):

फसल का प्रकार	क्षेत्र क्षतिग्रस्त	क्षतिग्रस्त फसल की मात्रा (क्विंटल)	क्षतिग्रस्त फसल का बाजार मूल्य (प्रति क्विंटल)

14. संपत्ति के नुकसान के लिए:

15. क्या आवेदक का घर क्षतिग्रस्त हो गया था? हां/ना

a.	घर का प्रकार: पक्का या कच्चा	
b.	क्षति का प्रकार: आंशिक या पूर्ण	
c.	मरम्मत की अनुमानित लागत?	

(यदि उपलब्ध हो तो कृपया फोटो संलग्न करें)

16. क्या पशुधन सहित कोई अन्य संपत्ति का नुकसान या क्षतिग्रस्त हुई थी? कृपया यहाँ भरें:

संपत्ति प्रकार/आइटम	विवरण (आयु, कार्य, आदि)	अनुमानित मूल्य

(यदि उपलब्ध हो तो कृपया फोटो संलग्न करें)

17. दावेदार का बैंक खाता विवरण (नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड) (आवश्यकतानुसार बैंक दस्तावेज संलग्न करें)।

18. आवश्यक अन्य दस्तावेज:

सामान्य दस्तावेज

- आईडी प्रूफ (आधार/वोटर आईडी)
- गाँव बुराह प्रमाणपत्र
- पासबुक (सामने और वर्तमान पृष्ठ)
- नुकसान की तस्वीर (मृत्यु के मामले को छोड़कर)

फसल के नुकसान के मामले में

- खजाना रसीद
- एनओसी (केवल चाय बागान के लिए)

संपत्ति के नुकसान के मामले में

- एनओसी (टी एस्टेट)

आवेदक के हस्ताक्षर

जगह

तारीख :

.....

रसीद

.....

आवेदन/मामला संख्या :

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमें फसल क्षति/संपत्ति क्षति के मुआवजे के लिए एक आवेदन और सभी आवश्यक संबंधित दस्तावेजों से प्राप्त हुआ है:

श्री/श्रीमती/श्रीमती.....आज (तारीख) को और पाया गया वैध है।

रेंज/बीट वन अधिकारी

दिनांक :

अनुलग्नक:

**फसल या संपत्ति की क्षति के मुआवजे के भुगतान के लिए
क्षति सत्यापन फार्म**

1.	आवेदन/मामला संख्या:	
2.	आवेदक का नाम:	
3.	आयु:	
4.	लिंग:	
5.	पिता/माता का नाम:	
6.	पूर्ण पता:	
7.	निकटतम वन कार्यालय (बीट/रेंज):	
8.	प्रार्थी का फोन नंबर	
9.	जहाँ फसल/संपत्ति का नुकसान हुआ उसका विवरण:	
a.	अक्षांश (दशमलव डिग्री):	
b.	देशांतर (दशमलव डिग्री):	
c.	गाँव:	
d.	पीटना:	
e.	श्रेणी:	
f.	मंडल :	
g.	दाग संख्या:	
h.	पट्टा संख्या:	
i.	मौजा नाम:	
j.	राजस्व मंडल :	
k.	ज़िला:	
l.	राज्य:	
10.	भूमि की स्थिति : राजस्व/सरकारी/वन/ निजी	

11. फसल-छापे के दावों का आकलन (आवेदन से पहले चार कॉलम की नकल करें):

दावाकृत फसल का प्रकार	दावाकृत क्षेत्र क्षतिग्रस्त	क्षतिग्रस्त फसल की दावाकृत मात्रा (क्वेटल)	क्षतिग्रस्त फसल के लिए दावाकृत बाजार मूल्य (प्रति क्वेटल)	दावा सटीक?	यदि नहीं, तो अनुशंसित मुआवजा

12. यदि कोई दावा गलत समझा जाता है, तो कृपया समझाएं कि ऐसा कैसे:

13. यदि उपरोक्त में से कोई भी दावा धोखाधड़ी है, तो कृपया बताएं कि ऐसा कैसे:

14. यदि ऊपर दिए गए दावे धोखाधड़ी हैं, तो क्या मानक दंड (दो साल के लिए सिस्टम से अयोग्यता) दिया जाना चाहिए? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

15. संपत्ति के नुकसान के दावों का आकलन (आवेदन से कॉपी किए गए कॉलम 1 और 2)

संपत्ति प्रकार/आइटम का दावा किया गया	दावा किया गया अनुमानित मूल्य	दावा सटीक?	यदि नहीं, अनुशंसित मुआवजा

16. यदि कोई दावा गलत समझा जाता है, तो कृपया समझाएं कि ऐसा कैसे:

17. यदि उपरोक्त में से कोई भी दावा धोखाधड़ी है, तो कृपया बताएं कि ऐसा कैसे:

18. यदि ऊपर दिए गए दावे धोखाधड़ी हैं, तो क्या मानक दंड (दो साल के लिए सिस्टम से अयोग्यता) दिया जाना चाहिए? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

19. क्या दावेदार के बैंक खाते के विवरण सत्यापित किए जा सकते हैं?

सत्यापन प्राधिकरण के हस्ताक्षर-

जगह

तारीख:

1. वन विभाग का प्रतिनिधि :

2. नागरिक प्रशासन/राजस्व विभाग का प्रतिनिधि :

3. एचईसी मुआवजे के लिए आवेदक:

4. गवाह के रूप में ग्राम प्रधान:

हाथी डेटाबेस के लिए अलग- अलग हाथी प्रोफाइल की डेटाशीट्स

(संदिग्ध) नए हाथी का रिकॉर्ड

*चित्रण के लिए पृष्ठ 159 पर "परिशिष्ट I: हाथियों की पहचान" देखें

1. हाथीदांतर, मखना या मादा*:
2. आयु-वर्ग (बछड़ा, किशोर, उप-वयस्क और वयस्क):
3. बैक शेप* (सिंगल पीक, डबल पीक, लगभग समतल पीठ और समतल पीठ):
4. चेहरे पर अजीबोगरीब निशान:

स्थान (दाएं, बाएं, सामने, कान के पास, आदि)	विवरण का अंकन करना

5. कान :

बायां कान विवरण	
आकार*	
रूप	
शीर्ष तह * (मुड़ा हुआ नहीं / 50% मोड़ / 100% मोड़)	
पालि आकार* (नुकीला/औसत/कुंद)	
कान की लंबाई * (लंबी / मध्यम / छोटी)	
विरंजन (प्रमुख / कोई नहीं)	
कान का छिलना या फटना (बड़ा/मध्यम/छोटा/कोई नहीं; कान के ऊपर, बाहर, अंदर या नीचे)	
कान का ढीला पल्ला (आकार/स्थान)	
छेद* (छोटा/बड़ा/कोई नहीं, ऊपर के आधे हिस्से में/नीचे के आधे हिस्से में/आंतरिक किनारे के पास/बाहरी किनारे के पास)	

दाहिना कान विवरण	
आकार*	
रूप	
शीर्ष तह * (मुड़ा हुआ नहीं / 50% मोड़ / 100% मोड़)	
पालि आकार* (नुकीला/औसत/कुंद)	
कान की लंबाई * (लंबी / मध्यम / छोटी)	
विरंजन (प्रमुख / कोई नहीं)	
कान का छिलना या फटना (बड़ा/मध्यम/छोटा/कोई नहीं; कान के ऊपर, बाहर, अंदर या नीचे)	
कान का ढीला पल्ला (आकार/स्थान)	
छेद* (छोटा/बड़ा/कोई नहीं, ऊपर के आधे हिस्से में/नीचे के आधे हिस्से में/आंतरिक किनारे के पास/ बाहरी किनारे के पास)	

6. हाथीदांत

बायां हाथीदांत-विवरण	
लंबाई* (लघु/मध्यम/लंबा/टश/कोई नहीं)	
जमीन से कोण* (समानांतर, जमीन की ओर कोण, जमीन की ओर इशारा करता है)	
आकार * (समानांतर / विचलन / अभिसरण / विचलन और अभिसरण)	
एक दूसरे के संबंध में कोण* (सम/असमान) (बाएं से दाएं/बाएं से दाएं)	
लंबाई अन्य हाथीदांत की तुलना में	
अन्य विवरण	

Right Tusk—Description	
लंबाई* (लघु/मध्यम/लंबा/टश/कोई नहीं)	
जमीन से कोण* (समानांतर, जमीन की ओर कोण, जमीन की ओर इशारा करता है)	
आकार * (समानांतर / विचलन / अभिसरण / विचलन और अभिसरण)	
एक दूसरे के संबंध में कोण* (सम/असमान) (बाएं से दाएं/बाएं से दाएं)	
लंबाई अन्य हाथीदांत की तुलना में	
अन्य विवरण	

7. पूछ

पूछ और पूछ के बाल-वर्णन	
लंबाई (T1, T2, T3)*	

पूँछ और पूँछ के बाल-वर्णन	
सीधा या मुड़ा हुआ?	
सामने के बालों की लंबाई (छोटा, मध्यम, लंबा)	
पिछले बालों की लंबाई (छोटा, मध्यम, लंबा)	
टेल ब्रश आकार* (गोल, स्पीयर, मादाओं के लंबे बाल, सर्कल, हुक, टूथ ब्रश, दो बाजु लगभग-जुड़े हुए, फिश-टेल)	
अन्य विवरण	

8. मस्से / घाव

स्थान: (शरीर, चेहरा, पूँछ, धड़, पैर) और (बाएं/दाएं/सामने/पार्श्व)
विवरण:

9. कोई अन्य विशिष्ट विशेषताएं:

स्थान (दाहिने पैर के पास आदि)	विवरण

10.	दिनांक/समय देखा गया:	
11.	स्थान जहां देखा गया:	
a.	अक्षांश (दशमलव डिग्री):	
b.	देशांतर (दशमलव डिग्री):	
c.	गाँव:	
d.	बीट:	
e.	श्रेणी:	
f.	मंडल :	
g.	राजस्व मंडल :	
h.	ज़िला:	
i.	राज्य:	

12. संघर्ष की घटना देखना?

क। मानव मृत्यु? फ़ाइल नंबर और पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें

ख। मानव चोट? फ़ाइल नंबर और पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें

ग। फसल का नुकसान? पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें/यदि संभव हो तो क्षति का वर्णन करें

घ। संपत्ति का नुकसान? पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें/यदि संभव हो तो क्षति का वर्णन करें

13. दूसरे हाथियों के साथ देखा?

कुल वयस्क नर : _____

कुल वयस्क मादा एं: _____

कुल युवा हाथी: _____

सात निकटतम हाथी? किसी भी पहले से निर्दिष्ट हाथी आईडी शामिल करें, चाहे निकटतम हो या नहीं:

लिंग	आयु वर्ग	हाथी आईडी (यदि निश्चित हो)

14. ऊतक या गोबर के नमूने एकत्र किए गए?

ज्ञात हाथी रिकॉर्ड डेटाशीट

1. हाथी पहचान संख्या:

2. ली गई तस्वीरें:

दाहिना बाँडी प्रोफाइल?	
बायाँ बाँडी प्रोफाइल?	
चेहरे का दाहिना भाग?	
चेहरे का बायाँ हिस्सा?	
चेहरे के सामने?	
बाँयाँ कान?	
दाहिना कान?	
बायाँ दांत?	
दाहिना दांत?	
पूँछ?	

3.	दिनांक/समय देखा गया:	
4.	स्थान जहाँ देखा गया:	
a.	अक्षांश (दशमलव डिग्री):	
b.	देशांतर (दशमलव डिग्री):	
c.	गाँव:	
d.	पीटना:	
e.	श्रेणी:	
f.	मंडल :	
g.	राजस्व मंडल:	
h.	ज़िला:	
i.	राज्य:	

12. संघर्ष की घटना देखना?

क। मानव मृत्यु? फ़ाइल नंबर और पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें

ख। मानव चोट? फ़ाइल नंबर और पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें

ग। फसल का नुकसान? पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें/यदि संभव हो तो क्षति का वर्णन करें

घ। संपत्ति का नुकसान? पीड़ित(पीड़ितों) का नाम डालें/यदि संभव हो तो क्षति का वर्णन करें

6. दूसरे हाथियों के साथ देखा?

कुल वयस्क नर : _____

कुल वयस्क मादा : _____

कुल युवा हाथी: _____

सात निकटतम हाथी? किसी भी पहले से निर्दिष्ट हाथी आईडी शामिल करें, चाहे निकटतम हो या नहीं

लिंग	आयु वर्ग	हाथी आईडी (यदि निश्चित हो)

7. ऊतक या गोबर के नमूने एकत्र किए गए?

हाथी की मौत और चोट के रिकॉर्ड

क. हाथी की मृत्यु और चोट सारांश पत्रक (पृष्ठ 151)

ख. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पृष्ठ 153)

हाथी की मौत और चोट के रिकॉर्ड

1.	केस नंबर.....	
2.	हाथी आईडी ?:	
3.	घटना की तारीख:	
4.	घटना का समय:	
5.	स्थान का विवरण	
a.	अक्षांश:	Long:
b.	जंगल के अंदर/बाहर:	
c.	गाँव:	
d.	पीटना:	
e.	श्रेणी:	
f.	संरक्षित क्षेत्र:	
g.	विभाजन:	
h.	ज़िला:	
i.	राज्य:	
6.	मृत्यु या चोट	
7.	जिसने शव का पता लगाया	
a.	नाम	
b.	पेशा	
8.	हाथी का विवरण	
a.	आयु	
b.	हाथीदांत र/मखना/मादा	
9.	मृत्यु/चोट का कारण (एक चुनें)	
a.	प्राकृतिक	
i.	बीमारी	
ii.	अंदरूनी कलह	
iii.	भुखमरी / प्यास	
iv.	पौढ अबस्था	
b.	आकस्मिक	
i.	वाहन / ट्रेन टक्कर	
ii.	खाई / गड्ढा / कुआँ	
iii.	पारेषण तारों की चपेट में आने से करंट लगा	
c.	संघर्ष	
i.	बिजली के अवैध तार लगाने से करंट लगा है	
ii.	विषाक्तता	
iii.	विस्फोटक	
iv.	जाल / ट्रैप	

v.	अन्य विवाद का मामला (कृपया निर्दिष्ट करें)	
d.	अन्य	
i.	अवैध शिकार	
ii.	गोली	
iii.	बचाव कार्य के दौरान हाथी की मौत हो गई	
iv.	अनिर्दिष्ट/अनिश्चित कारण (कृपया वर्णन करें)	
e.	मृत्यु/चोट के कारण पर टिप्पणी	
10.	शरीर के अंगों की स्थिति	
a.	हाथी दांत	
i.	गुम	
ii.	बरामद	
iii.	स्वाभाविक रूप से अनुपस्थित	
b.	शरीर का कोई अन्य अंग गायब या हटाया गया (कृपया निर्दिष्ट करें)	
11.	दस्तावेज़	
a.	पशु चिकित्सक टीम का विवरण	
i.	नाम	
ii.	पद	
iii.	फ़ोन नंबर	
b.	पोस्टमार्टम / सीरियल नंबर	
c.	फोटो	
12.	इस मामले से जुड़ी कोई भी मानवीय मृत्यु या चोट	
13.	अतिरिक्त टिप्पणी या टिप्पणियाँ:	

हस्ताक्षर:

रेंज अधिकारी

प्रभाग वन अधिकारी

पोस्टमार्टम प्रारूप

भाग-क

एक एशियाई हाथी के शव का विस्तृत शवपरीक्षा निष्कर्ष

अनु क्रमांक: _____

तारीख: _____ फाइल का नाम-संख्या/पीए का नाम/रेंज का नाम/कैंप का नाम/क्रम संख्या/तारीख
(कार्यालय उपयोग के लिए)

उदाहरण: आरपीएम-01/केएनपी/कोहोरा/बरंटिका/001/2020-21
डीटीडी। XX/01/2020।

पीए/क्षेत्र का नाम: रेंज: कैंप/बीट:

तारीख एवं दिन:

शव पहचान स्थल के जीपीएस निर्देशांक:

परिवेश का तापमान: आर्द्रता:

बारिश हो रही है: हां/नहीं

वन कर्मचारियों द्वारा शव का पता लगाने की तिथि और समय:

शव स्थल का विवरण (तत्काल परिवेश का विवरण जैसे स्थलाकृति, जल निकाय, वुडलैंड, घास के मैदान, गश्त पथ आदि):

कोई अन्य महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विवरण:

शव की बाहरी परीक्षा

शव विवरण/शव परिवर्तन:

लिंग: अनुमानित आयु:

शरीर कठोरता के क्षण:

मृत्यु का अनुमानित समय:

श्लेष्मा झिल्ली की स्थिति:

आँखें:	
मुंह:	
नाक का छेद:	
जननांग पथ:	
मलाशय / गुदा:	

स्थिति:

कान:	
पूँछ:	
दाँत:	
दाँत:	
सतही लिम्फ नोड्स:	
भग:	

मॉर्फोमेट्री (सेमी में सभी लंबाई):

ऊपरी होंठ की नोक से लंबाई		
पूँछ के आधार तक :		
वक्ष का घेरा:		
गर्दन का घेरा:		
लगभग वजन:		
पूँछ की लंबाई:		
फुट पैड की परिधि:		
	आगे का दायाँ पैर:	आगे का बायाँ पैर :
	पीछे का दायाँ पैर :	पीछे का बायाँ पैर :
हाथीदाँत /टश लंबाई और स्थिति:		
आधार पर हाथीदाँत परिधि:		
हाथीदाँत की लंबाई:		

आंतरिक परीक्षा**क। चमड़े के नीचे के ऊतक और मांसपेशियाँ:**

ख. आहार तंत्र/पाचन तंत्र:

मुख गुहा:	
जीभ:	
ग्रसनी:	
घेघा:	
पेट की गुहा:	
पेरिटोनियम:	
जिगर (रूप, आकार, रंग, किनारों, स्थिरता):	
पोर्टल नलिकाएं, नसें और धमनियां:	
ओमेंटम और मेसेंटेरी:	
पेट (म्यूकोसल और सीरोसल सतहें, सामग्री, घाव, ट्यूमर, परजीवी आदि):	
छोटी आंत (डुओडेनम, जेजुनम और इलियम / म्यूकोसल और सेरोसल सतहें, सामग्री, घाव, ट्यूमर, परजीवी आदि):	
बड़ी आंत (सीकम, कोलन और मलाशय / म्यूकोसल और सेरोसल सतहें, सामग्री, घाव, ट्यूमर, परजीवी आदि):	
लसीका ग्रंथियों:	

ग. श्वसन प्रणाली:

नाक का छेद:	
गला	
श्वासनली:	
डायफ्राम:	
वक्ष गुहा:	
आंत के अंगों की स्थिति:	
तरल पदार्थ की उपस्थिति (एसिटिक, एक्स्यूडेट्स, मवाद, रक्त, सेरोसंगुइनस द्रव आदि):	
प्लूरा:	
ब्रॉन्ची और ब्रॉन्चीओल्स:	
फेफड़े:	
लसीकापर्व:	

घ। संचार प्रणाली:

पेरिकार्डियल थैली:	
हृदय की मांसपेशी:	
हृदय वाहिकाएँ:	
हृदय कक्ष:	
थोरैसिक रक्त वाहिकाएँ:	
प्लीहा (उपस्थिति, आकार, रंग, किनारों, संगति):	
लसीका ग्रंथियां:	

ई। मूत्रजननांगी प्रणाली:

गुर्दे (कैप्सूल, उपस्थिति, आकार, रंग, स्थिरता, प्रांतस्था, मज्जा, रक्तस्राव आदि):				
यूरेटर्स:				
मूत्र मूत्राशय (सेरोसल और म्यूकोसल सतहों, सामग्री, रक्तस्राव, वेध आदि):				
मूत्रमार्ग:				
नर :	वृषण और संबद्ध संरचनाएँ:	शिश्रु:	अग्रभाग:	
मादा :	अंडाशय:	गर्भाशय:	गर्भाशय ग्रीवा:	योनि / भग:

एफ। तंत्रिका तंत्र:

मेनिन्जेस:	
रक्त वाहिकाएँ:	
मगज:	
मेरुदंड:	

G. जी। कंकाल प्रणाली:

प्रमुख हड्डियाँ:	
रीढ़:	

प्रमुख निष्कर्षों का सारांश (बुलेट रूप में)

एकत्र किए गए, भेजे गए नमूनों की सूची और रेफरल प्रयोगशालाओं का पता

क्र.सं.	एकत्रित नमूना	परिरक्षक प्रयुक्त	अनुरोधित परीक्षण	प्रयोगशाला

अस्थायी निदान:

तारीख:

द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया:

हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

जांच अधिकारी (आईओ)/एफआरओ:

- 1.

गवाह (ओं):

- 1.
- 2.

मेमो नंबर: xxxxxx (कार्यालय उपयोग)

इसकी प्रतियां:

1. संबंधित पीए की एफडी/डीसीएफ।
2. संबंधित प्रयोगशालाएं जहां नमूना भेजा गया है।
3. कार्यालय प्रतियां।

भाग-बी

अंतिम निदान रिपोर्ट

क्रमांक: फाइल का नाम-संख्या/पीए का नाम/रेंज का नाम/कैप का नाम/सीरियल संख्या/तारीख (कार्यालय उपयोग के लिए)

उदाहरण: RPM-01/KNP/Kohora/Baruntika/001/2020-21 Dtd. XX/01/2020I

पीए का नाम: रेंज: कैप/बीट:

लिंग: अनुमानित आयु:

नेक्रोप्सी की तिथि:

पोस्टमार्टम के नमूनों को संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजने की तिथि:

संबंधित प्रयोगशालाओं से प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि:

प्रयोगशाला रिपोर्ट सारांश:

1. जीवाणु विज्ञान:
2. वायरोलॉजी:
3. पैरासिटोलॉजी:
4. हिस्टोपैथोलॉजी:
5. माइकोलॉजी:
6. विष विज्ञान:
7. अन्य:
अंतिम निदान / मृत्यु का कारण:

पशु चिकित्सक का नाम:

पदनाम और पता:

हस्ताक्षर की तारीख:


मेमो नंबर: xxxxxx (कार्यालय उपयोग)

अंतिम निदान रिपोर्ट की प्रतियां:

1. पीसीसीएफ (डब्ल्यूएल),...।
2. एफआरओ,.....
3. ऑफिस कॉपी,...
4. अनुलग्नक:।


परिशिष्ट

परिशिष्ट I: हाथियों की पहचान करना




हाथीदंत:

1. केवल नारों के दांत (टस्क) होते हैं लेकिन कुछ पुरुषों के दांत नहीं होते हैं और उन्हें मखाना कहा जाता है
2. सभी मादाओं और मखानाओं में तुशे (लंबे दांत जो दाँतों से छोटे होते हैं) होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पेड़ की खार उतरने से टूट जाते हैं और इसलिए दिखाई नहीं देते। कुछ में वे बहुत प्रमुख और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं



हाथी के दांत (टस्क एवं टुशेज़)



सूंड की लंबाई :

1. छोटा = सूंड की मोटाई से दोगुनी लंबाई (हॉठ की रेखा पर, दाँत की जड़ पर)
2. मध्यम = सूंड की मोटाई के दोगुने से अधिक लेकिन सूंड की मोटाई के तीन मोड़ से कम लंबाई
3. लंबा = सूंड की मोटाई से तीन मोड़ अधिक लंबाई

यह एक मनमाना माप है लेकिन यह दाँत के आकार के वर्गीकरण में कुछ वस्तुनिष्ठता लाता है

एक दूसरे के संबंध में कोण

1. सम (दोनों समान)
2. असमान (एक ऊपर और एक नीचे या एक एक दिशा में और दूसरा दूसरी दिशा में)

आकार को सम या असमान + अंतर के रूप में रिकॉर्ड करें (यानी बाएं ऊपर/दाएं नीचे या बाएं नीचे की ओर इशारा करते हुए और दाएं आगे की ओर इशारा करते हुए)

जमीन से कोण (सिर की सामान्य स्थिति में)


1. जमीन के समानांतर
2. जमीन की ओर झुका हुआ (सबसे आम)
3. जमीन की ओर इशारा करना

आकार को समानांतर, कोणयुक्त या नीचे की ओर रिकॉर्ड करें



दाँतों का आकार


आकृति को अभिसारी, समानांतर या अपसारी के रूप में रिकॉर्ड करें




1. अभिसरण - अंदर की ओर घुमावदार (चरम मामला एक दूसरे को पार करेगा - क्रॉस टस्कर के रूप में रिकॉर्ड करें। नोट: कई क्रॉस टस्कर हैं)



2. कमोबेश एक दूसरे के समानांतर, न फैलते हैं और न मिलते हैं




3. अपसरण - एक दूसरे से दूर फैल जाना




सिंगल पीक बैक


डबल पीक बैक



समतल पृष्ठ




लगभग सपाट पीठ



पूँछ के लक्षण:

1. लंबाई (T1 = पेट के स्तर से ऊपर; T2 = पेट के नीचे और टखने के ऊपर; T3 = टखने के नीचे)
2. बालों की लंबाई - कोई नहीं = बाल नहीं; छोटा = 1 इंच से कम; मध्यम = 1-4 इंच; लंबा = 4 इंच से अधिक
3. बालों का विकास - पूँछ के साथ अंदर (पैर की तरफ) और बाहर (पैर से दूर)।



पूँछ का आकार:



गोलाकार



भाले का आकार



मादाओं के लंबे बाल



वृत्त का आकार



हुक का आकार



दूधब्रश का आकार



दो पक्ष लगभग संयुक्त



मछली की पूँछ का आकार

हाथी का लिंग


मादा और मखना के बीच अंतर (दांत की उपस्थिति से हाथी आसानी से पहचाना जा सकता है)



पूंछ के नीचे थोड़ा उभार
(नर)




पूंछ के नीचे कोई उभार
नहीं (मादा)




पैरों के बीच थोड़ा गोल आकार
(नर)


पैरों के बीच खोखला आकार (मादा)



वयस्कों में, विकसित स्तनों की
उपस्थिति से मादाओं की पहचान
करने में मदद मिल सकती है



स्तनपान न कराने वाली मादा



स्तनपान कराने वाली मादा



वयस्क मखाना और हाथीदांत र(चूवी
यह त्वचा से एक छोटे से फलाव की तरह
दिखेगा)


आयु वर्ग

प्रमुख आयु वर्ग	ऊंचाई फ़ीट)	ऊंचाई (एम)	लगभग। उप-वर्ग (वर्ष)
बछड़ा (0-1 वर्ष)	3-4	0.9-1.2	
किशोर (1-5 वर्ष) 4-6	4-6	1.2-1.8	1-2, 2-3, 3-5
उप-वयस्क (5-15 वर्ष)	5½-7 मादा ;	1.7-2 मादा ;	5-10, 10-15
वयस्क (> 15 वर्ष)	6-8 नर	1.8-2.4 नर	15-20, 20-30,

तालिका संदर्भ: अरिवाङ्गन, सी., और सुकुमार, आर. (2008)। एशियाई हाथी आबादी की आयु संरचना का निर्माण: आयु अनुमान के दो क्षेत्र विधियों की तुलना। गजह, 29, 11-16।



कान का आकार

निचले जबड़े की रेखा के संबंध में कान का आकार निचले लोब (निचले सिरे) की लंबाई पर आधारित हो सकता है।



1. जबड़े के स्तर तक या जबड़े के स्तर से नीचे (बड़े कान)

2. जबड़े के स्तर से थोड़ा ऊपर (मध्यम कान)




3. जबड़े के स्तर से काफी ऊपर (छोटे कान)


कान पालि




नुकीला सिरा



गोल नोक




बड़ा गोल सिरा



घुमावदार नोक




लूप टिप




घुमावदार और लूप टिप के बीच मिलाएं

कान का ऊपरी किनारा:





मोड़ कान के पहले या पहले कोने पर समाप्त होता है



100% मोड़ में, मोड़ वर्ष के पहले कोने से आगे तक जाता है, जैसा कि इन दो छवियों में दिखाया गया है।



कान पर रिकॉर्डिंग के निशान:





कान का ढीला पल्ला
देखने में बड़ा आसान



बहुत सारे अंक पहचानना आसान, फोटोग्राफ
महत्वपूर्ण

परिशिष्ट II: संदिग्ध बिजली के झटके से होने वाली मौतों के दौरान घटना स्थल पर पशुचिकित्सा द्वारा एकत्र किए जाने वाले नमूनों की जांच/देखे जाने वाले प्रमुख बिंदु

1. वज्रपात के स्रोत का निर्धारण करें: आसपास के क्षेत्र में उच्च तनाव तार, पास में दुर्भवापूर्ण तार कनेक्शन, डीसी करंट-जनरेटर का उपयोग करना, उद्योगों, कारखानों, घरेलू कनेक्शन जैसे किसी भी विद्युत स्रोत से रिसाव, हाल ही में क्षेत्र में बिजली गिरने का इतिहास आदि। .
2. वज्रपात के दौरान जमीन पर जली हुई घास, टेढ़ी तिरछी लकीर के निशान जैसे बिजली के निशान को संरक्षित करने के लिए वन विभाग को क्षेत्र में बैरियर और घेरा बनाना चाहिए। शव से लगभग 50 फीट के दायरे के क्षेत्र को सावधानी टैप से बंद कर दिया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो जमीन को कुचलने से बचा जाना चाहिए।
3. यदि संभव हो तो जिन बिंदुओं से हाथी में विद्युत आवेश प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, उनका पता लगाया जाना चाहिए। सूंड की नोक, सूंड का पृष्ठीय भाग, जीभ, पैर तकती और बाहरी कान का पल्ला कमजोर क्षेत्र हैं और सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।
4. यदि कोई जले हुए क्षेत्र या जले के निशान देखे जाते हैं, तो यह कितना भी मिनट हो सकता है, उस क्षेत्र (एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों सहित) और आसपास के ऊतक को हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए 10% फॉर्मोलिन में एक साथ एकत्र किया जाना चाहिए।
5. कान पिनी और त्वचा के अन्य भागों का धातुकरण देखा जाना चाहिए।
6. बिजली गिरने की स्थिति में कभी-कभी पैरों के तकती जलना और छिल जाना देखा जाता है।
7. यदि बिजली गिरने का संदेह हो, तो आस-पास के पेड़ों और अन्य जानवरों को नुकसान के संकेतों की जाँच की जानी चाहिए।
8. मुंह में चारा, असामान्य उरोस्थि लेटना, बछड़ों के ऊपर मृत पड़े वयस्कों को तुरंत मृत्यु के लक्षण दर्ज किए जाने चाहिए।

परिशिष्ट III: विष विज्ञान विश्लेषण के लिए सभी पोस्ट-मॉर्टम के लिए अनिवार्य नमूने एकत्र किए जाने हैं:

सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले चार यौगिकों के लिए नमूनों की हमेशा जांच की जानी चाहिए: ऑर्गनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरिन, सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स और कार्बमिड्स। प्रयोगशाला की क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अन्य यौगिकों की भी जांच की जानी चाहिए।

1. पेट की सामग्री (500 से 1000 ग्राम) संतृप्त आम नमक के घोल में अधिमानतः एक कांच जार (या प्लास्टिक जार अगर कांच उपलब्ध नहीं है)।
 2. आंतों की सामग्री (500 से 1000 ग्राम) या लूप दोनों सिरों के साथ संतृप्त आम नमक के घोल में धागे से सील कर दिया जाता है, अधिमानतः एक कांच का घड़ा (या प्लास्टिक जार अगर कांच का घड़ा उपलब्ध नहीं है)।
1. लिवर और किडनी का एक टुकड़ा (न्यूनतम 500 ग्राम) संतृप्त आम नमक के घोल में एक कांच का घड़ा (या प्लास्टिक जार अगर ग्लास उपलब्ध नहीं है) में।
 2. संदिग्ध साइनाइड विषाक्तता के लिए, उपरोक्त सभी नमूनों को कांच के कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए और तुरंत बर्फ पर फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट IV: बाधा अनुरक्षण समिति के लिए मानक रजिस्टर

धन संग्रह रजिस्टर						
ग्राम का नाम :				गांव में परिवारों की संख्या :		
बाधा का प्रकार:				रखरखाव की खपत		
				संग्रह की आवृत्ति:		
योगदान:						
	नाम	भूमि का आकार	राशि का योगदान दिया	योगदानकर्ता का हस्ताक्षर	कलेक्टर के हस्ताक्षर	तारीख
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

परिशिष्ट VI: खाई रखरखाव चेकलिस्ट

खाई रखरखाव चेकलिस्ट						
खाई का स्थान:			खाई स्थापित:			
क्र.सं. तारीख						
खाई का स्थान:	खाई	वनस्पति के लिए जाँच करें	वनस्पति को साफ करने के लिए कार्यवाही की गई	ट्रेंच केविंग के लिए जाँच करें	खाई की मरम्मत के लिए कार्यवाही की गई	प्रभारी व्यक्ति
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

परिशिष्ट VII: बजट तालिका टेम्पलेट

अनु.	घटक का नाम	मात्रा	दर	राशि
1	जी आई वायर और बाइंडिंग वायर			
2	सौर पेनल			
3	बैटरी			
4	एनर्जाइज़र			
5	गेट स्प्रिंग और गेट हैंडल किट			
6	डबल इंसुलेटेड केबल			
7	इंसुलेटर (रील और कॉर्नर)			
8	बाड़ तकनीशियन			
9	बैटरी और एनर्जाइज़र के लिए कंसोल बॉक्स			
	कुल राशि			

संकेताक्षर की सूची

A	एम्पीयर - विद्युत धारा की इकाई
ACF	सहायक वन संरक्षक
ADS	विध्वंस रोधी दस्ता
Cr.	करोड़
CrPC 144	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144
CWLW	मुख्य वन्यजीव वार्डन
DCF	उप वन संरक्षक
DFO	अनुमंडल वन अधिकारी
DNA	डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड - एक स्व-प्रतिकृति सामग्री जो आनुवंशिक जानकारी का वाहक है।
EDC	पारिस्थितिकी विकास समिति
HEC	मानव-हाथी संघर्ष
km	किलोमीटर - लंबाई की इकाई
m	मीटर - लंबाई की इकाई
MoEFCC	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
NGO	गैर सरकारी संगठन
PCCF	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ROP	अनुशसित संचालन प्रक्रिया
RRT	रैपिड रिस्पांस टीम
V	वोल्ट - विद्युत संभावित अंतर की इकाई

मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

हम एचईसी से संबंधित आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं

हम पुराने मानव-हाथी संघर्ष का सामना कर रहे समुदायों के साथ काम कर रहे हैं

हम हाथियों के साथ काम कर रहे हैं जो बार-बार बाधाओं को तोड़ते हैं, भले ही वे अच्छी तरह से बनाए हुए हों

हम अभी तक प्रत्येक एचईसी घटना के लिए व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र नहीं कर रहे हैं

मानव हाथी संघर्ष की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अनुशंसित संचालन प्रक्रिया (आरओपी) पृष्ठ 4

भाग 1: मानव-हाथी संघर्ष का आपातकालीन क्षेत्र प्रबंधन पृष्ठ 28

संघर्ष को कम करने के लिए समुदाय के सदस्य सफलतापूर्वक एक साथ काम नहीं कर रहे हैं।

भाग 2: मानव-हाथी संघर्ष को प्रबंधित करने और कम करने के लिए सामुदायिक संस्थानों का विकास पृष्ठ 56

समुदायों के पास संघर्ष के खिलाफ लामबंद होने के लिए प्रभावी संस्थाएं हैं लेकिन एचईसी को कम करने में बाधाएं नहीं हैं।

भाग 3: एचईसी को कम करने के लिए कानूनी और सुरक्षित बाधाओं का चयन और निर्माण पृष्ठ 72

भाग 4: बार-बार मानव-हाथी संघर्ष में लगे व्यक्तिगत हाथियों का प्रबंधन पृष्ठ 90

भाग 5: मानव-हाथी संघर्ष के लिए डेटा संग्रह पृष्ठ 115

